Reserve Bank Of India/भारतीय रिज़र्व बैंक

Estate Department/ संपदा विभाग

Kolkata/कोलकाता

निविदा आमंत्रण सूचना

(केवल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस - सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट (सीपीपी) पोर्टल के माध्यम से)

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता में 2 एस्केलेटर का डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, कोलकाता (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है), "बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता में 2 एस्केलेटर के डीएसआईटीसी" कार्य के लिए दो भागों में ई-निविदा आमंत्रित करता है।

2. **पात्रता मानदंड:** यात्री एस्केलेटर के केवल वही ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) निविदा में भाग लेने के पात्र होंगे जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

2.1 **पिछले अनुभव की अवधि: समान कार्यों*** को निष्पादित करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (बोलीकर्ता को 30 जून, 2021 को या उससे पहले पूरे किए गए एस्केलेटर (किसी भी राशि के) के डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के कार्य का कार्य-आदेश और उसका समापन प्रमाणपत्र तथा टीडीएस प्रमाणपत्र (जहां लागू हो) की एक प्रति जमा करनी होगी)।

और

2.2 **प्रत्येक पूर्ण किए गए कार्य का न्यूनतम मूल्य (क्वालीफाइंग):** बोलीकर्ता को पिछले पांच वर्षों में (कार्य का समापन 01 जुलाई, 2021 और 30 जून, 2026 के बीच होना चाहिए) एस्केलेटर के डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के **समान कार्यों को निष्पादित करने का अनुभव*** होना चाहिए, जिसके तहत निष्पादित कार्यों का न्यूनतम मूल्य निम्नानुसार हो:

(i) अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम लागत का न होने वाला, प्रत्येक तीन समान पूर्ण कार्य।

या

(ii) अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम लागत का न होने वाला, प्रत्येक दो समान पूर्ण कार्य।

या

(iii) अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम लागत का न होने वाला, एक समान कार्य।

*** समान कार्य**: इस निविदा में पेश किए गए मेक के समान ही एस्केलेटर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।

और

2.3 **वार्षिक टर्नओवर:** 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अनुमानित लागत का 100% या उससे अधिक।

और

2.4 **सॉल्वेंसी (शोधन क्षमता):** निविदाकर्ता के बैंकर द्वारा विशेष रूप से इस कार्य के उद्देश्य के लिए जारी किया गया सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कार्य की अनुमानित लागत के बराबर राशि का हो।

और

2.5 **सर्विस सेटअप:** कोलकाता में निर्दिष्ट कार्य के लिए एक पूर्ण विकसित सर्विस सेटअप उपलब्ध होना चाहिए।

3. निविदाकर्ताओं को ई-निविदा प्रक्रिया में भागीदारी के लिए अपनी पात्रता के बारे में बैंक को संतुष्ट करने के लिए निविदा दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

(a)	फर्म का गठन:	संविदाकर्ताओं की फर्म के गठन का पूरा विवरण (चाहे संविदाकर्ता एक व्यक्ति हो, या एक साझेदारी फर्म हो, या एक कंपनी हो आदि) भागीदारों के नाम और पते, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन / पावर ऑफ अटॉर्नी / अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की प्रति के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। (संदर्भ: **अनुबंध I और III**)।
(b)	कार्य अनुभव और निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य के समान कार्यों का समापन:	कार्य अनुभव के प्रमाण में अर्हता प्राप्त करने वाले कार्यों के विस्तृत कार्य-आदेश अपलोड किए जाने चाहिए, जिसमें कार्य सौंपने की तारीख, सौंपे गए कार्य का मूल्य, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय, आदि और वास्तविक समापन तिथि तथा निष्पादित समान कार्यों के वास्तविक मूल्य को दर्शाने वाले संबंधित समापन प्रमाणपत्र (Completion Certificate) शामिल हों। यदि किसी भी केंद्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए कार्य करने का पिछला अनुभव हो, तो उसका विवरण दस्तावेजी साक्ष्य के साथ भी अपलोड किया जाना चाहिए। (**अनुबंध IV**)।
(c)	संविदाकर्ता की साख और निर्दिष्ट अवधि के दौरान उनका टर्नओवर:	पिछले तीन वर्षों की साख और टर्नओवर के प्रमाण के रूप में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यवसाय के नवीनतम अंतिम खातों (Final Accounts) के साथ आयकर निर्धारण आदेश (Income Tax Assessment Orders) संलग्न किए जाने चाहिए।
(d)	सर्विस सेटअप:	कोलकाता में एक पूर्ण विकसित सर्विस सेटअप होने के समर्थन में निर्माताओं से प्रमाण पत्र या कोई अन्य वैध दस्तावेज संलग्न किया जाना चाहिए। (**अनुबंध III**)।
(e)	बैंकरों के नाम और पते तथा उनके वर्तमान संपर्क अधिकारी:	अपने बैंकरों के नाम और पते के साथ-साथ उनके संपर्क अधिकारियों (यानी वे व्यक्ति जिनसे उनके बैंकरों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि जैसे पूरे विवरण की लिखित जानकारी अपलोड की जानी चाहिए।
(f)	बैंक खातों का विवरण:	उनके बैंक खातों का पूरा विवरण, जैसे खाता संख्या, प्रकार, खाता कब खोला गया आदि अपलोड किया जाना चाहिए। (**अनुबंध III**)।
(g)	ग्राहकों के नाम और पते तथा उनके वर्तमान संपर्क अधिकारी:	अपने ग्राहकों के नाम और पते के साथ-साथ संपर्क अधिकारियों (यानी वे व्यक्ति जिनसे उनके ग्राहकों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि जैसे पूरे विवरण के साथ लिखित जानकारी अपलोड की जानी चाहिए। (**अनुबंध IV**)।
(h)	पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण:	कार्य का ग्राहक-वार नाम, कार्य निष्पादन का वर्ष, निष्पादित कार्यों की स्वीकृत और वास्तविक लागत, संविदा में निर्धारित समापन समय और कार्य को पूरा करने में लगा वास्तविक समय, उन अधिकारियों/प्राधिकारियों/विभागों के नाम और पूर्ण संपर्क-विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिनके तहत कार्य निष्पादित किए गए थे। (**अनुबंध IV**)।

4. आवेदन करने के इच्छुक बोलीकर्ता को अपनी आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक के पास उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि अपलोड की गई निविदा में कोई दस्तावेज गायब है या जाली पाया जाता है,

तो बैंक को गायब दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को माँगने और इन प्रमाणपत्रों की स्वतंत्र रूप से जाँच करने का अधिकार होगा।

5. बैंक निविदाकर्ता के ग्राहकों और बैंकरों से उसके पिछले प्रदर्शन पर रिपोर्ट प्राप्त करेगा। बैंक निविदाओं के भाग-II को खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि कोई निविदाकर्ता किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं रखता है और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकरों से प्राप्त उसकी कार्य-प्रदर्शन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग-I को खोलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और उसकी निविदा पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा ईएमडी उसे वापस कर दी जाएगी। बैंक इसके लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

6. ई-निविदा आरबीआई की ओर से तीसरे पक्ष के रूप में **सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपीपी)** https://etenders.gov.in/eprocure/app द्वारा की जाएगी। इसलिए, इच्छुक फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। सीपीपीपी पर पंजीकरण और ई-निविदा की प्रक्रिया के संबंध में विवरण **अनुबंध-II** में संलग्न है। ई-निविदा ऑनलाइन दो भागों में जमा की जाएगी। ई-निविदा के भाग-I में प्रस्तावित कार्य के लिए मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें होंगी और भाग-II में मूल्य बोली होगी। सभी आवश्यक अनुलग्नकों के साथ दस्तावेजी साक्ष्य भी निविदा के भाग-I के साथ अपलोड किए जाएंगे। यह ई-निविदा है, बोलीकर्ताओं को इसे खोलने के समय उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

7. बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8. कृपया यह भी ध्यान दें कि आगे की शुद्धिपत्र / परिशिष्ट / प्री-बिड मीटिंग के कार्यवृत्त केवल आरबीआई की वेबसाइट और सीपीपीपी वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे।

दिनांक: 29 जुलाई, 2026
स्थान: कोलकाता

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
पश्चिम बंगाल और अंदमान तथा निकोबार

निविदा की समय-सारणी (एसओटी) इस प्रकार है:

I	ई-निविदा संख्या	2026_RBI_285923_1
II	निविदा का विधि	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (सीपीपी पोर्टल https://etenders.gov.in/eprocure/app के माध्यम से ऑनलाइन भाग-I – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली)
III	अनुमानित लागत	₹74 लाख (जीएसटी सहित)
IV	कार्य पूरा करने की समय अवधि	5 महीने
V	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (केवल एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के माध्यम से)	**₹1.48 लाख (रुपये एक लाख अड़तालीस हजार मात्र)** **a) एनईएफटी / आरटीजीएस:** लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता; IFSC: RBIS0KLPA01 (बाएं से 5वें और 10वें स्थान पर संख्यात्मक शून्य); खाता संख्या: 186003001 **b) डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी:** कोलकाता में देय, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता के पक्ष में - अनुसूचित बैंक में ड्रॉन (Drawn)
VI	सीपीपी पोर्टल / आरबीआई वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए ई-निविदा दस्तावेज की उपलब्धता की तारीख	29 जुलाई, 2026 शाम 05:00 बजे से
VII	भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग-II (मूल्य बोली) जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तारीख	27 अगस्त, 2026 दोपहर 17:00 बजे से
VIII	प्री-बिड मीटिंग की तारीख और समय	25 अगस्त, 2026 सुबह 11:00 बजे स्थान: तीसरी मंजिल, संपदा विभाग सम्मेलन कक्ष, आरबीआई, कोलकाता

IX	आरबीआई वेबसाइट/सीपीपीपी पर प्री-बिड मीटिंग के कार्यवृत्त प्रकाशित करने की तारीख	27 अगस्त, 2026
X	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि और समय	8 सितंबर, 2026 सुबह 11:00 बजे तक (हमारे खाते में दिखना चाहिए)
XI	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	8 सितंबर, 2026 सुबह 11:00 बजे तक
XII	a. भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तिथि और समय b. भाग-II (मूल्य बोली) खोलने की तिथि	9 सितंबर, 2026 दोपहर 12:00 बजे के बाद निविदा का भाग-II केवल उन बोलीकर्ताओं के लिए खोला जाएगा जो भाग-I की प्रस्तुतियों की जांच के बाद पात्र पाए जाएंगे। पात्र बोलीकर्ताओं को ईमेल के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक

संपदा विभाग

कोलकाता

ई-निविदा/बोली के लिए

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता में 2 एस्केलेटरों की डिजाइन आपूर्ति स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)

भाग - I

तकनीकी वाणिज्यिक बोली

(टेक्नो कमर्शियल बिड)

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिजर्व बैंक

संपदा विभाग

कोलकाता

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण		
1.	खंड I	**निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)**	
2.	खंड II	**निविदा का प्रारूप**	
3.	खंड III	**A. संविदा की सामान्य शर्तें**	
	उपबंध	2.	कार्य का संक्षिप्त दायरा
		3.	सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपीपी) पर ई-निविदा
		4.	पात्रता मापदंड
		5.	निविदा प्रक्रिया
		6.	बयाना जमा राशि (ईएमडी)
		7.	बोली-पूर्व बैठक
		8.	विचलन
		9.	वैधता
		10.	भाषा
		11.	प्राइस-बिड में रेट (भाग II)
		12.	सफल बोलीदाता
		13.	करार की शर्तें
		14.	जमनत राशि (एसडी)
		15.	निविदाओं का मूल्यांकन
		16.	बीमा
		17.	ड्राइंग और दस्तावेज़
		18.	निरीक्षण की लागत
		19.	परीक्षण की विधि
		20.	प्रदर्शन को प्रमाणित करने के लिए निरीक्षक प्राधिकरण
		21.	अस्वीकृति के परिणाम
		22.	पैकिंग और प्रेषण
		23.	पूरा होने का समय
		24.	परिसमापन हर्जाना
		25.	भुगतान की शर्तें
		26.	हर कार्य के लिए मात्रा का शेड्यूल
		27.	साइट की स्थिति
		28.	पुलिस सत्यापन

क्रम सं.	विवरण		
		B. संविदा की विशेष शर्त	
		29.	भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश
		30.	निषेध/अदालती मामला
		31.	साइट का दौरा और तकनीकी विशिष्टताओं की पर्याप्तता
		32.	
4.	खंड IV	**सुरक्षा कोड**	
		A. सामान्य सुरक्षा	
		B. आग और विद्युत सुरक्षा	
5.	खंड V	**संविदा की सामान्य शर्तें जिनका उल्लेख आगे किया गया है**	
	उपबंध	1.	व्याख्या खंड
		2.	संविदा का दायरा
		3.	बदलाव नियोक्ता से मंज़ूर किए जाने हैं
		4.	ड्रॉइंग, शेड्यूल Oo क्वांटिटी और करार
		5.	संविदाकर्ता को अपने खर्च पर सभी ज़रूरी चीज़ें देनी होंगी
		6.	प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट
		7.	कार्य से बाहर निकलना
		8.	विवरण के अनुसार सामग्री और कारीगरी
		9.	कार्य पर संविदाकर्ता का सुपरिंटेंडेंस और रिप्रेजेंटेटिव
		10.	कार्यगारों की बर्खास्तगी
		11.	कार्यों तक पहुंच
		12.	बैंक के इंजीनियर
		13.	असाइनमेंट और सब-लेटिंग
		14.	परिवर्तन, जोड़, चूक आदि
		15.	मात्राओं की अनुसूची
		16.	मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता
		17.	कार्यों का मापन
		18.	माप पुस्तिका
		19.	अतिरिक्त चीज़ों वगैरह की कीमतों का पता लगाना
		20.	अनिर्धारित सामग्री
		21.	अनुचित कार्य को हटाना
		22.	वर्चुअल पूरा होने के बाद दोष
		23.	आभासी पूर्णता का प्रमाणपत्र

क्रम सं.	विवरण		
		24.	नामित उप-संविदाकर्ता
		25.	नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति
		26.	व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा
		27.	प्रारंभ और समापन की तिथि
		28.	कार्य पूरा न होने पर हर्जाना
		29.	विलंब और समय विस्तार
		30.	संविदाकर्ता द्वारा नियोक्ता के निर्देशों का पालन न करना
		31.	नियोक्ता द्वारा संविदा की समाप्ति
		32.	संविदाकर्ता द्वारा संविदा की समाप्ति
		33.	प्रमाणपत्र और भुगतान
		34.	विलम्बित भुगतान
		35.	मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा
		36.	अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार
		37.	नियोक्ता को कामगारों को दिए गए मुआवज़े की वसूली का अधिकार है
		38.	कार्यों का परित्याग
		39.	अधिशेष सामग्री की वापसी
		40.	संविदाकर्ता की मौत होने पर नियोक्ता का संविदा खत्म करने का अधिकार
		41.	दुर्घटना रिपोर्ट
		42.	कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम
		43.	अप्रकटन खंड
		44.	कार्यक्रम चार्ट/ प्रगति रिपोर्ट
		45.	वैधानिक अनुमोदन
		46.	निषेध/अयोग्यता
		47.	सीमांत नोट्स
6	खंड VI	परिशिष्ट जिसका उल्लेख पहले किया गया है	
7.	खंड VII	कार्य का दायरा	
	ए	कार्य का दायरा और कार्य करते समय टेक्निकल स्पेसिफिकेशन	
	बी	व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा के दौरान कार्य का दायरा	
	बी .1	व्यापक एएमसी की दर का नवीनीकरण	
	बी .2	मजदूरी दर का नवीनीकरण	
	बी.3	जुर्माना	

क्रम सं.	विवरण	
8.	खंड VIII	तकनीकी विनिर्देश
9.	खंड IX	संविदाकर्ता द्वारा दी जाने वाली तकनीकी जानकारी
10.	खंड X	निविदा के भाग II की मात्रा/छवि की अमूल्य अनुसूची
	संविदा	
1.	अनुलग्नक I	प्रस्ताव पर साइन करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्मेट
2.	अनुलग्नक II	सीपीपीपी पर ई-निविदा की प्रक्रिया / ई-निविदा के बारे में ज़रूरी निर्देश
3.	अनुलग्नक III	फर्म/बोली लगाने वाले की जानकारी के लिए फ़ॉर्मेट
4.	अनुलग्नक IV	पात्रता मानदंड की जानकारी के लिए फ़ॉर्मैट
5.	अनुलग्नक V	क्लाइंट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट
6.	अनुलग्नक VI	बैंकर सर्टिफिकेट/सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट
7.	अनुलग्नक VII	बयाना राशि जमा करने के बदले बैंक गारंटी का प्रोफार्मा
8.	अनुलग्नक VIII	तकनीकी-वाणिज्यिक स्थितियों में विचलन
9.	अनुलग्नक IX	करार की शर्तें का प्रारूप
10.	अनुलग्नक X	प्रदर्शन बैंक गारंटी / प्रतिधारण धन जमा का प्रोफार्मा
11.	अनुलग्नक XI	प्रोजेक्ट का टाइम शेड्यूल बोलीकर्ता को भरना होगा
12.	अनुलग्नक XII	भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश के बारे में बोली लगाने वाले की तरफ़ से अंडरटेकिंग / घोषणा / सर्टिफ़िकेट का प्रोफ़ॉर्मा
13.	अनुलग्नक XIII	एस्केलेटर लगाने के प्रस्तावित मकसद को पूरा करने के लिए साइट विज़िट और टेक्निकल काबिलियत के बारे में निविदा देने वाले के कन्फर्मेशन का प्रोफ़ॉर्मा।
14.	अनुलग्नक XIV	बोली लगाने वाले द्वारा कानूनी कार्रवाई / सिविल मुकदमे / मुकदमेबाजी / मध्यस्थता पर वचन
15.	अनुलग्नक XV	20 साल के व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा का फ़ॉर्मेट

खंड - I

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता में 2 एस्केलेटरों की डिजाइन आपूर्ति स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, कोलकाता (बैंक), "बैंक के मेन ऑफिस बिल्डिंग, कोलकाता में 2 एस्केलेटर के "डीएसआईटीसी" के लिए दो हिस्सों में ई-निविदा मंगा रहा है।

2. **पात्रता मानदंड** : सिर्फ़ पैसेंजर एस्केलेटर के ओईसीएम (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर) ही निविदा में हिस्सा लेने के लिए पात्र होंगे, जो नीचे दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

2.1 **पिछले अनुभव का समय** : **समान कार्य** करने का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए* (बोली लगाने वाले को 30 जून, 2021 को या उससे पहले पूरे किए गए एस्केलेटर (किसी भी रकम के) के डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के कार्य के लिए वर्क ऑर्डर और उसके पूरा होने का सर्टिफ़िकेट और TDS सर्टिफ़िकेट (जैसा लागू हो) जमा करना होगा।

और

2.2 **हर पूरे किए गए कार्य की कम से कम कीमत (क्वालिफाइंग)** : बोली लगाने वाले के पास पिछले पांच सालों में एस्केलेटर के डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग **जैसे इसी तरह के** कार्य* **करने का अनुभव होना चाहिए** ((कार्य 01 जुलाई, 2021 और 30 जून, 2026 के बीच पूरा होना चाहिए) और किए गए कार्य की कम से कम कीमत नीचे दी गई है:

(i) तीन एक जैसे पूरे किए गए कार्य, जिनमें से हर एक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर हो।

या

(ii) दो एक जैसे पूरे हुए कार्य, जिनमें से हर एक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर हो।

या

(iii) एक ऐसा ही कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर हो।

* **समान कार्य** : इस निविदा में दिए गए उसी मेक के एस्केलेटर की सप्लाई, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग और कमीशनिंग।

और

2.3 **वार्षिक टर्नओवर** : 31 मार्च 2025 को खत्म होने वाले पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर के दौरान अनुमानित लागत का 100% या उससे ज़्यादा।

और

2.4 **सॉल्वेंसी:** निविदा देने वाले के बैंकर से जारी किया गया सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना होगा, जो खास तौर पर कार्य के मकसद के लिए हो, और कार्य की अनुमानित लागत के बराबर रकम का हो।

और

2.5 **सर्विस सेटअप:** कोलकाता में बताए गए कार्य के लिए पूरा सर्विस सेटअप उपलब्ध होना चाहिए।

3. निविदा देने वालों को ई-निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपनी पात्रता के बारे में बैंक को सैटिस्फाई करने के लिए निविदा दस्तावेज के साथ नीचे दी गई जानकारी/दस्तावेज ज़रूर देने चाहिए।

क्रम	विवरण	आवश्यक दस्तावेज
(a)	फर्म की संरचना	संविदाकर्ताओं की फर्म की संरचना का पूर्ण विवरण (चाहे संविदाकर्ता व्यक्ति हो, या साझेदारी फर्म हो, या कंपनी हो आदि) पार्टनर(ओं) के नाम(मों) और पते(ओं) के साथ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन/पावर ऑफ अटॉर्नी/अन्य संबंधित दस्तावेज की प्रति के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। (संदर्भ: **अनुलग्नक I & III**)
(b)	कार्य अनुभव & निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य के समान कार्यों का पूर्ण होना	अर्हकारी (क्वालीफाइंग) कार्यों के लिए विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां जिनमें कार्य के आवंटन की तारीख, आवंटित कार्य का मूल्य, कार्य को पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि दर्शाया गया हो और संबंधित पूर्णता प्रमाणपत्र जिनमें वास्तविक पूर्णता की तारीख और निष्पादित समान कार्यों का वास्तविक मूल्य दर्शाया गया हो, कार्य अनुभव के प्रमाण के रूप में अपलोड किया जाना चाहिए। यदि किसी भी केंद्र में भारतीय रिजर्व बैंक के लिए कार्य करने का पिछला अनुभव है, तो उसके विवरण सहित दस्तावेजी साक्ष्य भी अपलोड किया जाना चाहिए। (**अनुलग्नक IV**)
(c)	संविदाकर्ता की साख और निर्दिष्ट अवधि के दौरान उनका टर्नओवर	उनकी साख और पिछले तीन वर्षों के टर्नओवर के प्रमाण के रूप में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा समुचित प्रमाणित व्यवसाय के अंतिम खातों के साथ आयकर मूल्यांकन आदेश संलग्न किया जाना चाहिए।
(d)	सेवा सेटअप	कोलकाता में पूर्ण सेवा सेटअप होने के समर्थन में निर्माताओं से प्रमाणपत्र/कोई अन्य वैध दस्तावेज संलग्न किया जाना चाहिए। (**अनुलग्नक III**)
(e)	बैंकरों के नाम और पते तथा उनके वर्तमान संपर्क कार्यकारी	अपने बैंकरों के कार्यालय में संपर्क किए जा सकने वाले व्यक्तियों (अर्थात संपर्क कार्यकारी) के नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि के पूर्ण विवरण के साथ उनके बैंकरों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी अपलोड की जानी चाहिए।
(f)	बैंक खातों का विवरण	अपने बैंक खातों का पूर्ण विवरण, जैसे खाता संख्या, प्रकार, कब खोला गया आदि, अपलोड किया जाना चाहिए। (**अनुलग्नक III**)
(g)	ग्राहकों के नाम और पते तथा	अपने ग्राहकों के कार्यालय में संपर्क किए जा सकने वाले व्यक्तियों (अर्थात संपर्क कार्यकारी) के नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल)

	उनके वर्तमान संपर्क कार्यकारी	नंबर, फैक्स नंबर आदि के पूर्ण विवरण के साथ उनके ग्राहकों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी अपलोड की जानी चाहिए। (अनुलग्नक IV)
(h)	पूर्ण कार्यों का विवरण	ग्राहक-वार कार्य(ओं) के नाम, कार्य(ओं) के निष्पादन का वर्ष(वर्ष), निष्पादित कार्य(ओं) की आवंटित और वास्तविक लागत(एं), अनुबंध(ओं) में निर्धारित पूर्णता समय और कार्य(ओं) को पूरा करने में लिया गया वास्तविक समय, उन अधिकारियों/प्राधिकारियों/विभागों के नाम और पूर्ण संपर्क विवरण जिनके तहत कार्य(ओं) को निष्पादित किया गया था, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (**अनुलग्नक IV**)

4. बोली लगाने का इरादा रखने वाले बोलीदाता को आवश्यक पात्रता रखने के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो बैंक उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि अपलोड की गई निविदा में कोई दस्तावेज गायब पाया जाता है या गढ़ा हुआ पाया जाता है, तो बैंक को गायब दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को मांगने और इन प्रमाणपत्रों की स्वतंत्र रूप से जांच करने का अधिकार होगा।

5. बैंक बोलीदाता के ग्राहकों और बैंकरों से उसके पिछले प्रदर्शन पर रिपोर्ट प्राप्त करेगा। बैंक निविदा के भाग – II को खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी समय किसी बोलीदाता के पास निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकरों से प्राप्त प्रदर्शन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक को निविदा के भाग-I को खोलने के बाद भी उसकी पेशकश को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और उसकी निविदा को आगे संसाधित नहीं किया जाएगा और ईएमडी उसे वापस कर दिया जाएगा। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।

6. **ई-निविदा केंद्रीय लोक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी)** https://etenders.gov.in/eprocure/app द्वारा आरबीआई की ओर से तीसरे पक्ष के रूप में संपादित की जाएगी। अतः इच्छुक फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। सीपीपीपी पर पंजीकरण और ई-निविदा की प्रक्रिया के संबंध में विवरण **अनुलग्नक II** में संलग्न किया गया है। ई-निविदा ऑनलाइन दो भागों में जमा की जाएगी। निविदा का भाग-I में प्रस्तावित कार्य के लिए मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें होंगी और भाग-II में मूल्य बोली होगी। सभी आवश्यक अनुलग्नक दस्तावेजी प्रमाणों के साथ निविदा के भाग I के साथ अपलोड किए जाएंगे। यह ई-निविदा है, बोलीदाताओं को खोलने के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

7. बैंक निम्नतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण दिए किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8. कृपया यह भी ध्यान दें कि आगे का एडेंडम/कोरिजेंडम/प्री-बिड मीटिंग के मिनट केवल आरबीआई वेबसाइट और सीपीपीपी वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे।

9. निविदा का अनुसूची (SOT) निम्नानुसार है:

क्रम	**विवरण**	**जानकारी**
I.	ई-निविदा संख्या	2026*RBI*285923_1
II.	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली सीपीपी पोर्टल https://etenders.gov.in/eprocure/app के माध्यम से)
III.	अनुमानित लागत	₹74 लाख (जीएसटी सहित)
IV.	कार्य पूर्ण करने की अवधि	5 महीने
V.	गंभीर मुद्रा जमा (केवल एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के माध्यम से)	₹1.48 लाख (रुपये एक लाख चालीस हजार मात्र)
	(a) एनईएफटी / RTGS	लाभार्थी का नाम: Reserve Bank of India, Kolkata; IFSC: RBIS0KLPA01 (बाएं से 5वें और 10वें स्थान पर संख्यात्मक शून्य); खाता संख्या: 186003001
	(b) डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी	कोलकाता में भुगतान योग्य, Reserve Bank of India, Kolkata के पक्ष में एक अनुसूचित बैंक पर आहरित
VI.	सीपीपी पोर्टल/आरबीआई वेबसाइट पर ई-निविदा दस्तावेज डाउनलोड के लिए उपलब्धता की तारीख	29 जुलाई, 2026 से शाम 05:00 बजे onwards
VII.	भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग-II (मूल्य बोली) जमा करने के लिए ई-निविदा की प्रारंभिक तारीख	27 अगस्त, 2026 से 17:00 बजे onwards
VIII.	प्री-बिड मीटिंग की तारीख और समय	25 अगस्त, 2026 को सुबह 11:00 बजे
	स्थान:	संपदा विभाग कॉन्फ्रेंस रूम, तीसरी मंजिल, आरबीआई, कोलकाता

IX.	आरबीआई वेबसाइट/सीपीपीपी पर प्री-बिड मीटिंग के मिनट प्रकाशित करने की तारीख	27 अगस्त, 2026
X.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख और समय	8 सितंबर, 2026 तक सुबह 11:00 बजे (हमारे खाते में प्रतिबिंबित होना चाहिए)
XI.	निविदा जमा करने की अंतिम तारीख और समय	8 सितंबर, 2026 तक सुबह 11:00 बजे
XII.	(a) भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तारीख और समय (b) भाग II (मूल्य बोली) खोलने की तारीख	9 सितंबर, 2026 को दोपहर 12:00 बजे के बाद भाग II की निविदा केवल उन बोलीदाताओं के लिए खोली जाएगी जो भाग I के सबमिशन की जांच के बाद पात्र पाए जाते हैं। पात्र बोलीदाताओं को ई-मेल के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा।

खंड II

निविदा का प्रारूप

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
कोलकाता

महोदय,

ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित चित्रों, विनिर्देशों, डिजाइनों और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने के बाद और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा करने और जांच करने और निविदा को प्रभावित करने वाली आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर संलग्न मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और सभी मामलों में निविदा की शर्तों, करार की शर्तों के लेखों, संविदा की विशेष शर्तों, इसके पूर्व संदर्भित संविदा की सामान्य शर्तों, विनिर्देशों, डाटा शीट और मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित विनिर्देशों, डिजाइनों, चित्रों और लिखित निर्देशों के अनुसार और ऐसी सामग्रियों के साथ निष्पादित करने की पेशकश करते हैं, जैसा कि प्रदान किया गया है, और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

ज्ञापन

(ए)	कार्यों का विवरण	बैंक के मेन ऑफिस बिल्डिंग, कोलकाता में 2 एस्केलेटर के डीएसआईटीसी के लिए ई-निविदा/बोली
(बी)	अनुमानित लागत	**₹74 लाख**
(सी)	भुगतान का तरीका	जैसा कि निविदा के पार्ट-I में बताया गया है
(डी)	बयाना राशि	**₹1.48 लाख**
(ई)	जमनत राशि राशि	जैसा कि निविदा के पार्ट-I में बताया गया है
(एफ)	हर बिल से काटी जाने वाली रकम	हर ऑन-अकाउंट बिल से @ 5% तब तक वसूला जाएगा जब तक कुल रिकवरी संविदा मूल्य का 5% न हो जाए, जैसा कि निविदा डॉक्यूमेंट में बताया गया है या संविदा मूल्य का @ 5% बीजी जमा करना होगा।
(जी)	प्रदर्शन बैंक गारंटी	जैसा कि निविदा के भाग-I में बताया गया है
(एच)	कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय	**5 महीने**

हम यह भी सहमत हैं कि हमारी निविदा, निविदा के भाग-। खुलने की तारीख से **90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकृति हेतु मान्य** रहेगी और इस अवधि को बैंक और हमारे बीच लिखित रूप से पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। हम यह भी सहमत हैं कि **वयाना राशि (ईएमडी) हेतु बैंक गारंटी** को निविदा की पूरी अवधि और यदि कोई हो तो बढ़ाई गई अवधि के दौरान मान्य रखा जाए, जैसा कि संलग्न प्रारूप (**अनुलग्नक-VII**) में दिया गया है।

3. अगर यह निविदा स्वीकार कर लिया जाता है, तो हम संविदा के सभी नियम और शर्तें को मानने और पूरा करने के लिए सहमत हैं और अगर ऐसा नहीं होता है, तो वयाना राशि ज़ब्त कर लेंगे और आपको या आपके वारिसों, या असाइनी या नॉमिनी को शर्तों में बताई गई रकम का भुगतान करेंगे।
4. अगर यह निविदा स्वीकार कर लिया जाता है, तो हम निविदा के सभी नियमों और शर्तों को मानने और पूरा करने के लिए सहमत हैं और अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो हम निविदा में दी गई शर्तों में बताई गई रकम को ज़ब्त कर लेंगे और आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या असाइनी या नॉमिनी को देंगे, साथ ही संविदा की लिखित स्वीकृति भी देंगे।
5. हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदा को पूरा या कुछ हिस्सा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं। अगर हम संविदा पूरा करने में नाकाम रहते हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं कि जमा की गई ईएमडी हमारी तरफ से भारतीय रिज़र्व बैंक को ज़ब्त कर ली जाएगी।
6. हम यह घोषणा करते हैं कि हम निविदा दस्तावेज और कार्य से जुड़े दूसरे रिकॉर्ड को गुप्त/गोपनीय दस्तावेज मानेंगे और उससे मिली जानकारी/जानकारी किसी और को नहीं देंगे, सिवाय उस व्यक्ति के जिसे मैं/हम इसे बताने के लिए अधीकृत हूँ/हैं या जानकारी का इस्तेमाल किसी भी ऐसे तरीके से नहीं करेंगे जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक की सुरक्षा को नुकसान हो।

दिनांकित …….. 2026.

के लिए और पर ओर से का एमएस ……..

_____

(हस्ताक्षर का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मुहर के साथ)

नाम _____

पद का नाम _____

जगह _____

तारीख_____ _____

(प्रमाणित सत्य कॉपी का तख़्ता संकल्प या अधिदेश या शक्ति का प्रतिनिधि का ऊपर हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत के रूप में हस्ताक्षरकर्ता होना चाहिए फॉर्मेट अनुलग्नक I के अनुसार संलग्न है।

खंड III

A. संविदा की सामान्य शर्तें

1. यह एक ओपन ई-निविदा इंक्वायरी है जो दो हिस्सों में है, यानी भाग-I (टेक्नो कमर्शियल) I और भाग II (प्राइस बिड)। सिर्फ़ वही बोलीकर्ता/संविदाकर्ता/निविदा इस निविदा में हिस्सा लेने के लिए पात्र हैं जो निविदा में बताए गए प्री-क्वालिफिकेशन/पात्रता मानदंड के हिसाब से कार्य के लिए क्वालिफाइड हैं।

2. **कार्य का दायरा** : कार्य का संक्षिप्त दायरा नीचे दिया गया है। लेकिन, कार्य का डिटेल्ड दायरा इस निविदा के **सेक्शन VII** और **VIII में बताया गया है।**

   I. दूसरी और तीसरी मंज़िल के बीच लगे 2 पैसेंजर एस्केलेटर को साइट से मौजूदा एस्केलेटर हटाने के बाद बदला जाएगा।

   II. एक वर्ष की दोष देयता अवधि के बाद आगामी 19-वर्षीय व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (**सीएएमसी) अवधि के दौरान सभी आवश्यक पुर्जों सहित सर्व-समावेशी सेवा का प्रावधान।**

3. **सीपीपीपी पर ई-निविदा** : ई-निविदा की प्रक्रिया अनुलग्नक II में डिटेल में दिया गया है। फर्मों की डिटेल अनुलग्नक III में दिए गए फॉर्मेट में देनी होगी। कार्य पूरा होने के समय के साथ कार्य की अनुमानित लागत सेक्शन I में दी गई है।

4. **पात्रता मानदंड** : एनआईटी (उपबंध I) के पैरा 2 के अनुसार।

4.1 निविदा देने वालों को एनआईटी के पैरा 3 में बताई गई जानकारी/दस्तावेज ज़रूर देने होंगे।

4.2 जो बोलीकर्ता अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें अपनी ज़रूरी पात्रता के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्री सबूत देकर बैंक को सैटिस्फाई करना होगा और अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो बैंक के पास उनका कैंडिडेट रिजेक्ट करने का अधिकार है। अगर अपलोड किए गए निविदा में कोई डॉक्यूमेंट गायब है या नकली पाया जाता है, तो बैंक के पास गायब दस्तावेज/सर्टिफिकेट मांगने और इस सर्टिफिकेट को खुद से वेरिफाई करने का अधिकार होगा।

5. **निविदा प्रक्रिया** : ऊपर दिए गए कार्य के लिए निविदा **दो हिस्सों में होंगे** , यानी **भाग-I** में इक्विपमेंट के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स और नियम और शर्तें (इस हिस्से में आइटम्स के रेट्स और अमाउंट कहीं नहीं दिखेंगे) और **भाग-II** में सिर्फ़ आइटम्स के रेट्स और अमाउंट्स आंकड़ों में बताए गए होंगे, जिन्हें एनआईटी के अनुसार सीपीपी पोर्टल पर कोट/सबमिट/अपलोड किया जाएगा। निविदा का भाग-I एनआईटी में बताई गई तारीख और समय पर खोला जाएगा। निविदा का भाग-II सभी बिडर्स/निविदाकर्ता को बताते हुए अगली तारीख पर खोला जाएगा। मांगी गई सभी जानकारी/अनुलग्नक हर तरह से पूरे होने चाहिए और सपोर्टिंग दस्तावेज के साथ सीपीपी पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

दी गई शीट्स के अलावा दूसरी शीट्स पर दी गई जानकारी पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, फर्म्स सिर्फ़ दिए गए इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर्स के संबंधित कैटलॉग/लीफलेट/ब्रोशर ही अपलोड कर सकती हैं।

6. **बयाना जमा राशि (ईएमडी) :** इच्छुक निविदा देने वाले सेक्शन-I एनआईटी में बताई गई रकम एनईएफटी के ज़रिए बैंक को या किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के नाम पर कोलकाता में देय भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम पर डिमांड ड्राफ़्ट के ज़रिए जमा करेंगे। इसके अलावा, निविदा देने वाला साथ दिए गए प्रोफ़ॉर्मा (अनुलग्नक-VII) में ईएमडी के बराबर रकम के लिए किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से एक इर्रिवोकेबल बैंक गारंटी भी दे सकता है। <u>ईएमडी के लिए जमा की गई बैंक गारंटी कम से कम 31 दिसंबर, 2026 तक वैलिड रहेगी।</u> एनईएफटी/DD/बैंक गारंटी डिटेल्स का प्रूफ़ टेक्निकल बिड / भाग I के साथ अपलोड किया जाना चाहिए और एनआईटी में बताए गए ईमेल से भी भेजा जाना चाहिए। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। जिस निविदा के साथ ऊपर बताए गए फ़ॉर्म में ईएमडी नहीं होगी, उसे नॉन-रिस्पॉन्सिव माना जाएगा, और बैंक उसे तुरंत रिजेक्ट कर देगा।

I. असफल निविदा देने वालों की ईएमडी सफल निविदा देने वाले को कार्य देने के बाद वापस कर दी जाएगी। सफल निविदा देने वाले की ईएमडी जमानत राशि के लिए ज़रूरी बैंक गारंटी जमा करने के बाद वापस कर दी जाएगी (क्लॉज़ 14 (II) देखें) जो डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि तक बढ़ाई गई कंप्लीशन अवधि के लिए है।

II. **अगर बोली लगाने वाला** :

a) जमा किए गए फॉर्म, स्टेटमेंट और अटैचमेंट में गुमराह करने वाली या गलत जानकारी दी हो, कोई भी ज़रूरी जानकारी, कोर्ट में पेंडिंग किसी भी कानूनी कार्रवाई की डिटेल्स छिपाई हों, जिससे पात्रता मानदंड पर कोई असर पड़ सकता हो; या

b) बिड वैलिडिटी के समय के दौरान अपनी बिड वापस ले लेता है; या संविदा मिलने के बाद संविदा पर साइन नहीं करता है।

c) किसी सरकारी एजेंसी ने ब्लैकलिस्ट नहीं किया है और निविदा बुलाने की तारीख से ब्लैकलिस्टिंग लागू है।

d) भाग-I खुलने के बाद बोली वापस ले लेता है।

e) तय समय सीमा के अंदर दिया गया कार्य शुरू नहीं कर पाता है।

f) वर्क ऑर्डर जारी होने के 14 दिनों के अंदर करार की शर्तों पर साइन नहीं करता है।

7. **प्री-बिड मीटिंग** : पात्र निविदाकर्ता की एक प्री-निविदा ब्रीफिंग मीटिंग एनआईटी के अनुसार तारीख और जगह पर होगी, ताकि निविदा के बारे में उनके उठाए गए किसी भी पॉइंट/डाउट को क्लियर किया जा सके। इस मीटिंग के लिए कोई अलग से कम्युनिकेशन नहीं भेजा जाएगा।

I. जिन पॉइंट्स पर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, उनसे जुड़ी सभी बातें पात्र निविदाकर्ता को मीटिंग से एक दिन पहले एनआईटी में दिए गए पते पर लिखकर/ईमेल से देनी होंगी।

II. निविदा से जुड़े किसी भी मुद्दे पर बैंक से क्लैरिफिकेशन लेने के लिए सभी फर्मों को प्री-बिड मीटिंग में आना ज़रूरी है। इसके बाद प्री-बिड मीटिंग की तारीख बदलने की कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। अगर कोई फर्म प्री-बिड मीटिंग में नहीं आती है, तो भविष्य में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं माना जाएगा और प्री-बिड मीटिंग के मिनट्स सभी हिस्सा लेने वाले निविदा देने वालों के लिए मानने होंगे।

III. प्री-बिड मीटिंग के बाद निविदा के भाग-I में निविदा की शर्तों में कोई भी बदलाव शामिल करने/सबमिट करने पर उसे रिजेक्ट किया जा सकता है।

IV. प्री-बिड मीटिंग के मिनट्स और बिडिंग प्रक्रिया के बारे में जारी किए गए शुद्धिपत्र / परिवर्तन / एडेंडम, अगर कोई हों, तो सिर्फ़ बैंक की वेबसाइट और सीपीपीपी पर होस्ट किए जाएंगे और किसी भी अखबार में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे।

8. **विचलन** : बैंक निविदा देने वाले को कोई भी अतिरिक्त शर्तें लगाने से मना करता है। हालांकि, अगर निविदा देने वाले को लगता है कि निविदा दस्तावेज (टेक्नो-कमर्शियल) के कोई भी नियम और शर्तें उन्हें मंज़ूर नहीं हैं या उन्हें लगता है कि अतिरिक्त नियम और शर्तें शामिल करने की ज़रूरत है, तो वे अनुलग्नक VIII के अनुसार फॉर्मेट में अपलोड की गई इन शर्तों या अतिरिक्त या बदली हुई शर्तों को बता सकते हैं। जमा किए गए विचलन की जांच की जाएगी और सभी निविदा देने वालों से बातचीत के बाद, बैंक को मंज़ूर की गई शर्तों के बारे में निविदा देने वालों को बताया जाएगा। अगर मंज़ूर की गई शर्तें कीमत पर असर डालती हैं, तो सभी निविदा देने वालों को सलाह दी जाएगी कि वे भाग II में पहले से जमा की गई अपनी निविदा की गई रकम से कुछ ज़्यादा या कम परसेंट कोट करें। अपनी निविदा की गई रकम से ज़्यादा या कम परसेंट कोट करने का निविदा देने वालों की शर्तों/शर्तों पर पक्का असर पड़ेगा या बैंक द्वारा मंज़ूर की गई शर्तों के अनुसार मिलने वाले अतिरिक्त फायदे पर भी असर पड़ेगा। निविदा देने वाले द्वारा कोट की गई रकम से ज़्यादा या कम परसेंट कोट करने वाला लेटर, बाद में विभाग को तय तारीख को या उससे पहले सीलबंद लिफाफे में जमा किया जाना चाहिए और निविदा देने वालों को बताया जाना चाहिए। यह लेटर, पहले से जमा किए गए निविदा रेट के साथ, भाग II कहलाएगा, और बताई गई तारीख पर फर्मों के प्रतिनिधियों के सामने खोला जाएगा। बाकी सभी नियम और शर्तें, जिन पर निविदा देने वाले की कोई राय नहीं है, उन्हें निविदा देने वाले को मंज़ूर माना जाएगा।

9. **वैधता** : निविदा भाग-I खुलने की तारीख से 90 दिनों के समय तक बैंक निविदा स्वीकार करने के लिए खुले रहेंगे। इस समय को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है और निविदा देने वाला इस समय के दौरान निविदा को कैंसिल या वापस नहीं लेगा।

10. **भाषा** : निविदा फ़ॉर्म इंग्लिश में भरना होगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट गायब है या उस पर साइन नहीं है, तो बैंक अपनी मर्ज़ी से निविदा को अवैध मान सकता है । किसी फर्म की तरफ़ से जमा किए गए निविदा पर फर्म के सभी पार्टनर या ऐसे पार्टनर के साइन होने चाहिए, जिसके पास प्रस्तावित संविदा में शामिल होने के लिए फर्म की तरफ़ से ज़रूरी अथॉरिटी (अनुलग्नक-I) हो, नहीं तो बैंक निविदा रिजेक्ट कर सकता है।

11. **प्राइस-बिड में रेट (भाग II)** : सारा भुगतान INR में किया जाएगा

I. दिए गए रेट पक्के होंगे और उन पर एक्सचेंज रेट, ड्यूटी, लोकल लेवी, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट लाइसेंस फीस या राज्य/लोकल बॉडी द्वारा लगाए गए किसी भी दूसरे टैक्स/ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं होगा।

II. रेट पूरे कार्य के लिए दिए जाएंगे, यानी एस्केलेटर का डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग। इसमें बताई गई साइट पर सभी टैक्स, स्कैफोल्डिंग, कंज्यूमेबल, लेबर, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, स्टोरेज, वर्कमैन

कम्पेनसेशन और थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी वगैरह के चार्ज शामिल होंगे, जब तक कि कार्य आखिरकार बैंक को हैंडओवर नहीं हो जाता। बैंक किसी भी टैक्स, ड्यूटी और लेवी के लिए कोई कंसेशनल फॉर्म जारी नहीं करेगा। अगर इक्विपमेंट इम्पोर्ट करने की ज़रूरत है, तो उसे संविदाकर्ता के अपने इम्पोर्ट लाइसेंस पर इम्पोर्ट करने का इंतज़ाम किया जाएगा।

III. भाग II की संबंधित रो/कॉलम में प्रस्तावित एस्केलेटर के लिए सभी चार्ज मिलाकर वार्षिक सीएएमसी रेट बताएं।

12. **सफल बोलीकर्ता** : जिस बोलीकर्ता ने भाग II में सबसे कम बोली लगाई है (क्लॉज 15 में बताए गए इमूल्यएशन मानदंड के अनुसार), उसे निविदा के सभी टेक्नो-कमर्शियल नियम और शर्तें का पालन करने पर सफल या L1 बोलीकर्ता माना जाएगा।

13. **करार की शर्तें:** बैंक से अपने निविदा के स्वीकृति की जानकारी/लेटर ऑफ़ अवार्ड/वर्क ऑर्डर मिलने पर, सफल निविदार को वर्क ऑर्डर जारी होने की तारीख से 14 दिनों के अंदर करार की शर्तों (फॉर्मेट अनुलग्नक IX के अनुसार) पर साइन करना होगा। करार, लागू स्टाम्प एक्ट के अनुसार ज़रूरी कीमत के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए और इसका खर्च पूरी तरह से निविदा देने वाले को उठाना होगा।

14. **जमानत राशि (एसडी) का टाइप:**

I. **रिटेंशन मनी:** हर ऑन-अकाउंट बिल से 5% की दर से रिटेंशन मनी तब तक रिकवर की जाएगी, जब तक कुल रिकवरी संविदा मूल्य का 5% न हो जाए, जैसा कि निविदा डॉक्यूमेंट में बताया गया है। यह रकम डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि (डीएलपी) पूरा होने के बाद संविदाकर्ता को बिना किसी ब्याज के जारी कर दी जाएगी। फर्म रिटेंशन मनी के बदले बैंक गारंटी (बीजी) भी जमा कर सकती है। डीएलपी के एक साल तक वैलिड। बीजी का फॉर्मेट अनुलग्नक-X में बताया गया है।

II. **परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी):** ऊपर बताई गई रिटेंशन मनी के अलावा, कार्य मिलने पर, सफल निविदा देने वाले को संविदा की कीमत का 5% (पांच प्रतिशत) बैंक गारंटी (बीजी) के तौर पर देना होगा, जैसा कि अनुलग्नक-X में बताया गया है। संविदा की पूरी अवधि (कार्य पूरा होने की तारीख+डीएलपी+60 दिन) के लिए संविदाकर्ता संविदा की ज़िम्मेदारियों को ठीक से पूरा करेगा। यह परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) शुरू में संविदा की अवधि प्लस 60 दिन के लिए वैलिड होगी और संविदा की अवधि बढ़ाने पर कार्य की डीएलपी प्लस 60 दिन तक सही तरीके से बढ़ाई जाएगी। ऐसी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) वर्क ऑर्डर जारी होने के 14 दिनों के अंदर बैंक को जमा करनी होगी।

III. निविदा में बताए गए तरीके से परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा करना पक्का किया जाएगा। अगर ज़रूरी वजहों से देरी होती है, तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा करने में देरी का चार्ज, संविदाकर्ता के बिल से बैंक रेट पर वसूला जाएगा।

IV. अगर निविदा में बताई गई डीएलपी की शर्तों का पालन ठीक से नहीं होता है, तो बैंक के पास डीएलपी के दौरान किसी भी समय, यानी कार्य सौंपने के एक साल बाद तक बैंक गारंटी लागू करने का अधिकार है।

V. **व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी-पीबीजी) के लिए परफॉर्मेंस बैंक गारंटी:** परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (5%) और रिटेंशन मनी (5%) एक साल का डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि पूरा होने के बाद और 19 साल के लिए कमिटेड व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी) अवधि की शर्तों और जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए नई परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) जमा करने पर जारी की जाएगी (डीएलपी के एक साल बाद) अनुलग्नक X में बताए गए फॉर्मेट में। पीबीजी को डीएलपी पूरा होने से 15 दिन पहले बैंक में जमा करना होगा। सीएएमसी की जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए पीबीजी संविदाकर्ता द्वारा इस तरह जमा किया जाएगा:

a) एस्केलेटर की कैपिटल कॉस्ट के 10% के बराबर पीबीजी, सीएएमसी के शुरुआती 10 सालों के लिए वैलिड है।
b) एस्केलेटर की कैपिटल कॉस्ट के 5% के बराबर एक नया पीबीजी (यानी पिछले पीबीजी का 50%) सीएएमसी के बाकी 9 सालों के लिए वैलिड है।

टिप्पणी:

1. पूंजीगत लागत या संविदा मूल्य
2. संविदाकर्ता को रिन्यू किया गया पीबीजी ड्यू डेट से कम से कम 15 दिन पहले जमा करना होगा। संविदा अवधि के दौरान ठीक से कार्य न करने पर बैंक गारंटी लागू करने का अधिकार रखता है।

15. निविदा का मूल्यांकन:

15.1 निविदा का मूल्यांकन न केवल एस्केलेटर के लिए बताई गई कैपिटल कॉस्ट में से पुराने एस्केलेटर की बायबैक मूल्य घटाकर किया जाएगा, बल्कि सभी एस्केलेटर सौंपने के बाद, डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि के एक साल खत्म होने के बाद 19 साल के समय के लिए व्यापक ऑल इनक्लूसिव वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी) के लिए बताई गई दरों के असर को भी ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसके लिए नेट प्रेजेंट मूल्य (एनपीवी) मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। सीएएमसी अमाउंट का एनपीवी निकालने के लिए, इन बातों पर विचार किया जाएगा:

(ए)	छूट कारक	8% प्रति वर्ष
(बी)	वार्षिक वृद्धि	5% प्रति वर्ष
(सी)	सीएएमसी की अवधि	19 वर्ष
(डी)	सीएएमसी की भुगतान शर्तें	सर्विस ठीक से पूरी होने के बाद छमाही भुगतान

स्वामित्व की कुल लागत = A - B + CX F1

सबसे कम टोटल कॉस्ट ऑफ़ ओनरशिप (TCO) वाले बोलीकर्ता को L1 बोलीकर्ता के तौर पर पहचाना जाएगा।

जहां, A=सभी नए एस्केलेटर की कैपिटल कॉस्ट

B= पुराने एस्केलेटर की बाय बैक मूल्य

C= सभी नए एस्केलेटर की व्यापक एएमसी मूल्य

F1=13.04 (गुणन कारक)

15.2 **व्यापक सीएएमसी के लिए मिनिमम बेस रेट** :

अगर **निविदा देने वाला व्यापक एएमसी के लिए कोट की गई कैपिटल कॉस्ट के 4% से कम रेट बताता है** , तो टोटल कॉस्ट ऑफ़ ओनरशिप के कैलकुलेशन के लिए कोट की गई कैपिटल कॉस्ट (बायबैक को छोड़कर) का 4% (चार) माना जाएगा। हालांकि, बैंक 19 साल के कमिटेड संविदा अवधि के दौरान सीएएमसी का सिर्फ़ कोट किया गया रेट ही देगा, जो निविदा के सेक्शन VII के क्लॉज़ B.1 में बताए गए एस्केलेशन के अधीन होगा।

16. **बीमा:** संविदाकर्ता, वर्क ऑर्डर जारी होने की तारीख से 14 दिनों के अंदर, अपने खर्च पर कार्य का इंश्योरेंस कराएगा और कार्य के लगभग पूरा होने तक उसे आग से होने वाले नुकसान या क्षति के खिलाफ़ इंश्योर रखेगा। नियोक्ता और संविदाकर्ता के जॉइंट नाम से एक ऑफिस होगा (पॉलिसी में नियोक्ता का नाम यानी "RESERVE BANK OF INDIA" पहले लिखा जाएगा)। इसमें नीचे दिए गए रिस्क कवर होंगे।

I. **संविदाकर्ता की ऑल रिस्क (सीएआर) पॉलिसी** इंश्योरेंस में स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी शामिल है, जो पूरे संविदा मूल्य के लिए है, जिसमें आग लगने का खतरा भी शामिल है, और मैन्युफैक्चरर के कार्य से साइट तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांजिट इंश्योरेंस (हवा/समुद्र/सड़क वगैरह से, जैसा भी लागू हो)।

II. साइट पर संविदाकर्ता के कर्मचारियों के लिए **वर्कमैन कम्पेनसेशन पॉलिसी ।**

III. हर एक्सीडेंट पर 5 लाख रुपये की लिमिट वाली **थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी ।**

नोट: अगर संविदाकर्ता ये पॉलिसी नहीं देता है, तो बैंक के पास यह अधिकार है कि वह ऊपर बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसी खुद ले ले और संविदाकर्ता के बिल से **पेनल्टी के तौर पर दोगुनी कीमत वसूले या कोई और कार्रवाई करे,** जैसा वह ठीक समझे।

17. **ड्राइंग और दस्तावेज** : संविदाकर्ता सारा कार्य बैंक के इंजीनियर की ड्राइंग, डिटेल्स स्पेसिफिकेशन्स और इंस्ट्रक्शन्स के हिसाब से ही करेगा। कार्य पूरा होने के बाद, संविदाकर्ता पूरे सिस्टम की एग्जीक्यूटेड लेआउट ड्राइंग एक फ्लैश डिस्क ड्राइव (पेन ड्राइव) में और रिकॉर्ड के लिए उसकी तीन हार्ड कॉपी जमा करेगा। क्वांटिटी का शेड्यूल संभावित क्वांटिटी पर आधारित है। संविदाकर्ता को ध्यान देना चाहिए कि जब तक कुछ और न कहा जाए, निविदा पूरी तरह से आइटम रेट के आधार पर है और उसका ध्यान इस बात पर दिलाया जाता है कि हर आइटम के लिए रेट सही, कार्य करने लायक और सेल्फ-सपोर्टिंग होने चाहिए। क्वांटिटी के शेड्यूल में दी गई क्वांटिटी लगभग कार्य की कुल सीमा बताती है, लेकिन यह किसी भी हद तक अलग हो सकती है और साइट की कंडीशन और ज़रूरतों के आधार पर बैंक की मर्ज़ी से इसे हटाया भी जा सकता है, जिससे संविदा की कुल मूल्य बदल सकती है। इस वजह से कोई क्लेम नहीं माना जाएगा।

18. **फैक्ट्री इंस्पेक्शन / इंस्पेक्शन का खर्च** : एस्केलेटर का इंस्पेक्शन फैक्ट्री की जगह पर बैंक इंजीनियर करेंगे। संविदाकर्ता बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के, सभी सामान, टूल, लेबर और हर तरह की मदद देगा, जिसकी मांग बैंक के इंजीनियर किसी भी टेस्ट/इंस्पेक्शन और जांच के लिए करेंगे, जो उसे संविदाकर्ता की जगह पर करवाना होगा और

उससे जुड़े सभी खर्च खुद उठाएगा। हालांकि, इंस्पेक्शन की जगह तक बैंक के इंजीनियर के आने-जाने, रहने और खाने का खर्च बैंक उठाएगा।

19. **परीक्षण की विधि:**

I. सिस्टम को मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री/संविदाकर्ता के कार्य में टेस्ट किया जाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि दिए गए स्पेसिफिकेशन्स का पालन हो रहा है।

II. बैंक को टेस्टिंग के लिए सिस्टम देने से पहले, फर्म को निविदा में बताए गए अलग-अलग टेस्ट अपनी फैक्ट्री में करने होंगे और उन टेस्ट रिपोर्ट की कॉपी बैंक को भेजनी होगी, साथ ही बैंक की टेस्टिंग के लिए इनविटेशन भी देना होगा। बैंक के इंजीनियरों द्वारा इक्विपमेंट की टेस्टिंग के समय सभी टेस्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध होनी चाहिए। इस स्टेज पर तय लिमिट को पूरा करने वाला संतोषजनक परफॉर्मेंस ही सिस्टम की मंज़ूरी माना जाएगा। जो सिस्टम तय स्पेसिफिकेशन्स से कम होगा, उसे रिजेक्ट किया जा सकता है।

III. इसके अलावा, सिस्टम के ठीक से कार्य करने और परफॉर्मेंस के लिए साइट पर टेस्ट किया जाएगा।

IV. लेकिन, ऊपर बताई गई बात किसी भी तरह से संविदाकर्ता को तय जगह पर इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के बाद सिस्टम/कंपोनेंट्स के सही परफॉर्मेंस के बारे में उसकी ज़िम्मेदारी से नहीं बचाएगी।

20. **इंस्पेक्टर को परफॉर्मेंस सर्टिफ़ाई करने का अधिकार** : बैंक के इंजीनियर के पास ये अधिकार होंगे:

I. यह सर्टिफ़ाई करना कि सिस्टम या उसका कोई हिस्सा संविदा के हिसाब से नहीं है, क्योंकि बनाने का तरीका ठीक नहीं है।

II. किसी भी उपकरण या भाग को विनिर्देश के अनुरूप न होने के कारण अस्वीकार करना;

III. इंस्पेक्शन के लिए दिए गए पूरे इक्विपमेंट को रिजेक्ट कर देना, अगर उसके किसी हिस्से के इंस्पेक्शन के बाद, जैसा वह अपनी समझ से ठीक समझे, उसे लगता है कि वह ठीक नहीं है; और

IV. रिजेक्ट किए गए इक्विपमेंट या पार्ट्स पर रिजेक्शन मार्क लगाना ताकि दोबारा सबमिट करने पर उन्हें आसानी से पहचाना जा सके।

रिजेक्शन के बारे में बैंक के इंजीनियर का फैसला आखिरी होगा और संविदाकर्ता की अपील के हिसाब से संविदाकर्ता पर लागू होगा।

21. **रिजेक्शन का नतीजा** : अगर इक्विपमेंट या इक्विपमेंट या उसका कोई हिस्सा बैंक के इंजीनियर द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो संविदाकर्ता को अपने रिस्क और खर्च पर उसे ठीक करना/बदलना होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त टाइम नहीं दिया जाएगा।

22. **पैकिंग और डिस्पैच:** इक्विपमेंट को भारतीय हालात में कई बार हैंडल करने और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सही बॉक्स में ठीक से और सुरक्षित रूप से पैक किया जाना चाहिए। सभी इक्विपमेंट/कंपोनेंट बैंक के ऑफिस बिल्डिंग में ड्यूटी डिलीवरी पेड (DDP) बेसिस पर डिलीवर किए जाएंगे।

23. **पूरा होने का समय:**

(a) मेमोरेंडम में बताए गए कार्य को पूरा करने के लिए संविदाकर्ता को जो समय दिया गया है, उसका सख्ती से पालन करना होगा और यह कार्य शुरू करने का लिखित ऑर्डर जारी होने के 10वें दिन से माना जाएगा। संविदा

की तय अवधि के दौरान कार्य पूरी सावधानी से किया जाएगा और अगर संविदाकर्ता तय अवधि के अंदर कार्य पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे संविदा की शर्तों के क्लॉज़ 28 में बताए गए हिसाब से मुआवज़ा देना होगा । निविदा देने वाले को कार्य शुरू करने से पहले एक डिटेल्ड वर्क प्रोग्राम तैयार करना होगा जिसे नियोक्ता से मंज़ूरी लेनी होगी।

(b) संविदाकर्ता को कार्य शुरू करने या पूरा करने में देरी की वजह से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा, चाहे देरी की वजह कुछ भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में बदलाव या उससे जुड़े किसी सब-संविदा में देरी या प्रोजेक्ट के दूसरे कामों के लिए संविदा देने में देरी या ऐसे कामों को शुरू या पूरा करने में देरी या सरकारी कंट्रोल वाला या दूसरा बिल्डिंग मटीरियल खरीदने में देरी या कंस्ट्रक्शन के मकसद से पानी और बिजली के कनेक्शन लेने में देरी या कोई भी दूसरी वजह शामिल है और नियोक्ता इस बारे में किसी भी दावे के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। नियोक्ता निविदा की रकम के अलावा किसी भी रकम के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, बशर्ते कि इसमें बताए गए बदलाव हों।

(c) **अनुलग्नक XI** में दिए गए कार्य के बड़े आइटम के हिसाब से टाइम शेड्यूल बताना होगा ।

24. **परिनिर्धारित हर्जाना** : समय संविदा का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। पूरा कार्य 5 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। संविदा के तय समय के दौरान, कार्य पूरी सावधानी से किया जाएगा । अगर संविदाकर्ता इस तय समय में कार्य पूरा नहीं कर पाता है, तो वह इसके लिए ज़िम्मेदार होगा। **देरी होने पर हर हफ़्ते** संविदा मूल्य **का 0.25%** परिनिर्धारित हर्जाना, जो संविदा मूल्य का ज़्यादा से ज़्यादा 10% हो सकता है (c संविदा मूल्य का मतलब है कार्य की कैपिटल कॉस्ट की कुल मूल्य), जैसा कि संविदा के "इसमें पहले बताए गए अपेंडिक्स" में बताया गया है। परिनिर्धारित हर्जाना इस तरह से लगाया जाएगा:

I. अगर संविदाकर्ता संविदा में तय समय तक या टाइम एक्सटेंशन क्लॉज़ के तहत किसी भी बढ़े हुए समय में कार्य पूरा करने में नाकाम रहता है और नियोक्ता लिखकर सर्टिफ़ाई करता है कि उसकी राय में कार्य ठीक से पूरा हो जाना चाहिए था, तो संविदाकर्ता नियोक्ता को उस समय के लिए "परिनिर्धारित हर्जाना" नाम की रकम देगा, जब तक कार्य अधूरा रहेगा और नियोक्ता संविदाकर्ता को मिलने वाले किसी भी पैसे में से ऐसे डैमेज की रकम काट सकता है।

II. इस प्रोजेक्ट को नीचे दिए गए तीन माइलस्टोन में बांटा गया है, जो हर माइलस्टोन को पाने के लिए लगने वाले समय और रकम को दिखाते हैं। अगर संविदाकर्ता संविदा में बताए गए किसी खास माइलस्टोन या टाइम एक्सटेंशन क्लॉज़ के हिसाब से रीशेड्यूल किए गए माइलस्टोन को हासिल नहीं कर पाता है, तो माइलस्टोन के लिए टारगेटेड फाइनेंशियल प्रोग्रेस और रनिंग अकाउंट बिल अंडर प्रोसेसिंग तक की देरी के आधार पर कैलकुलेट की जाने वाली रकम को (नीचे दिए गए तरीके के अनुसार) रोक लिया जाएगा, ताकि संविदा पूरा होने के समय लगाए गए परिनिर्धारित हर्जाना में एडजस्ट किया जा सके। माइलस्टोन हासिल न कर पाने पर भुगतान ऑटोमैटिक रूप से और संविदाकर्ता को बिना किसी नोटिस के रोक लिया जाएगा। हालांकि, अगर संविदाकर्ता बाद के माइलस्टोन पर कार्य की प्रोग्रेस को पूरा कर लेता है, तो रोकी गई रकम वापस कर दी जाएगी। अगर संविदाकर्ता बाद के माइलस्टोन से पहले देरी की भरपाई करने में नाकाम रहता है, तो हर छूटे हुए माइलस्टोन के सामने बताई गई रकम भी रोक ली जाएगी। बैंक ऐसी रोकी गई रकम/राशियों पर कोई भी ब्याज नहीं देगा।

III. देरी का समय माइलस्टोन के होने की तय तारीख से लेकर माइलस्टोन पूरा होने तक कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन किसी खास माइलस्टोन तक पहुंचने से पहले RA बिल से काटी जाने वाली रकम आरए बिल की तारीख तक की देरी के लिए कैलकुलेट की जाएगी। परिनिर्धारित हर्जाना देने से माइलस्टोन में कोई बदलाव नहीं होगा या संविदाकर्ता कार्य की प्रोग्रेस को बेहतर बनाने की अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा।

IV. संविदाकर्ता इसके द्वारा खास तौर पर सहमत होता है और नियोक्ता को यह अधिकार देता है कि वह इस संविदा के हिसाब से संविदाकर्ता को मिलने वाली भुगतान की किसी भी किस्त से या रिटेंशन मनी से ऐसे परिनिर्धारित हर्जाना, अगर कोई हो, काट ले।

नमूना माइलस्टोन चार्ट:

माइलस्टोन	**नियत तारीख**	**माइलस्टोन लक्ष्य राशि**
परियोजना प्रारंभ	डी0	0
1	डी1	टी1
(एनएक्स) वें	डी(एनएक्स)	टी(एनएक्स)
(एन-एक्स+1) वें	डी(एन-एक्स+1)	टी(एन-एक्स+1)
(एन-एक्स+2) वें	डी(एन-एक्स+2)	टी(एन-एक्स+2)
(एन-1) वें	डी(एन-1)	टी(एन-1)
एन वें	डी(एन)	टी(एन)

$D_{(R)}$ पर मिला RA बिल R की ग्रॉस रकम के लिए सर्टिफाइड है, जहाँ:

a) $T_{(NX)} \leq R < T_{(N-X+1)}$ यानी, प्रोग्रेस (NX) th माइलस्टोन तक पहुँच गई

b) RA बिल की तारीख $D_{(R)}$, $D_{(N)}$ के बाद है, यानी RA बिल की तारीख को N वां माइलस्टोन ड्यू हो गया है।

c) Nth माइलस्टोन हासिल न करने पर रकम रोक लें

$A_{(N)} = (0.0025/7)*(D_R - D_N)*(T_N - T_{(N-1)})$ जहाँ $T_{(N-1)}$ शून्य होगा यदि Nवां माइलस्टोन विलंबित माइलस्टोन की शृंखला में पहला है।

V. मौजूदा RA बिल के लिए ग्रॉस विदहोल्ड अमाउंट: विदहोल्ड अमाउंट की कैलकुलेशन इस तरह की जाएगी:

a) पिछले RA बिल तक देरी से हासिल किए गए माइलस्टोन के लिए रोकी गई रकम = P

b) मौजूदा RA बिल के दौरान देरी से हासिल किए गए माइलस्टोन के लिए रोकी गई रकम = Q

c) मौजूदा RA बिल तक बकाया माइलस्टोन के लिए रकम रोक लें, लेकिन हासिल न करें। = R

$P = A_{(1)}+A_{(2)}+\ldots..+A_{(N-X-1)}$

$Q = A_{(N-X)}$

$R=(0.0025/7)*((D_R-D_{(N-X+1)})*(T_{(N-X+1)}-T_{(N-X)})+(D_R-D_{(N-X+2)})*(T_{(N-X+2)}-T_{(N-X+1)}) +\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots+(D_R-D_{N)})*(T_{(N)}- T_{(N-1)}))$

इस प्रोजेक्ट के लिए N=7 यानी सात माइलस्टोन इस तरह हैं:

माइलस्टोन	**कार्य शुरू होने के तय महीने से**	**माइलस्टोन लक्ष्य राशि**
परियोजना प्रारंभ	डी $_0$	0
1 सैट	D_1 = 3 महीने	T_1 = संविदा मूल्य का 50%
2 वां	D_2 = 4.5 महीने	T_2 = संविदा मूल्य का 70%
तीसरा	D_3 = 5 महीने	T_3 = संविदा मूल्य का 100%

न्यूनतम रनिंग अकाउंट बिल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 20% होगा।

25. **भुगतान की शर्तें** : **भुगतान की ये शर्तें, सांविधिक कटौतियों के तहत, इस संविदा पर लागू होंगी:**

I. बताए गए रेट की 70% मूल्य, फैक्ट्री में इक्विपमेंट के टेस्ट होने के बाद और साइट पर सभी एंसिलरी आइटम के साथ डिलीवरी होने पर, और नियोक्ता के अधीकृत रिप्रेजेंटेटिव द्वारा साइट पर नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट जमा करने के साथ स्वीकार किए जाने पर, प्रो-राटा बेसिस पर जारी की जाएगी।

a. निर्माता का निरीक्षण और परीक्षण प्रमाणपत्र

b. सर्टिफिकेट कि सिस्टम के सफल इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और टेस्टिंग, जिसमें रखरखाव भी शामिल है, के लिए सभी कंपोनेंट, पार्ट्स, सबसिस्टम, कंज्यूमेबल्स वगैरह साइट पर अच्छी कंडीशन में मिल गए हैं और अगर इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और टेस्टिंग के दौरान कोई कमी दिखती है, तो वे बैंक को फ्री में दिए जाएंगे।

c. निविदा की शर्तों के अनुसार इंश्योरेंस/पीबीजी की पॉलिसी।

II. माइलस्टोन के अनुसार पुराने एस्केलेटर हटाने और नए एस्केलेटर लगाने के बाद, बताए गए रेट का 20% प्रो-राटा बेसिस पर जारी किया जाएगा।

III. बाकी 10% कोट किए गए रेट का, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और सिस्टम को बैंक को सौंपने और कोलकाता के लिफ्ट इंस्पेक्टरेट से एस्केलेटर लाइसेंस जमा करने पर दिया जाएगा।

IV. इसके अलावा, सरकारी नियमों के अनुसार IT सरचार्ज, TDS और कोई भी दूसरा कानूनी टैक्स और RMD @5% सभी रनिंग अकाउंट बिल से काटा जाएगा।

26. **प्रत्येक कार्य के लिए क्वांटिटी का शेड्यूल** : क्वांटिटी के शेड्यूल में बैंक अपनी मर्ज़ी से कुछ कमी, कटौती या बढ़ोतरी कर सकता है। भुगतान सिर्फ़ कार्य के पूरे हुए आइटम के माप के आधार पर किया जाएगा। कार्य पूरा होने के बाद बचा हुआ कोई भी अतिरिक्त सामान का भुगतान नहीं किया जाएगा।

27. **साइट की कंडीशन** : कार्य एक ऐसे ऑफिस बिल्डिंग में करना होगा जिसमें लोग हों, जिससे कार्य के घंटों में कार्य करने की जगह कम मिल सकती है। इसलिए, निविदा देने वालों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक के नॉर्मल कार्य के घंटों के बाद और शनिवार / रविवार / बैंक की छुट्टियों में पूरे दिन कार्य करने की योजना बनाएं, यह साइट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निविदा जमा करते समय ऊपर बताई गई बातों का ध्यान रखें।

I. यह ज़रूरी है कि संविदाकर्ता सुरक्षा, धूल और ढीले सामान से बचाव, शोर कम करने, बिल्डिंग में पानी और हवा के घुसने से बचाव, और बिल्डिंग के अंदर और बाहर कार्य करने की जगहों पर साफ़-सफ़ाई और व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी सभी बातों पर खास ध्यान दे और उन्हें प्राथमिकता दे। पैकेजिंग, कबाड़ का सामान और तोड़-फोड़ का मलबा रोज़ाना बिल्डिंग और साइट से तुरंत हटा दिया जाएगा।

II. अगर संविदा में ऐसे कार्य शामिल हैं, जो नॉर्मल बिज़नेस ऑपरेशन में रुकावट डालेंगे, या बिल्डिंग में रहने वालों के लिए खतरनाक होंगे, तो ये कार्य नियोक्ता के बताए गए समय में किए जाएंगे। संविदाकर्ता ऐसा कार्य नियोक्ता के बताए गए समय में करेगा और अपने निविदा में सारा खर्च शामिल करेगा।

28. **पुलिस वेरिफिकेशन** : संविदाकर्ता को संविदा के तहत अपने द्वारा रखे गए कामगारों का पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना होगा, अगर वे साइट पर रेगुलर कार्य करते हैं।

B. <u>संविदा की विशेष शर्त:</u>

29. **भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के बोलीदाताओं पर नियमों का पालन:** भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सार्वजनिक खरीद प्रभाग द्वारा जारी निर्देश / नियम, कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23 जुलाई, 2020, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के बोलीदाताओं के संबंध में और बाद में किए गए संशोधन और इसके लिए जारी किए गए सार्वजनिक खरीद आदेश अनिवार्य होंगे। इस संबंध में, बोलीदाता अपने लेटर हेड पर उपक्रम / घोषणा / प्रमाण पत्र की एक प्रति **अनुलग्नक XII** में दिए गए प्रारूप में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित प्रस्तुत करेंगे।

30. **डिबारमेंट/कोर्ट केस** : अगर बोलीकर्ता को किसी जुर्म का दोषी ठहराया गया है— (a) प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के तहत; या (b) इंडियन पीनल कोड या उस समय लागू किसी दूसरे कानून के तहत, पब्लिक प्रोक्योरमेंट संविदा को पूरा करते समय जान-माल का नुकसान पहुँचाने या पब्लिक हेल्थ को खतरा पहुँचाने के लिए। इस बारे में,

बोलीकर्ता को अपने लेटर हेड पर अंडरटेकिंग/डिक्लेरेशन/सर्टिफिकेट की एक कॉपी जमा करनी होगी, जिस पर अधीकृत सिग्नेटरी के साइन हों और वह **अनुलग्नक XIV** में दिए गए फॉर्मेट में हो ।

31. साइट विज़िट और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स काफ़ी हैं: माना जाएगा कि संविदाकर्ता ने प्रस्तावित एस्केलेटर लगाने के लिए साइट विज़िट की है और निविदा देने से पहले कार्य के लिए अपने निविदा और क्वांटिटी के शेड्यूल और/या रेट्स और प्राइस के शेड्यूल में बताई गई कीमतों के सही होने और काफ़ी होने के बारे में खुद को संतुष्ट कर लिया है। ये रेट्स और कीमतें संविदा के तहत उसकी सभी ज़िम्मेदारियों और कार्य को ठीक से पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी मामलों और चीज़ों को कवर करेंगी। बोलीकर्ता अपने लेटर हेड पर अंडरटेकिंग / डिक्लेरेशन / सर्टिफिकेट की एक कॉपी जमा करेगा, जिस पर अधीकृत सिग्नेटरी के साइन होंगे और वह **अनुलग्नक XIII** में दिए गए फ़ॉर्मेट में होगा।

----------x----------

खंड IV

सुरक्षा कोड (ए और बी)

ए. सामान्य सुरक्षा

1. फर्स्ट एड के सामान, जिसमें स्टेरिलाइज़्ड ड्रेसिंग और रूई की सही सप्लाई शामिल है, आसानी से मिलने वाली जगह पर दिए जाएंगे।
2. अगर चोट की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत हो, तो घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए पब्लिक हॉस्पिटल ले जाना चाहिए।
3. जो कार्य ज़मीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, उनके लिए कार्य करने वालों को सही और मज़बूत मचान दिए जाने चाहिए।
4. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 8 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होगी। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 cm (साफ़) से कम नहीं होगी और दो आस-पास के डंडों के बीच की दूरी 30 cm से ज़्यादा नहीं होगी। जब सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर लगाया जाएगा।
5. खुदाई का सामान खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की आधी गहराई के अंदर नहीं रखा जाएगा, जो भी ज़्यादा हो। सभी खाइयों और खुदाई वाली जगहों पर ज़रूरी फेंसिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी।
6. किसी बिल्डिंग के फ़र्श या कार्य करने वाले प्लेटफ़ॉर्म में हर खुली जगह पर लोगों या सामान को गिरने से बचाने के लिए सही फेंसिंग या रेलिंग लगाई जाएगी; कम से कम ऊंचाई एक मीटर होगी।
7. किसी भी फ़र्श, छत या स्ट्रक्चर के दूसरे हिस्से पर इतना ज़्यादा मलबा या सामान नहीं होना चाहिए कि वह अनसेफ हो जाए।
8. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूना मोर्टार जैसे मटीरियल को मिलाने और संभालने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्टिव फुटवियर और रबर हैंड-ग्लव्स दिए जाएंगे।
9. वेल्डिंग के कार्य में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षा के लिए आई-शील्ड और ग्लव्स दिए जाएंगे।
10. i) लेड या लेड प्रोडक्ट्स वाला कोई भी पेंट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिवाय पेस्ट या रेडीमेड पेंट के।
    ii) जब स्प्रे के रूप में पेंट लगाया जाता है या लेड पेंट वाली सतह को सूखा रगड़कर हटाया जाता है, तो कार्य करने वालों के इस्तेमाल के लिए सही फेस मास्क दिए जाएंगे।
11. पेंटर्स को ओवरऑल्स संविदाकर्ता द्वारा दिए जाएंगे और कार्य बंद होने के दौरान पेंटर्स को धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी जाएंगी।
12. कार्य में इस्तेमाल होने वाली होइस्टिंग मशीनें और सामान, उनके अटैचमेंट, एंकरेज और सपोर्ट सहित, एकदम सही हालत में होने चाहिए।
13. ऊपर उठाने या नीचे करने वाले सामान या सस्पेंशन के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सियाँ टिकाऊ क्वालिटी की और सही मज़बूत होनी चाहिए और उनमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए।
14. संविदाकर्ता को कानूनी नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए वर्कर्स को सभी सेफ्टी गैजेट्स देने होंगे।
15. कार्य करते समय ज़रूरी फायर सेफ्टी उपाय भी किए जाएंगे।

----------x----------

बी. आग और विद्युत सुरक्षा

1. साइट पर कटिंग / ड्रिलिंग मशीन जैसी अलग-अलग सर्विस के लिए सभी टेम्पररी बिजली सही रेटिंग वाले अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन डिवाइस (ईएलसीबी) से दी जाएगी।
2. सिर्फ़ ISI मार्क वाले 3 पिन प्लग और दूसरे अप्लायंस और इक्विपमेंट ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए। इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल पावर केबल/वायर सही रेटिंग वाले होने चाहिए और जॉइंट से बचना चाहिए। अगर हैं, तो जॉइंट सही और इंसुलेटेड होना चाहिए।
3. सभी बिजली के उपकरण जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन, वगैरह को कार्य करते समय लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से अर्थ किया जाना चाहिए। किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग का कार्य शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन
4. फायर ऑफिसर/पर्सनल के साइट इंस्पेक्शन के बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा।
5. आग बुझाने के लिए तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार, साफ़ सूखी रेत से भरी फायर बकेट, आग से निपटने के लिए सही फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा, साफ़ तौर पर मार्क की जाएंगी और साइट पर आसान जगह पर रखी जाएंगी।
6. इस्तेमाल किए गए पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही बताए गए स्टोर में स्टोर किया जाना चाहिए।
7. किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को उसकी तय जगह से हटाया/शिफ्ट नहीं किया जाएगा।
8. कार्य की ज़रूरत के हिसाब से, कार्य करने वाले लोग कार्य से होने वाले हेल्थ खतरों से बचने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स, वेल्डर मास्क, इयर प्लग वगैरह का इस्तेमाल करेंगे।
9. एस्केलेटर लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी रास्ते का इस्तेमाल किसी भी तरह का सामान/कचरा रखने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
10. जब इक्विपमेंट इस्तेमाल में न हो, तो मेन्स से पावर सप्लाई बंद कर दी जाएगी।
11. कार्य से निकलने वाली लकड़ी की छीलन, बुरादा या कोई भी कचरा रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और सही तरीके से तय जगह पर स्टोर किया जाएगा।
12. कार्य के दौरान कार्य की जगह पर ठीक से रोशनी होनी चाहिए।
13. सभी बिजली के कार्य लाइसेंस वाले/अधीकृत इलेक्ट्रीशियन/वायरमैन से ही करवाए जाने चाहिए।
14. लाइट के लिए टेम्पररी तार बिछाने से बचने के लिए कार्य की जगह पर पोर्टेबल बैटरी से चलने वाली लाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
15. कार्य की जगह पर ज़रूरी बैरिकेडिंग और अच्छी क्वालिटी के साइन बोर्ड खास जगहों पर लगाए जाएंगे।
16. एल्युमिनियम/स्टील की सीढ़ियों के बेस पर सही रबर इंसुलेशन होना चाहिए और जहाँ भी ज़रूरत हो, इन सीढ़ियों को इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग सेफ़ रबर मैट पर रखा जाना चाहिए।
17. कार्य से निकलने वाले किसी भी मलबे को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और सही तरीके से तय जगह पर स्टोर किया जाएगा।

----------एक्स----------

खंड V

संविदा की सामान्य शर्तें जिन्हें आगे संदर्भित किया गया है

व्याख्या खंड

1. इन शर्तों, कार्य का दायरा, स्पेसिफिकेशन्स, मात्राओं का शेड्यूल और संविदा करार को समझने में, नीचे दिए गए शब्दों का वही मतलब होगा जो उन्हें इसमें दिया गया है, सिवाय इसके कि जहाँ विषय या संदर्भ के लिए कुछ और ज़रूरी हो।

I.	"नियोक्ता"	इसका मतलब होगा भारतीय रिज़र्व बैंक और इसमें उसके असाइन किए गए और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
II.	"आरबीआई"	इसका अभिप्राय भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई– 400001 में है और जिसके क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न स्थानों पर हैं।
III.	"निविदा दस्तावेज़"	इसका मतलब है नियोक्ता द्वारा बिडर्स को प्रोजेक्ट के लिए बिड इनवाइट करने के लिए जारी किया गया डॉक्यूमेंट।
IV.	"संविदाकर्ता/बोलीदाता/ निविदाकर्ता"	"संविदाकर्ता/निविदा/बोलीकर्ता" का मतलब है जो निविदा में हिस्सा लेता है। यह पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल फर्म और कंपनी हो सकती है। मरे हुए पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव।
V.	"साइट"	इसका मतलब संविदा के कार्य की साइट से है, जिसमें कोई भी बिल्डिंग और उस पर बनी चीज़ें और कोई भी दूसरी ज़मीन (इसमें शामिल है) जो नियोक्ता ने संविदाकर्ता के इस्तेमाल के लिए दी है।
VI.	"संविदा"	इसका मतलब है और इसमें निविदा डॉक्यूमेंट के सभी सेक्शन, उससे जुड़े लेटर, वर्क ऑर्डर, आर्टिकल्स ऑफ़ करार, सीएएमसी करार और प्री-बिड के मिनट्स वगैरह शामिल हैं, जो इसके साथ अटैच हैं और सही तरह से साइन किए गए हैं।
VII.	"लिखित सूचना"	या लिखित नोटिस का मतलब है लिखित, टाइप या प्रिंटेड अक्षरों में भेजा गया नोटिस (जब तक कि खुद डिलीवर न किया गया हो या यह साबित न हो कि वह मिल गया है) रजिस्टर्ड पोस्ट से उस आखिरी पता प्राइवेट या बिज़नेस पते पर भेजा गया हो, जब पोस्ट के आम तरीके से उसे डिलीवर किया जाता।
VIII.	"दिवाला अधिनियम"	**इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड (IBC), 2016** के तहत बताए गए किसी भी इन्सॉल्वेंसी एक्ट या ऐसे ओरिजिनल में बदलाव करने वाले किसी एक्ट से होगा।

IX.	“निवल मूल्य”	सीपीपीपी में निविदा के भाग II में बताई गई चीज़ की कीमत।
X.	“बाज़ार दर”	दर, प्रभारी अभियंता द्वारा उस स्थल पर सामग्री और श्रम की लागत के आधार पर तय की जाएगी जहां कार्य निष्पादित किया जाना है, साथ ही सभी ओवरहेड्स और मुनाफे को कवर करने के लिए खंड 19 (ई) में उल्लिखित प्रतिशतता भी जोड़ी जाएगी ।
XI.	" कार्य "	इसका मतलब एनआईटी में बताए गए निविदा का नाम होगा।
XII.	दिन/महीना/वर्ष	का अर्थ कैलेंडर दिन/माह/वर्ष होगा
XIII.	कार्य दिवस	इसका मतलब उन दिनों से है जब नियोक्ता का ऑफिस कार्य कर रहा हो, यानी पब्लिक हॉलिडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर बाकी दिन
XIV.	प्रभारी अभियंता/बैंक अभियंता	इसका मतलब है इंजीनियर ऑफिसर जिसे नियोक्ता ने कार्य पर रखा है और भुगतान किया है और जो नियोक्ता के ऑर्डर पर कार्य करता है, जो कार्य को सुपरवाइज़ करेगा और उसका इंचार्ज होगा। संविदा के तहत किए जाने वाले सभी कार्य उसके डायरेक्शन में और हर तरह से उसकी मंज़ूरी के तहत किए जाएंगे।
XV.	प्रभारी अभियंता के अधिकृत प्रतिनिधि	(एजीएम(टेक)/मैनेजर(टेक)/एएम(टेक)) का अर्थ है नियोक्ता द्वारा हायर और भुगतान किए जाने वाले इंजीनियर ऑफिसर, जो नियोक्ता के ऑर्डर के तहत कार्य करते हैं, जो इंजीनियर-इन-चार्ज के डायरेक्शन और गाइडेंस में रोज़ाना कार्य के कार्य को सुपरवाइज़ करेंगे।
XVI.	उत्पादक	उस व्यक्ति या फर्म को संदर्भित करता है जो सामग्री का निर्माता और प्रदाता या उपकरणों का डिज़ाइनर और फैब्रिकेटर है
XVII.	संविदाकर्ता का कार्य या निर्माता का कार्य	इसका अभिप्राय और इसमें शामिल होगा भूमि तथा अन्य स्थान जिसका उपयोग संविदाकर्ता/निर्माता या उप-संविदाकर्ता/उप-निर्माता द्वारा “उपकरण” के विनिर्माण या “कार्य” करने के लिए किया जाता है।
XVIII.	संविदा मूल्य या संविदा	रकम का मतलब होगा सफल बोली लगाने वाले के बताए गए यूनिट रेट और मात्राओं के शेड्यूल (प्राइस बिड) में बताई गई मात्राओं से कैलकुलेट की गई कुल रकम, जिसे नियोक्ता ने स्वीकार किया हो और कार्य देने के लेटर में बताया गया हो।
XIX.	संविदा अवधि	इसका मतलब निविदा डॉक्यूमेंट में संविदा पूरा करने/कार्य पूरा करने के लिए बताई गई अवधि होगी, जिसमें नियोक्ता द्वारा दी गई कोई भी अधीकृत बढ़ाई गई अवधि शामिल है।
XX.	ठेका समझौता	इसका मतलब प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए संविदाकर्ता और नियोक्ता के बीच साइन किया गया करार होगा।

2. **<u>संविदा का दायरा</u>**

संविदाकर्ता इस संविदा के अनुसार और नियोक्ता के निर्देशों और उसकी संतुष्टि के अनुसार हर तरह से बताया गया कार्य करेगा और पूरा करेगा। नियोक्ता अपनी मर्ज़ी से और समय-समय पर आगे की ड्राइंग और/या लिखित निर्देश, डिटेल्स, निर्देश और एक्सप्लेनेशन जारी कर सकता है, जिन्हें आगे से एक साथ "नियोक्ता के निर्देश" कहा जाएगा:

(a) कार्य की डिज़ाइन, क्वालिटी या क्वांटिटी में बदलाव या बदलाव या किसी कार्य को जोड़ना, हटाना या बदलना।

(b) ड्रॉइंग्स में या क्वांटिटीज़ के शेड्यूल और/या ड्रॉइंग्स और/या स्पेसिफिकेशन्स के बीच कोई भी अंतर।

(c) संविदाकर्ता द्वारा साइट पर लाए गए किसी भी सामान को साइट से हटाना और उसकी जगह कोई दूसरा सामान रखना।

(d) संविदाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी कार्य को हटाना और/या दोबारा करना।

(e) वहां कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को कार्य से निकालना।

(f) किसी भी छिपे हुए कार्य के इंस्पेक्शन के लिए खोलना।

(g) किसी भी कमी को ठीक करना और उसे ठीक करना।

संविदाकर्ता को ऐसे नियोक्ता के निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य को तुरंत मानना होगा और उसे ठीक से पूरा करना होगा, बशर्ते कि नियोक्ता द्वारा संविदाकर्ता या उसके प्रतिनिधियों को कार्य के बारे में दिए गए बोलकर दिए गए निर्देश, निर्देश और सफाई, अगर उनमें कोई बदलाव होता है, तो संविदाकर्ता को सात दिनों के अंदर लिखकर कन्फर्म करना होगा, और अगर नियोक्ता अगले सात दिनों के अंदर लिखकर इससे सहमत नहीं होता है, तो इसे संविदा के दायरे में नियोक्ता के निर्देश माना जाएगा। जहां संदर्भ की ज़रूरत हो, सिर्फ़ एकवचन का मतलब बताने वाले शब्दों में बहुवचन भी शामिल होगा और इसका उल्टा भी। जब भी ज़रूरी हो, पुल्लिंग के किसी भी संदर्भ में स्त्रीलिंग भी शामिल होगा और इसका उल्टा भी।

ज़रूरी "**साइट इंस्ट्रक्शन बुक, रुकावट रजिस्टर, लेबर रजिस्टर**" **को संविदाकर्ता रोज़ाना सख्ती से मेंटेन करता है और इंचार्ज इंजीनियर से सही तरह से ऑथेंटिकेशन मिला**।

3. **<u>बदलाव नियोक्ता से मंज़ूर होंगे</u>**

कार्य के दायरे में सभी बदलाव बैंक के इंजीनियर से मंज़ूर करवाए जाएँगे। संविदाकर्ता को एक स्टेटमेंट ऑफ़ वेरिएशन जमा करना होगा जिसमें मात्रा और रेट दिए गए हों, और रेट, वाउचर वगैरह के एनालिसिस से सपोर्टेड हों। नियोक्ता द्वारा जांच और फाइनल मंज़ूरी के बाद रेट एक सप्लीमेंट्री निविदा बनेंगे। जब तक बैंक के इंजीनियर इन स्टेटमेंट को मंज़ूरी नहीं दे देते, तब तक नियोक्ता ऐसे बदलावों के भुगतान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

4. **<u>ड्रॉइंग, क्वांटिटी का शेड्यूल और</u>** <u>करार</u>

संविदा दो कॉपी में पूरा किया जाएगा और संविदाकर्ता को अपने इस्तेमाल के लिए एक पूरी की गई कॉपी मिलेगी। संविदाकर्ता करार पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी देगा। संविदाकर्ता को फाइनल सर्टिफिकेट जारी करने से पहले, वह तुरंत नियोक्ता को सभी ड्रॉइंग और स्पेसिफिकेशन वापस कर देगा।

5. संविदाकर्ता **को अपने खर्च पर सभी ज़रूरी चीज़ें देनी होंगी**

संविदाकर्ता अपने खर्च पर, ड्रॉइंग्स, शेड्यूल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और स्पेसिफिकेशन्स के इरादे और मतलब के हिसाब से कार्य को ठीक से करने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें देगा, चाहे उन्हें उसमें खास तौर पर दिखाया या बताया गया हो या नहीं, बशर्ते कि उनसे उसका सही अंदाज़ा लगाया जा सके, और अगर संविदाकर्ता को ड्रॉइंग्स में या ड्रॉइंग्स, शेड्यूल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और स्पेसिफिकेशन्स के बीच कोई फ़र्क मिलता है, तो वह तुरंत और लिखकर नियोक्ता को बताएगा जो तय करेगा कि किसका पालन किया जाए। संविदाकर्ता इस स्पेसिफिकेशन के तहत सभी कार्य हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशंस के पूरे हिसाब से करेगा।

6. **प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट**

ठेकेदार को कार्य से संबंधित विधायिका के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों, किसी भी प्राधिकारी के विनियमों और उप-नियमों, तथा बिजली आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकारियों के नियमों का पालन करना होगा, जिनकी प्रणालियों से संस्थापन (installation) को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस अनुपालन के कारण यदि ड्राइंग या विनिर्देशों (Specifications) में कोई बदलाव करना आवश्यक हो जाता है, तो ठेकेदार को ऐसे प्रस्तावित बदलाव और उसे करने के कारण का उल्लेख करते हुए नियोक्ता को लिखित सूचना देनी होगी और इस संबंध में अनुदेशों के लिए आवेदन करना होगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे अनुदेश प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसे संबंधित प्रावधानों, विनियमों या उप-नियमों का पालन करते हुए कार्य आगे बढ़ाना चाहिए, और इस प्रकार आवश्यक हुए किसी भी बदलाव का निपटारा निविदा की नियमों और शर्तों के तहत किया जाएगा।

संविदाकर्ता को नियोक्ता के ध्यान में उन सभी नोटिस की जानकारी देनी होगी जो इन एक्ट, रेगुलेशन या बाय-लॉ के तहत किसी भी अथॉरिटी को दिए जाने हैं और उस अथॉरिटी या किसी पब्लिक ऑफिस को कार्य के संबंध में लगने वाली सभी फीस देनी होगी, और भुगतान के लिए रसीदें नियोक्ता के पास जमा करनी होंगी।

संविदाकर्ता, नियोक्ता को अधिकारों के संबंध में सभी दावों के खिलाफ हर्जाना देगा, और दावों से होने वाले सभी एक्शन का बचाव करेगा, और इसके संबंध में कानूनी तौर पर लगने वाली सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, नुकसान, लागत और हर तरह के चार्ज खुद देगा।

7. **कार्य से निकलना**

संविदाकर्ता कार्य की रूपरेखा तैयार करेगा और उसे सही और परफेक्ट तरीके से तैयार करने और उसके सभी हिस्सों की पोजीशन, लेवल, डाइमेंशन और अलाइनमेंट की सही स्थिति का ध्यान रखेगा। अगर कार्य पूरा होने के एक साल के अंदर कार्य की प्रोग्रेस के दौरान कभी भी इस बारे में कोई गलती दिखती है, तो संविदाकर्ता, अगर ज़रूरी हो, तो अपने खर्च पर, नियोक्ता की संतुष्टि के लिए उस गलती को ठीक करेगा।

8. **विवरण के अनुसार सामग्री और कारीगरी**

सभी मटीरियल और कारीगरी, जहाँ तक मिल सके, क्वांटिटी और/या स्पेसिफिकेशन्स के शेड्यूल में बताए गए अपने-अपने टाइप की होनी चाहिए और नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए, और संविदाकर्ता नियोक्ता के कहने पर उसे सभी इनवॉइस, अकाउंट्स की रसीदें और दूसरे वाउचर देगा ताकि यह साबित हो सके कि मटीरियल उसके हिसाब से है। संविदाकर्ता अपने खर्च पर नियोक्ता की ज़रूरत के हिसाब से किसी भी मटीरियल का टेस्ट करवाएगा और/या करवाएगा।

9. **कार्य पर संविदाकर्ता का सुपरिंटेंडेंस और रिप्रेजेंटेटिव**

संविदाकर्ता कार्य के दौरान और उसके बाद जब तक नियोक्ता ज़रूरी समझे, तब तक सभी ज़रूरी पर्सनल सुपरिंटेंडेंस देगा, जब तक कि अपेंडिक्स में बताया गया "**डिफेक्ट्स लायबिलिटी अवधि**" खत्म न हो जाए। संविदाकर्ता पूरे समय, जब कार्य चल रहा हो, एक काबिल रिप्रेजेंटेटिव को भी कार्य पर रखेगा जो कार्य पर लोगों के रहने के दौरान लगातार मौजूद रहेगा। नियोक्ता द्वारा ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को दिए गए कोई भी डायरेक्शन, एक्सप्लेनेशन, इंस्ट्रक्शन या नोटिस संविदाकर्ता को दिए गए माने जाएंगे।

10. **कामगारों की बर्खास्तगी**

संविदाकर्ता, इंचार्ज इंजीनियर के कहने पर, कार्य पर रखे गए ऐसे किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्य से निकाल देगा, जो इंचार्ज इंजीनियर की राय में नाकाबिल हो या गलत कार्य कर रहा हो, और ऐसे लोगों को इंचार्ज इंजीनियर की इजाज़त के बिना कार्य पर दोबारा कार्य पर नहीं रखा जाएगा।

11. **कार्यों तक पहुंच**

नियोक्ता और उनके रिप्रेजेंटेटिव को हर सही समय पर कार्य और/या वर्कशॉप, फैक्ट्री या दूसरी जगहों पर फ्री एक्सेस मिलेगा जहाँ मटीरियल पड़ा है या जहाँ से उसे लिया जा रहा है और संविदाकर्ता नियोक्ता और उनके रिप्रेजेंटेटिव को मटीरियल और कारीगरी के इंस्पेक्शन, जांच और टेस्ट के लिए हर ज़रूरी सुविधा देगा। पब्लिक अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव को छोड़कर, नियोक्ता द्वारा अधीकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्य पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

12. **बैंक के इंजीनियर: असिस्टेंट मैनेजर (टेक्नोलॉजी)/मैनेजर (टेक्नोलॉजी)/एजीएम (टेक्नोलॉजी)**

"असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/मैनेजर (टेक)/एजीएम (टेक)" का मतलब है वह व्यक्ति जिसे नियोक्ता कार्य का इंस्पेक्शन करने के लिए नियुक्त करता है और भुगतान करता है। संविदाकर्ता असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/मैनेजर (टेक)/एजीएम (टेक) को कार्य और मटीरियल का इंस्पेक्शन करने और समय और मटीरियल को चेक करने और मापने के लिए हर सुविधा और मदद देगा। असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/मैनेजर (टेक)/एजीएम (टेक) के पास कार्य शुरू करने या संविदा की किसी भी ज़रूरत को रद्द करने, बदलने, बढ़ाने या ढील देने या कोई भी कार्य, जोड़ने, बदलाव, विचलन या कमी या कोई भी अतिरिक्त कार्य मंज़ूर करने का अधिकार होगा, सिवाय इसके कि ऐसा अधिकार नियोक्ता की पहले से लिखित मंज़ूरी से लिखित ऑर्डर द्वारा खास तौर पर दिया गया हो।

असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/मैनेजर (टेक)/एजीएम (टेक)/एजीएम (टेक) या नियोक्ता के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के पास संविदाकर्ता या उसके रिप्रेजेंटेटिव को किसी कार्य या मटीरियल को मंज़ूरी न मिलने की सूचना देने का

अधिकार होगा और ऐसा कार्य असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/मैनेजर (टेक) द्वारा रोक दिया जाएगा या ऐसे मटीरियल का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी जांच किसी भी तरह से संविदाकर्ता को कार्य के किसी भी स्टेज पर या कार्य पूरा होने के बाद पाए जाने वाले किसी भी डिफेक्ट को ठीक करने की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी।

13. **असाइनमेंट और सब-लेटिंग**

संविदा में शामिल सभी कार्य संविदाकर्ता ही करेगा और संविदाकर्ता, नियोक्ता की पहले से लिखी हुई मंज़ूरी के बिना संविदा या उसका कोई हिस्सा या उसमें कोई हिस्सा सीधे या इनडायरेक्टली ट्रांसफर, असाइन या अंडर-लेट नहीं करेगा, और कोई भी अंडरटेकिंग संविदाकर्ता को संविदा की पूरी और पूरी ज़िम्मेदारी से या कार्य के चलने के दौरान उसकी एक्टिव सुपरिंटेंडेंस से राहत नहीं देगी।

14. **परिवर्तन, परिवर्धन, लोप आदि** ।

कोई भी परिवर्तन, चूक या बदलाव इस संविदा को निष्प्रभावी नहीं करेगा, लेकिन यदि नियोक्ता कार्य की प्रगति के दौरान किसी भी समय कार्य में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या चूक करना या इसमें इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करना उचित समझता है और अपने हस्ताक्षर से लिखित में संविदाकर्ता को इसकी सूचना देता है, तो संविदाकर्ता ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी मामला हो, परिवर्तन करेगा, जोड़ेगा या छोड़ेगा, लेकिन संविदाकर्ता नियोक्ता की लिखित में पूर्व सहमति के बिना कार्य में कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा, कार्य में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या चूक या संविदा, शर्त, विनिर्देशों या संविदा रेखाचित्रों के किसी भी प्रावधान से कोई विचलन नहीं करेगा और ऐसे अतिरिक्त, परिवर्तन, परिवर्धन या चूक का मूल्य सभी मामलों में नियोक्ता की लिखित में पूर्व स्वीकृति के साथ खंड 19 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा,

15. **मात्राओं की अनुसूची**

मात्राओं का शेड्यूल, जब तक कुछ और न कहा गया हो, माप के स्टैंडर्ड तरीके के अनुसार तैयार किया गया माना जाएगा।

जानकारी में या मात्रा में कोई गलती या मात्रा के शेड्यूल से आइटम के छूट जाने से यह संविदा खराब नहीं होगा, बल्कि उसे ठीक किया जाएगा और क्लॉज़ 18 के तहत पता लगाई गई उसकी कीमत को संविदा अमाउंट में जोड़ा या घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो), लेकिन अगर कोई गलती हुई है, तो उसे संविदाकर्ता के रेट्स के शेड्यूल में ठीक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

16. **मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता**

माना जाएगा कि संविदाकर्ता ने निविदा देने से पहले कार्य के लिए अपने निविदा की सही और काफ़ी होने और क्वांटिटी के शेड्यूल और/या रेट्स और प्राइस के शेड्यूल में बताई गई कीमतों के बारे में खुद को संतुष्ट कर लिया है। ये रेट्स और कीमतें संविदा के तहत उसकी सभी ज़िम्मेदारियों, और कार्य को ठीक से पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी मामलों और चीज़ों को कवर करेंगी।

17. **<u>कार्यों का मापन</u>**

असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/मैनेजर (टेक) समय-समय पर संविदाकर्ता और नियोक्ता को बता सकते हैं कि उन्हें कार्य का मेज़रमेंट करवाना है, और संविदाकर्ता तुरंत अटेंड करेगा या असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/मैनेजर (टेक) की मदद के लिए एक क्वालिफाइड एजेंट भेजेगा ताकि ऐसे मेज़रमेंट और कैलकुलेशन किए जा सकें और सभी डिटेल्स दी जा सकें या उनमें से किसी को भी ज़रूरी मदद दी जा सके।

अगर संविदाकर्ता नहीं आता है या एजेंट को भेजने में लापरवाही करता है या चूक जाता है, तो असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/मैनेजर (टेक) द्वारा लिया गया मेज़रमेंट ही कार्य का सही मेज़रमेंट माना जाएगा। ऐसे मेज़रमेंट स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए मेज़रमेंट के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे।

संविदाकर्ता या उसका एजेंट, मेज़रमेंट के समय ज़रूरत के हिसाब से नोट्स और मेज़रमेंट ले सकता है।

सभी अधीकृत अतिरिक्त कार्य, कमियां और नियोक्ता की पहले से लिखित मंज़ूरी से किए गए सभी बदलाव ऐसे मेज़रमेंट में शामिल किए जाएंगे।

18. **माप पुस्तिका**

a. बैंक का इंजीनियर, जब तक कुछ और न कहा गया हो, किए गए कार्य के संविदा के अनुसार, माप से कीमत का पता लगाएगा और तय करेगा। इंटीरियर संविदाकर्ता, बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के, माप और लेवल रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी हर उपकरण, लेबर और दूसरी चीज़ों में पूरी मदद देगा।

b. फाइनेंशियल मूल्य वाले सभी आइटम का मेज़रमेंट कंप्यूटराइज्ड मेज़रमेंट बुक (CMB) में दर्ज किया जाएगा ताकि बैंक और संविदाकर्ता के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के जॉइंट मेज़रमेंट के बाद संविदा के तहत किए गए सभी कामों का पूरा रिकॉर्ड मिल सके। सभी बिल (रनिंग अकाउंट (RA) और फाइनल बिल) संविदाकर्ता द्वारा दिए जाने वाले कंप्यूटराइज्ड मेज़रमेंट (A4 साइज़) के बाउंड वॉल्यूम में होने चाहिए, पेजों के लिए मशीन नंबर सही ढंग से लिखे होने चाहिए, और बैंक द्वारा दिया जाने वाला MB नंबर होना चाहिए। – मेज़रमेंट और एब्स्ट्रैक्ट बुक का फॉर्मेट बैंक द्वारा दिया गया होना चाहिए।

c. बैंक इंजीनियर MB की शीट में ज़रूरी सुधार करेगा। सुधार करने के बाद, संविदाकर्ता रिवाइज़्ड कॉपी जमा करेगा। फ़ाइनल की गई, कंप्यूटराइज़्ड MB शीट के सभी पेज पर, सही चेक / टेस्ट चेक मेज़रमेंट के बाद, संविदाकर्ता के अधीकृत ऑफ़िसर के पूरे सिग्नेचर और तारीख होनी चाहिए।

19. **<u>अतिरिक्त सुविधाओं आदि की कीमतों का पता लगाना</u>**

संविदाकर्ता, नियोक्ता से अधीकृत होने पर, ड्रॉइंग में दिखाए गए, या स्पेसिफिकेशन में बताए गए, या क्वांटिटी के शेड्यूल में शामिल कामों में कुछ जोड़ सकता है, हटा सकता है, या उनमें बदलाव कर सकता है, लेकिन संविदाकर्ता ऐसे ऑथराइज़ेशन या निर्देश के बिना कुछ भी नहीं जोड़ेगा, हटाएगा या उसमें बदलाव नहीं करेगा। नियोक्ता द्वारा दिया गया कोई ज़ुबानी अधिकार या निर्देश, अगर वह **सात दिनों के अंदर लिखकर कन्फर्म करता है** , तो उसे लिखकर दिया गया माना जाएगा।

किसी भी अतिरिक्त के लिए कोई क्लेम तब तक मंज़ूर नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे निविदा की शर्तों के प्रोविज़न के तहत नियोक्ता की सहमति से पूरा न किया गया हो, जैसा कि यहाँ बताया गया है। ऐसे किसी भी अतिरिक्त को यहाँ अधीकृत अतिरिक्त कहा गया है और इसे नीचे दिए गए प्रोविज़न के अनुसार किया जाएगा।

(ए) (मैं) ओरिजिनल निविदा में नेट रेट या कीमतों से अतिरिक्त कार्य की मूल्यएशन तय होगी, अगर ऐसा अतिरिक्त कार्य उसी तरह का है और उसी तरह की कंडीशन में किया गया है, जैसा कि उसमें कीमत वाले कार्य में किया गया है, तो क्वांटिटी में 25% की बढ़ोतरी तक।

(ii) सभी चीज़ों के रेट, जहाँ तक हो सके, क्वांटिटी के प्राइस्ड शेड्यूल में दिए गए रेट से निकाले जाने चाहिए।

(बी) ओरिजिनल निविदा की नेट कीमतों से छोड़ी गई चीज़ों की मूल्य तय होगी, लेकिन अगर किसी चीज़ को छोड़ने से उन शर्तों में बदलाव होता है जिनके तहत कार्य के बाकी आइटम किए जाते हैं, तो उनकी कीमतों का मूल्यएशन इसके सब-क्लॉज (c) के तहत किया जाएगा।

(सी) जहां अतिरिक्त कार्य पहले बताए गए जैसे नहीं हैं और/या वैसी ही शर्तों के तहत किए गए हैं या जहां चूक उन शर्तों में बदलाव करती है जिनके तहत कार्य के बाकी आइटम किए जाते हैं या अगर किसी चूक या बढ़ोतरी की रकम, पूरे संविदा कार्य या उसके किसी हिस्से की रकम के मुकाबले ऐसी हो कि नियोक्ता की राय में, क्वांटिटी के प्राइस्ड शेड्यूल या निविदा में या कार्य के किसी आइटम के लिए नेट रेट या कीमत में संविदाकर्ता द्वारा सोचे गए नुकसान या खर्च से ज़्यादा नुकसान या खर्च शामिल हो या ऐसी चूक या बढ़ोतरी की वजह से यह गलत या लागू न हो, तो नियोक्ता ऐसी दूसरी रेट या कीमत तय करेगा जो उसे हालात के हिसाब से सही और उचित लगे।

(डी) जहां अतिरिक्त कार्य को ठीक से मापा या मूल्य नहीं किया जा सकता, वहां संविदाकर्ता को लोकल डे वर्क रेट और जिले की मज़दूरी के हिसाब से नेट रेट पर डे वर्क प्राइस दिए जाएंगे, लेकिन दोनों ही मामलों में, रोज़ाना लगने वाले समय और इस्तेमाल हुए सामान के बारे में बताने वाले वाउचर, कार्य पूरा होने के बाद वाले हफ़्ते के आखिर में या उससे पहले नियोक्ता को वेरिफ़िकेशन के लिए दिए जाएं।

(e) यह भी साफ़ किया जाता है कि ऐसे सभी अधीकृत अतिरिक्त आइटम के लिए, जहाँ रेट निविदा से नहीं निकाले जा सकते या किसी भी निविदा आइटम की क्वांटिटी बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ से 25% ज़्यादा हो जाती है, संविदाकर्ता को "एक्चुअल कॉस्ट बेसिस" पर किए गए रेट एनालिसिस के आधार पर रेट तय करने होंगे, साथ ही एस्टैब्लिशमेंट चार्ज, संविदाकर्ता के ओवरहेड और प्रॉफ़िट के लिए 15% जोड़ना होगा। ऐसे आइटम एस्केलेशन के लिए पात्र नहीं होंगे।

संविदा के संबंध में माप और मूल्यांकन अपेंडिक्स में बताए गए "फाइनल माप के समय" के अंदर पूरा किया जाएगा, या अगर नहीं बताया गया है तो क्लॉज 23 में बताए गए संविदा के कार्य के पूरा होने के छह महीने के अंदर पूरा किया जाएगा।

20. **अनफिक्स्ड मटीरियल जब** नियोक्ता **की प्रॉपर्टी मानी जाती है**

जहां किसी सर्टिफिकेट में (जिसका संविदाकर्ता को पूरा भुगतान मिल गया है) नियोक्ता ने कार्य के लिए और/या कार्य पर या उसके आस-पास रखे गए किसी भी बिना फिक्स किए गए सामान की कीमत शामिल की है, तो ऐसा सामान नियोक्ता की प्रॉपर्टी बन जाएगा और नियोक्ता की लिखी हुई इजाज़त के बिना, कार्य पर इस्तेमाल के अलावा उसे हटाया नहीं जाएगा। ऐसे सामान के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए संविदाकर्ता ज़िम्मेदार होगा।

21. **अनुचित कार्य को हटाना**

कार्य के दौरान, नियोक्ता को समय-समय पर लिखकर ऑर्डर देने का अधिकार होगा कि वह ऑर्डर में बताए गए सही समय या समय के अंदर कार्य से ऐसे किसी भी सामान को हटा दे, जो नियोक्ता की राय में उसके स्पेसिफिकेशन्स या निर्देशों के मुताबिक नहीं है, सही सामान बदले, और ऐसे किसी भी कार्य को हटा दे और ठीक से दोबारा करे जो ड्रॉइंग्स और स्पेसिफिकेशन्स या निर्देशों के मुताबिक नहीं है, और संविदाकर्ता तुरंत अपने खर्चे पर ऐसे ऑर्डर को पूरा करेगा। अगर संविदाकर्ता ऐसे ऑर्डर को पूरा करने में चूक करता है, तो नियोक्ता के पास इसे पूरा करने के लिए दूसरे लोगों को कार्य पर रखने और उन्हें पैसे देने का अधिकार होगा, और इसके बाद या उससे जुड़े सभी खर्च संविदाकर्ता उठाएगा, या नियोक्ता संविदाकर्ता को मिलने वाले या मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है।

22. **वर्चुअल कंप्लीशन के बाद डिफेक्ट्स**

कोई भी डिफेक्ट, सिकुड़न, जमाव या दूसरी कमियां जो अपेंडिक्स में बताए गए "डिफेक्ट्स लायबिलिटी अवधि" के अंदर दिख सकती हैं, अगर कुछ नहीं बताया गया है, तो कार्य लगभग पूरा होने के **12 महीने के अंदर , जो** नियोक्ता **की राय में** संविदा के हिसाब से नहीं बने मटीरियल या कारीगरी की वजह से होती हैं, नियोक्ता के लिखे हुए निर्देशों पर, और उसमें बताए गए सही समय के अंदर, संविदाकर्ता अपने खर्च पर उन्हें ठीक करेगा और उनमें बदलाव करेगा।

डिफ़ॉल्ट होने पर, नियोक्ता ऐसे डिफेक्ट, दूसरी गलतियों को ठीक करने और उन्हें ठीक करने के लिए दूसरे लोगों को हायर कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है, और इसके कारण या उससे जुड़े सभी नुकसान, हानि और खर्च की भरपाई संविदाकर्ता करेगा और उसे वहन करना होगा। ऐसा नुकसान, हानि और खर्च नियोक्ता उससे वसूल कर सकता है या नियोक्ता संविदाकर्ता को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है, या नियोक्ता संविदाकर्ता द्वारा ऐसे बदलाव और उन्हें ठीक करने के बदले में, संविदाकर्ता को मिलने वाले किसी भी पैसे में से, नियोक्ता द्वारा तय की गई रकम, ऐसे कार्य को ठीक करने की लागत के बराबर काट सकता है और अगर जमानत राशि के तौर पर रखी गई रकम काफ़ी नहीं है, तो बाकी रकम संविदाकर्ता से वसूल करेगा, साथ ही नियोक्ता ने इस संबंध में जो भी खर्च किए हों, उन्हें भी। अगर किसी सब-संविदाकर्ता ने, जिसे नियोक्ता ने क्लॉज़ 13 और 24 के अनुसार नॉमिनेट या अप्रूव किया है, कोई खराब कार्य किया है या सामान सप्लाई किया है, तो संविदाकर्ता उसी तरह ठीक करने के लिए ज़िम्मेदार होगा जैसे कि वह कार्य या सामान संविदाकर्ता ने किया हो या सप्लाई किया हो और इस क्लॉज़ और क्लॉज़ 2 के नियमों के तहत हो। नियोक्ता द्वारा किसी भी सर्टिफिकेट पर साइन करने या कोई अकाउंट पास करने के बावजूद, संविदाकर्ता इस क्लॉज़ के नियमों के तहत ज़िम्मेदार रहेगा।

23. **<u>वर्चुअल कंप्लीशन का सर्टिफिकेट और डिफेक्ट्स लायबिलिटी</u>** अवधि

कार्य तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक नियोक्ता लिखकर यह सर्टिफ़ाई न कर दे कि वे लगभग पूरे हो गए हैं। डिफेक्ट्स लायबिलिटी अवधि ऐसे सर्टिफ़िकेट की तारीख से शुरू होगा।

24. **<u>नामित उप-</u>**<u>संविदाकर्ता</u>

सभी स्पेशलिस्ट, मर्चेंट, ट्रेड्समैन और दूसरे लोग जो किसी भी सामान की सप्लाई और फिक्सिंग का कार्य करते हैं, जिसके लिए प्राइम कॉस्ट प्राइस या प्रोविजनल रकम क्वांटिटी और/या स्पेसिफिकेशन्स के शेड्यूल में शामिल हैं, जिन्हें नियोक्ता नॉमिनेट या चुन सकता है, उन्हें संविदाकर्ता द्वारा कार्य पर रखे गए सब-संविदाकर्ता घोषित किया जाता है और उन्हें यहां नॉमिनेटेड सब-संविदाकर्ता कहा गया है।

ऐसे किसी भी नॉमिनेटेड सब-संविदाकर्ता को कार्य पर या कार्य के सिलसिले में कार्य पर नहीं रखा जाएगा, जिसके खिलाफ संविदाकर्ता को सही एतराज़ हो या (सिवाय इसके कि नियोक्ता और संविदाकर्ता किसी और तरह से सहमत हों) जो संविदा में शामिल नहीं होगा, बशर्ते कि

(a) यह कि नामित उप-संविदाकर्ता, उप-संविदाकर्ता के संबंध में संविदाकर्ता को दायित्व के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेंगे, क्योंकि संविदाकर्ता इस संविदा के संबंध में अधीन है।

(b) कि नॉमिनेटेड सब-संविदाकर्ता, सब-संविदाकर्ता, उसके नौकरों या एजेंट की किसी भी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी भी स्कैफोल्डिंग या दूसरे प्लांट, संविदाकर्ता की प्रॉपर्टी या किसी भी लागू वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट के गलत इस्तेमाल के दावों के खिलाफ संविदाकर्ता को हर्जाना देगा।

(c) नॉमिनेटेड सब-संविदाकर्ता को भुगतान चौदह दिनों के अंदर किया जाएगा, बशर्ते कि पिछले सर्टिफिकेट में शामिल नॉमिनेटेड सब-संविदाकर्ता के सभी अकाउंट सही तरीके से डिस्चार्ज हो गए हों, ऐसा न करने पर, नियोक्ता भुगतान कर सकता है और संविदाकर्ता को मिलने वाली किसी भी रकम में से उसकी रकम काट सकता है। इस पावर का इस्तेमाल करने से नियोक्ता और सब-संविदाकर्ता के बीच संविदा की प्राइवेसी नहीं बनेगी।

25. **<u>नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति</u>**

नियोक्ता के पास इस संविदा में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य को करने के लिए संपदा और साइट के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल करने का अधिकार है, जिसे वह किसी और से करवाना चाहता हो, और संविदाकर्ता ऐसे कार्य को करने के लिए सभी ज़रूरी सुविधाएँ देगा, लेकिन उसे ऐसे कार्य को करने के लिए कोई प्लांट या सामान देने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा कार्य इस तरह से किया जाएगा कि संविदा में शामिल कामों की तरक्की में कोई रुकावट न आए और संविदाकर्ता ऐसे कार्य से होने वाले किसी भी नुकसान या देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

26. **<u>व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा</u>**

संविदाकर्ता को लोगों, जानवरों या चीज़ों को लगी सभी चोटों, और प्रॉपर्टी को हुए सभी स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव नुकसान के लिए ज़िम्मेदार माना जाएगा, जो उसके या किसी नॉमिनेटेड सब-संविदाकर्ता या किसी कर्मचारी या दोनों के ऑपरेशन या लापरवाही से हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या नुकसान लापरवाही, एक्सीडेंट या किसी भी दूसरे कारण से हुआ हो, जो इस संविदा को पूरा करने से किसी भी तरह से जुड़ा हो। इस क्लॉज़ के तहत ज़िम्मेदारी में, दूसरी बातों के अलावा, बिल्डिंग को हुआ कोई भी नुकसान, चाहे वह उसके ठीक बगल में हो या कहीं और, और सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या रास्तों को हुआ कोई भी नुकसान, साथ ही बिल्डिंग और इस संविदा के तहत आने वाले दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को हुआ कोई भी नुकसान शामिल होगा। संविदाकर्ता बिल्डिंग और इस संविदा के तहत आने वाले दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को पाले, बारिश, हवा या मौसम की दूसरी खराबियों से हुए किसी भी नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। संविदाकर्ता, नियोक्ता को हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा और ऊपर बताई गई किसी भी चोट या नुकसान से होने वाले सभी नुकसान और खर्चों के लिए उसे नुकसान से बचाएगा, और चोट या नुकसान के संबंध में किए गए किसी भी दावे के खिलाफ भी, चाहे वह किसी कानून के तहत हो या किसी और तरह से और ऐसे दावे के परिणामस्वरूप किसी भी मुआवजे या नुकसान के अवॉर्ड के संबंध में भी। संविदाकर्ता**, अपने खर्च पर, इस** संविदा **के तहत कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने तक, एक अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी के साथ,** संविदा **की रकम के बराबर रकम के लिए एक ऑल रिस्क पॉलिसी लागू करेगा और बनाए रखेगा, जिसमें भूकंप का खतरा भी शामिल है,** नियोक्ता **और** संविदाकर्ता **के जॉइंट नाम पर (पॉलिसी में पहले वाले का नाम पहले रखा जाएगा)** संविदा**रों के लिए स्टैंडर्ड ऑल रिस्क पॉलिसी के अनुसार सभी जोखिमों के खिलाफ और** कार्य **शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को** नियोक्ता **के पास जमा कर देगा।** संविदाकर्ता इस क्लॉज में बताए गए हर तरह के नुकसान की भरपाई करेगा, ताकि पूरे संविदा के कार्य की डिलीवरी हर तरह से पूरी और परफेक्ट हो सके और थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के सभी दावों को पूरा किया जा सके या उन्हें पूरा किया जा सके। संविदाकर्ता, नियोक्ता को उन सभी दावों से भी हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा जो कोई भी व्यक्ति/आम आदमी या कोई दूसरा **तीसरा पक्ष,** कार्य के संबंध में या उसके नतीजे में होने वाली किसी भी चीज़ के लिए नियोक्ता के खिलाफ कर सकता है। और **अपने खर्च पर,** संविदा **शुरू होने की तारीख से लेकर** संविदा **पूरा होने तक,** नियोक्ता **और** संविदाकर्ता **के जॉइंट नाम पर एक मंज़ूर इंश्योरेंस कंपनी के साथ ऐसे जोखिमों के खिलाफ एक इंश्योरेंस पॉलिसी लागू करने और बनाए रखने का इंतज़ाम करेगा (पॉलिसी में** संविदाकर्ता **का नाम पहले रखा जाएगा) और** कार्य **शुरू होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को** नियोक्ता **के पास जमा कर देगा।** पॉलिसी के तहत कवरेज की मिनिमम लिमिट संविदा की जनरल कंडीशन में कहीं और बताई गई होगी। संविदाकर्ता इसी तरह नियोक्ता को उन सभी दावों से भी हर्जाना देगा जो नियोक्ता पर **वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट** या इस संविदा के दौरान लागू किसी दूसरे कानून के तहत या संविदाकर्ता के किसी कर्मचारी या सब-संविदाकर्ता के संबंध में कॉमन लॉ के तहत किए जा सकते हैं। और वह **अपने खर्चे पर,** संविदा **शुरू होने की तारीख से लेकर** संविदा **पूरा होने तक,** नियोक्ता **और** संविदाकर्ता **के जॉइंट नामों में एक मंज़ूर इंश्योरेंस कंपनी के साथ ऐसे जोखिमों के खिलाफ एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाएगा और बनाए रखेगा (पॉलिसी में पहले वाले का नाम पहले रखा जाएगा) और** संविदा **के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को** नियोक्ता **के पास जमा करेगा। अगर** संविदाकर्ता ऊपर बताए गए तरीके से पक्का नहीं करता है, तो नियोक्ता ऐसा पक्का कर

सकता है और दिए गए प्रीमियम को संविदाकर्ता को मिलने वाले या मिलने वाले किसी भी पैसे से काट सकता है।

संविदाकर्ता किसी भी ऐसी लायबिलिटी के लिए ज़िम्मेदार होगा जिसे ऊपर बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और इस संविदा को लापरवाही या गलत तरीके से पूरा करने की वजह से किसी भी व्यक्ति, जानवर या प्रॉपर्टी को होने वाले सभी दूसरे नुकसानों के लिए भी, चाहे नुकसान किसी भी वजह से हुआ हो। वह कार्य से जुड़े किसी भी क्लेम या कार्रवाई से होने वाले सभी और किसी भी लागत, चार्ज या खर्च के लिए नियोक्ता को हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा, और उससे होने वाले किसी भी मुआवज़े या नुकसान के अवॉर्ड के लिए भी। ऐसी गलती के संबंध में संविदाकर्ता के खिलाफ नियोक्ता के दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले बिना, नियोक्ता संविदाकर्ता को देने वाली किसी भी रकम में से नियोक्ता द्वारा दिए गए किसी भी नुकसान, मुआवज़े, लागत, चार्ज और दूसरे खर्चों की रकम काटने का हकदार होगा, जो इस क्लॉज़ के तहत संविदाकर्ता को देने हैं। इस क्लॉज़ के तहत ली गई पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ किए गए किसी भी क्लेम का इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सेटलमेंट होने पर संविदाकर्ता पूरी सावधानी के साथ नष्ट या खराब हुए कामों को फिर से बनाने या रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ेगा। इस मामले में, ऐसे नुकसान के लिए इंश्योरेंस कंपनी से मिला सारा पैसा संविदाकर्ता को दिया जाएगा और संविदाकर्ता, खराब हुए सामान या सामान को बनाने या उसकी मरम्मत पर हुए खर्च के लिए कोई और भुगतान पाने का हकदार नहीं होगा।
नुकसान के बाद दोबारा बनाने या फिर से बनाने के मामले में, संविदाकर्ता को कार्य पूरा करने के लिए उतना समय बढ़ाने का हक होगा जितना नियोक्ता ठीक समझे, लेकिन, यहां बताए गए किसी भी क्लेम के सेटलमेंट में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आखिर में दी गई रकम में किसी भी कमी या कमी के लिए नियोक्ता से रीइंबर्समेंट का हकदार नहीं होगा।

इस क्लॉज़ के तहत अपनी ज़िम्मेदारी पर कोई असर डाले बिना, संविदाकर्ता सभी नॉमिनेटेड सब-संविदाकर्ता से उनके कार्य के हिस्सों के लिए इस क्लॉज़ के नियमों के अनुसार एक जैसी इंश्योरेंस पॉलिसी भी लागू करवाएगा और नियोक्ता को ऐसी पॉलिसी बनाएगा या बनवाएगा। संविदाकर्ता किसी नॉमिनेटेड सब-संविदाकर्ता को साइट पर कार्य शुरू करने की इजाज़त तब तक नहीं देगा जब तक कि वह इंश्योरेंस पॉलिसी जमा न कर दे। अगर सब-संविदाकर्ता साइट पर कार्य शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पाता है, तो संविदाकर्ता उस सब-संविदाकर्ता से जुड़े किसी भी क्लेम या नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा।

27. **<u>प्रारंभ और समापन की तिथि</u>**

संविदाकर्ता को अपेंडिक्स में बताई गई "शुरू होने की तारीख" या नियोक्ता द्वारा बताई गई किसी बाद की तारीख को साइट पर आने की इजाज़त दी जाएगी और वह उसके तुरंत बाद कार्य शुरू कर देगा और रेगुलर तौर पर उसे आगे बढ़ाएगा और अपेंडिक्स में बताई गई "पूरा होने की तारीख" को या उससे पहले पूरा करेगा (ऐसे पेंटिंग या दूसरे सजावटी कार्य को छोड़कर जिन्हें नियोक्ता देर करना चाहे) लेकिन इसके बाद दिए गए समय बढ़ाने के नियमों के अधीन।

28. कार्य **पूरा न होने पर हर्जाना**

अगर संविदाकर्ता कार्य की ज़रूरी प्रोग्रेस बनाए रखने में फेल हो जाता है और संविदा में तय समय तक या टाइम एक्सटेंशन क्लॉज़ 29 के तहत किसी भी बढ़े हुए समय के अंदर कार्य पूरा नहीं कर पाता है और नियोक्ता लिखकर सर्टिफ़ाई करता है कि उसकी राय में कार्य ठीक से पूरा हो जाना चाहिए था, तो संविदाकर्ता नियोक्ता को उस समय के लिए " परिनिर्धारित हर्जाना " नाम की रकम देगा, जब तक कार्य अधूरा रहेगा और नियोक्ता संविदाकर्ता को मिलने वाले किसी भी पैसे में से ऐसे डैमेज की कटौती कर सकता है। संविदाकर्ता इसके द्वारा खास तौर पर सहमत होता है और नियोक्ता को इस संविदा के हिसाब से संविदाकर्ता को मिलने वाली भुगतान की किसी भी किस्त या रिटेंशन मनी से ऐसे परिनिर्धारित हर्जाना, अगर कोई हो, की कटौती करने के लिए ऑथराइज़ करता है।

29. **विलंब और समय विस्तार**

अगर नियोक्ता की राय में, कार्य में देरी हो रही है (a) किसी बड़ी वजह से या (b) किसी बहुत खराब मौसम की वजह से या (c) आस-पास के या पड़ोसी मालिकों या पब्लिक अथॉरिटीज़ द्वारा की गई कार्रवाई या धमकी या उनके साथ विवाद की वजह से, जो संविदाकर्ता की अपनी गलती के अलावा किसी और वजह से हुई हो या (d) नियोक्ता द्वारा हायर या नॉमिनेट किए गए दूसरे संविदाकर्ता या ट्रेड्समैन के कार्य या देरी की वजह से, जिनका ज़िक्र क्वांटिटीज़ के शेड्यूल और/या स्पेसिफिकेशन में नहीं है या (e) क्लॉज़ 2 के अनुसार नियोक्ता के निर्देशों की वजह से या (f) सिविल हंगामे, कार्य करने वालों के कानूनी मेल-मिलाप या हड़ताल या लॉक-आउट की वजह से, जिससे बिल्डिंग के किसी भी कार्य पर असर पड़ रहा हो या (g) संविदाकर्ता को नियोक्ता से ज़रूरी निर्देश समय पर न मिलने की वजह से, जिसके लिए उसने खास तौर पर लिखकर अप्लाई किया हो या (h) दूसरे कारणों से जिन्हें नियोक्ता संविदाकर्ता के कंट्रोल से बाहर सर्टिफ़ाई कर सकता है या (i) अगर कार्य की कीमत बदलाव की वजह से प्राइस्ड शेड्यूल ऑफ़ क्वांटिटीज़ की कीमत से ज़्यादा हो जाती है, तो नियोक्ता संविदा के कार्य को पूरा करने के लिए सही और सही समय बढ़ाना। ऐसी हड़ताल या लॉक-आउट की स्थिति में भी, संविदाकर्ता देरी को रोकने के लिए लगातार कोशिश करेगा और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के लिए वह सब करेगा जो ज़रूरी हो सकता है।

अगर संविदाकर्ता को कार्य पूरा करने के लिए समय बढ़ाना है या अगर संविदा में तय समय से ज़्यादा किसी वजह से कार्य पूरा होने में देरी होती है, तो संविदाकर्ता को तय समय खत्म होने से कम से कम 7 दिन पहले नियोक्ता को लिखकर समय बढ़ाने के लिए अप्लाई करना होगा और समय बढ़ाने के लिए अप्लाई करते समय, संविदाकर्ता देरी के लिए डिटेल में कारण और अपनी सफाई के साथ डॉक्यूमेंट्री सबूत (बाधा रजिस्टर के ज़रूरी पन्नों की कॉपी), अगर कोई हो, देगा। सिर्फ़ नियोक्ता द्वारा दी गई समय बढ़ाने की अवधि (संविदाकर्ता से एप्लीकेशन मिलने पर या देरी के कारणों के सही होने के बारे में ऐसे किसी एप्लीकेशन के सर्टिफ़िकेट के न होने पर भी) परिनिर्धारित हर्जाना लगाने से छूट के लिए क्वालिफ़ाई करेगी। ओरिजिनल तय समय से ज़्यादा बची हुई अवधि और नियोक्ता द्वारा दी गई समय बढ़ाने की अधीकृत अवधि के लिए, क्लॉज़ 28 के तहत बताया गया परिनिर्धारित हर्जाना का प्रोविज़न लागू होगा।

इसके अलावा, संविदा पूरा होने की तय तारीख के बाद भी लागू रहेगा, भले ही संविदाकर्ता ने कार्य पूरा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए अप्लाई किया हो या नहीं, जब तक कि नियोक्ता संविदा खत्म करने का फैसला न करे। किसी भी वजह से कार्य पूरा होने में देरी होने पर संविदाकर्ता को रेट में बदलाव या किसी भी वजह से अतिरिक्त मुआवज़े का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

30. **संविदाकर्ता द्वारा नियोक्ता के निर्देशों का पालन न करना**

अगर नियोक्ता से लिखित नोटिस मिलने के बाद, जिसमें दस दिनों के अंदर नियमों का पालन करने की ज़रूरत है, संविदाकर्ता ऐसी आगे की ड्राइंग्स का पालन नहीं करता है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कार्य को करने के लिए दूसरे लोगों को कार्य पर रख सकता है और उन्हें पैसे दे सकता है, जो इसे लागू करने के लिए ज़रूरी हो, और इससे जुड़े सभी खर्च नियोक्ता संविदाकर्ता से कर्ज़ के तौर पर वसूल कर सकता है या संविदाकर्ता को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है।

31. **नियोक्ता द्वारा संविदा की समाप्ति**

यदि संविदाकर्ता, एक व्यक्ति या फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या दिवालिया घोषित किया जाता है या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाता है या स्वैच्छिक रूप से या न्यायालय और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक की निगरानी में समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो दिवालियापन या समापन के ऐसे कार्यों में, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसा करने की आवश्यकता वाले नोटिस के सात दिनों के अंदर, नियोक्ता की उचित संतुष्टि दिखाने में असमर्थ होगा कि वह संविदा को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और यदि नियोक्ता द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो उसके लिए सुरक्षा दे सकता है।

या अगर संविदाकर्ता (चाहे वह कोई व्यक्ति, फर्म या इनकॉरपोरेटेड कंपनी हो) संविदाकर्ता के खिलाफ कोर्ट से प्रॉपर्टी अटैच करने का एग्जीक्यूशन या कोई और प्रक्रिया झेलता है,

या इस संविदा के तहत किसी भी भुगतान को संविदाकर्ता के किसी भी क्रेडिटर द्वारा या उसकी ओर से अटैच होने देगा,

या नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को असाइन या सबलेट नहीं करेगा,

या इस संविदा या संविदाकर्ता को इसके तहत मिलने वाले किसी भी भुगतान पर कोई चार्ज या बोझ नहीं डालेगा,

या अगर नियोक्ता यह तय करता है कि संविदाकर्ता

(i) संविदा को छोड़ दिया है, या

(ii) कार्य शुरू करने में नाकार्य रहा है, या उन शर्तों के तहत बिना किसी कानूनी वजह के नियोक्ता से कार्य शुरू करने का नोटिस मिलने के बाद 14 दिनों के लिए कार्य की रफ़्तार रोक दी है, या

(iii) कार्य को पूरी सावधानी से आगे बढ़ाने में नाकाम रहा हो और ऐसी सही तरक्की करने में नाकाम रहा हो जिससे कार्य तय समय में पूरा हो सके, या

(iv) लिखित नोटिस मिलने के सात दिन बाद भी साइट से सामान हटाने या कार्य को हटाने और बदलने में नाकाम रहा है कि नियोक्ता ने इन शर्तों के तहत उस सामान या कार्य को खराब और रिजेक्ट कर दिया है, या

(v) संविदाकर्ता को लिखित नोटिस दिए जाने के सात दिन बाद तक संविदा द्वारा पालन और निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्यों, मामलों या चीजों का पालन करने में लगातार उपेक्षा की गई है या विफल रहा है, जिसमें संविदाकर्ता को उनका पालन करने या निष्पादित करने की आवश्यकता होगी।

तब और ऐसे किसी भी मामले में, नियोक्ता, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, संविदाकर्ता को सात दिन का लिखित नोटिस देने के बाद, संविदाकर्ता का संविदा और उसकी देनदारियां तय कर सकता है, जो पूरी तरह से वैसे ही लागू रहेगा जैसे संविदा इस तरह तय नहीं किया गया था, और जैसे बाद में किए गए कार्य संविदाकर्ता ने या उसकी ओर से किए गए थे और इसके अलावा, नियोक्ता अपने एजेंट या नौकरों के ज़रिए कार्य पर जा सकता है और संपदा या आस-पास की ज़मीन या सड़कों पर पड़े सभी प्लांट, औजार, मचान, मशीनरी और सामान पर कब्ज़ा कर सकता है, और उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर सकता है या कार्य को आगे बढ़ाने और पूरा करने के लिए अपने नौकरों और कार्य करने वालों के ज़रिए या कार्य पूरा करने के लिए किसी दूसरे संविदाकर्ता या दूसरे व्यक्ति या लोगों को कार्य पर रख सकता है, और संविदाकर्ता किसी भी तरह से ऐसे दूसरे संविदाकर्ता या दूसरे व्यक्ति या लोगों को, जिन्हें कार्य पूरा करने और फिनिशिंग के लिए रखा गया है या कार्य के लिए सामान और प्लांट का इस्तेमाल करने से रोकने या रुकावट डालने के लिए कोई कार्य, बात या चीज़ नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके तुरंत बाद, नियोक्ता संविदाकर्ता को अपना बचा हुआ सामान और प्लांट हटाने के लिए लिखकर नोटिस देगा, और अगर संविदाकर्ता नोटिस मिलने के चौदह दिन के अंदर ऐसा नहीं करता है, तो नियोक्ता उसे पब्लिक ऑक्शन में बेच सकता है, और संविदाकर्ता को मिली कुल रकम का क्रेडिट दे सकता है। इसके बाद नियोक्ता यह पता लगाएगा और लिखकर सर्टिफ़ाई करेगा कि नियोक्ता द्वारा कब्ज़े में लिए गए प्लांट और सामान की कीमत के लिए नियोक्ता को या नियोक्ता द्वारा क्या (अगर कुछ भी) देना होगा और कार्य पूरा करने में नियोक्ता को जो खर्च या नुकसान हुआ है, और अगर संविदाकर्ता को कोई रकम देनी है और जो रकम सर्टिफ़ाई की जाएगी, वह नियोक्ता द्वारा संविदाकर्ता को या संविदाकर्ता द्वारा नियोक्ता को, जैसा भी हो, दी जाएगी, और नियोक्ता का फ़ैसला पार्टियों के बीच आख़िरी और पक्का होगा।

32. **<u>संविदाकर्ता द्वारा संविदा की समाप्ति</u>**

अगर बैंक के इंजीनियर के सर्टिफिकेट के तहत नियोक्ता को देने वाली रकम का भुगतान, संविदाकर्ता द्वारा नियोक्ता को ऊपर बताई गई रकम के भुगतान की लिखित सूचना देने के तीस दिन बाद भी बकाया और बिना भुगतान के रहता है, या अगर नियोक्ता संविदा को मना कर देता है, या अगर नियोक्ता के आदेश पर या किसी कोर्ट के किसी आदेश या दूसरे आदेश से कार्य तीन महीने के लिए रोक दिया जाता है, तो और ऐसे किसी भी मामले में, संविदाकर्ता को नियोक्ता को लिखित सूचना देकर संविदा तय करने की आज़ादी होगी और वह नियोक्ता

से किए गए सभी कामों के लिए और संविदा के मकसद से सप्लाई किए गए, खरीदे गए या तैयार किए गए किसी भी प्लांट या सामान से हुए किसी भी नुकसान के लिए भुगतान वसूलने का हकदार होगा।

ऐसे भुगतान की रकम तय करने में, संविदाकर्ता के ओरिजिनल निविदा में दिए गए नेट रेट्स को फॉलो किया जाएगा, या जहां वे लागू नहीं हो सकते, वहां मूल्यएशन इसके क्लॉज 19 के अनुसार किया जाएगा।

33. **सर्टिफिकेट और भुगतान**

(a) संविदाकर्ता को नियोक्ता द्वारा समय-समय पर किश्तों में भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान नियोक्ता के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले अंतरिम सर्टिफिकेट के तहत किया जाएगा। यह भुगतान इस संविदा के अनुसार किए गए कार्य के लिए किया जाएगा। यह भुगतान अपेंडिक्स में "**अंतरिम सर्टिफिकेट के लिए कार्य की मूल्य**" के तौर पर बताई गई लगभग मूल्य (या नियोक्ता की समझ से कम) तक होगा। नियोक्ता अपनी समझ से, अंतरिम सर्टिफिकेट में वह रकम शामिल कर सकता है, जो उसे कार्य में इस्तेमाल के लिए संविदाकर्ता द्वारा साइट पर दिए गए मटीरियल के लिए सही लगे। और जब कार्य लगभग पूरा हो जाएगा और नियोक्ता ने लिखकर सर्टिफ़ाई कर दिया होगा कि कार्य पूरा हो गया है, तो संविदाकर्ता को नियोक्ता के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट के अनुसार नियोक्ता द्वारा बाकी रकम का भुगतान किया जाएगा। संविदाकर्ता**, नियोक्ता द्वारा लिखित रूप में जारी किए जाने वाले अंतिम प्रमाण पत्र के अनुसार जमनत राशि के लिए बैंक गारंटी जारी करने का हकदार होगा, जो कि** परिशिष्ट में "दोष देयता अवधि" के रूप में संदर्भित अवधि की समाप्ति पर आभासी समापन की तारीख से या ऐसी अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद होगा जब कार्य अंतिम रूप से पूरा हो गया होगा और दोषों को वास्तविक उद्देश्य और अर्थ के अनुसार ठीक कर दिया गया होगा, जो भी बाद में हो, बशर्ते कि कार्य की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र को जारी करने से संविदाकर्ता को खंड 2 और 22 के तहत उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा और न ही संविदाकर्ता को कार्यों या सामग्रियों से संबंधित धोखाधड़ी, बेईमानी या धोखाधड़ीपूर्ण छिपाव के मामलों में या प्रमाणपत्र के भीतर निपटाए गए किसी भी मामले में और कार्यों या सामग्रियों में सभी दोषों और अपर्याप्तताओं के मामले में उसकी अक्षमता से मुक्त किया जाएगा, जो एक उचित जांच से पता नहीं चला होगा। कोई भी सर्टिफिकेट अपने आप में इस बात का पक्का सबूत नहीं होगा कि कोई भी कार्य या सामान, जिससे वह जुड़ा है, संविदा के मुताबिक है। न ही संविदाकर्ता का उन पैसों पर कोई दावा होगा जिन्हें नियोक्ता ने किसी अंतरिम बिल में सर्टिफ़ाई किया हो और नियोक्ता ने चुकाया हो और जो बाद में पता चले कि देने लायक नहीं हैं। इस मामले में नियोक्ता का फ़ैसला आख़िरी और मानने लायक होगा।

अगर कार्य या उसका कोई हिस्सा नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तो नियोक्ता के पास कोई भी सर्टिफिकेट रोकने का अधिकार होगा।

नियोक्ता किसी भी सर्टिफिकेट से, उसके द्वारा जारी किए गए किसी भी पिछले सर्टिफिकेट में कोई भी सुधार कर सकता है।

भुगतान, अपेंडिक्स में बताई गई "सर्टिफिकेट देने की अवधि" के अंदर किया जाएगा, जब ऐसे सर्टिफिकेट नियोक्ता को दे दिए गए हों।

सिस्टम के लिए भुगतान INR में किया जाएगा और इस संविदा से होने वाले किसी भी झगड़े को भी उस ऑफिस के अधिकार क्षेत्र में सुलझाया जाएगा जहां से संविदा साइन किया गया है।

34. **<u>भुगतान में देरी</u>**

नियोक्ता द्वारा संविदाकर्ता को देय कोई भी राशि यदि परिशिष्ट में नामित "प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि" के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो उस राशि के नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने की तिथि से भुगतान तक परिशिष्ट में नामित "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" दर पर ब्याज लगेगा।

35. **<u>मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा</u>**

संविदा या कार्य करने से जुड़े किसी भी तरह के सभी झगड़े और मतभेद (चाहे कार्य के चलने के दौरान हों या पूरा होने के बाद और चाहे संविदा तय होने, छोड़ने या तोड़ने से पहले या बाद में हों) नियोक्ता को भेजे जाएंगे और वही उन्हें सुलझाएगा। नियोक्ता अपना फ़ैसला लिखकर बताएगा। ऐसा फ़ैसला फ़ाइनल सर्टिफ़िकेट के रूप में या किसी और तरह से हो सकता है। किसी भी छूटे हुए मामले के बारे में नियोक्ता का फ़ैसला आख़िरी होगा और उस पर कोई अपील नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भी पार्टी किसी मामले पर नाखुश है, तो वह पार्टी ऐसे फ़ैसले का नोटिस मिलने के 28 दिनों के अंदर दूसरी पार्टी को लिखकर नोटिस दे सकती है कि विवादित मामलों पर आर्बिट्रेशन किया जाए। ऐसे लिखे हुए नोटिस में उन मामलों के बारे में बताया जाएगा, जिन पर विवाद है या जिन पर मतभेद है, जिनके बारे में ऐसा लिखा हुआ नोटिस दिया गया है। अगर दोनों पार्टी राज़ी होती हैं, तो इस कार्य के लिए एक ही मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। अगर एक ही मध्यस्थ नियुक्त करने पर कोई सहमति नहीं बन पाती है, तो दोनों पार्टी अपनी तरफ़ से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के तौर पर नॉमिनेट करेंगी। पार्टियों द्वारा नॉमिनेट किए गए दो मध्यस्थ एक और व्यक्ति को तीसरे मध्यस्थ के तौर पर नॉमिनेट करेंगे।

मध्यस्थ या आर्बिट्रेटर्स के पास, जैसा भी मामला हो, किसी भी सर्टिफिकेट, राय, फैसले, रिक्विजिशन या नोटिस को खोलने, रिव्यू करने और रिवाइज़ करने का अधिकार होगा, सिवाय उन मामलों के जिनका ज़िक्र पिछले क्लॉज़ में किया गया है, और उन सभी विवादित मामलों को तय करने का अधिकार होगा जिन्हें आर्बिट्रेशन के लिए सबमिट किया जाएगा और जिनके बारे में पहले बताया गया नोटिस दिया गया होगा।

मध्यस्थ या आर्बिट्रेटर्स, जैसा भी मामला हो, रेफरेंस दर्ज करने की तारीख से एक साल के अंदर (या पार्टियों की सहमति से उनके द्वारा तय किया गया कोई और बढ़ा हुआ समय) अपना अवॉर्ड देंगे। अगर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई के दौरान, पार्टियां आपस में अपने झगड़े या मतभेद को सुलझा लेती हैं या समझौता कर लेती हैं, तो पार्टियों द्वारा करार या करार का जॉइंट मेमोरेंडम फाइल करने पर, मध्यस्थ या आर्बिट्रेटर्स, जैसा भी मामला हो, ऐसे करार या करार के हिसाब से अवॉर्ड देंगे।

ऐसे किसी भी रेफरेंस पर, रेफरेंस और अवार्ड से जुड़े खर्च पर फैसला, जैसा भी मामला हो, मध्यस्थ या आर्बिट्रेटर्स के विवेक पर होगा, जो उसकी रकम तय कर सकते हैं या उस पर पार्टी और पार्टी के बीच टैक्स लगाने का निर्देश दे सकते हैं, और यह भी निर्देश देंगे कि उसे कौन, किसे और किस तरह से वहन करेगा और चुकाएगा।

यह सबमिशन इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 या उसके किसी कानूनी बदलाव के मतलब में आर्बिट्रेशन के लिए सबमिशन माना जाएगा।

मध्यस्थ या आर्बिट्रेटर्स का फैसला, जैसा भी हो, आखिरी होगा और पार्टियों पर लागू होगा। यह तय हुआ है कि संविदाकर्ता किसी भी ऐसे मामले, सवाल या झगड़े के आर्बिट्रेशन में भेजे जाने की वजह से कार्य करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी सावधानी से कार्य करेगा और जब तक मध्यस्थ या आर्बिट्रेटर्स का फैसला नहीं आ जाता, तब तक बैंक के फैसले को मानेगा। मध्यस्थ या आर्बिट्रेटर्स का कोई भी फैसला, जैसा भी हो, संविदाकर्ता को कार्य को असल में करने के बारे में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की उसकी ज़िम्मेदारियों से राहत नहीं देगा। नियोक्ता और संविदाकर्ता इसके द्वारा इस बात पर भी सहमत हैं कि इस क्लॉज़ के तहत आर्बिट्रेशन संविदा के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए एक ज़रूरी शर्त होगी।

आर्बिट्रेशन की जगह वह सेंटर/शहर होगा जहां कार्य किया जा रहा है।

36. **<u>अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार</u>**

नियोक्ता को कार्य की टेक्निकल जांच करने और संविदाकर्ता के फाइनल बिल, जिसमें सभी सपोर्टिंग वाउचर, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह शामिल हैं, की जांच करने का अधिकार होगा, जो फाइनल बिल के भुगतान के समय बनाए जाएंगे। अगर इस जांच या किसी और वजह से, कोई रकम ज़्यादा भुगतान की गई या ज़्यादा सर्टिफाइड पाई जाती है, तो नियोक्ता के लिए वह रकम वसूलना कानूनी होगा।

37. **<u>नियोक्ता कर्मचारियों को दिए गए मुआवजे को वसूलने का हकदार है</u>**

अगर किसी भी वजह से, नियोक्ता, वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट, 1923 के नियम, या उसके किसी कानूनी बदलाव या फिर से लागू होने की वजह से, संविदाकर्ता द्वारा कार्य पर रखे गए किसी वर्कर को कम्पनसेशन देने के लिए मजबूर है, तो नियोक्ता को संविदाकर्ता से दिए गए कम्पनसेशन की रकम वसूलने का हक होगा, और इस एक्ट के तहत नियोक्ता के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नियोक्ता को जमानत राशि से या इस संविदा के तहत या किसी और तरह से संविदाकर्ता को नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली किसी भी रकम से काटकर ऐसी रकम या उसका कोई भी हिस्सा वसूलने की आज़ादी होगी। नियोक्ता, संविदाकर्ता के लिखकर रिक्वेस्ट करने और नियोक्ता को उन सभी खर्चों के लिए पूरी सिक्योरिटी देने के अलावा, जिसके लिए नियोक्ता ऐसे दावे का विरोध करने के नतीजे में ज़िम्मेदार हो सकता है, उस एक्ट के तहत उसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए मजबूर नहीं होगा।

38. **<u>कार्यों का परित्याग</u>**

अगर निविदा स्वीकार होने के बाद किसी भी समय, नियोक्ता किसी भी वजह से, पूरे कार्य या उसके किसी हिस्से को नहीं करवाना चाहता है, तो नियोक्ता संविदाकर्ता को लिखकर नोटिस देगा। संविदाकर्ता का पूरे कार्य से हुए

किसी भी मुनाफ़े या फ़ायदे के लिए किसी भी तरह के मुआवज़े या किसी और चीज़ के भुगतान का कोई दावा नहीं होगा।

39. **अतिरिक्त सामग्री की वापसी**

इस संविदा के किसी या सभी क्लॉज़ में इसके उलट कुछ भी होने पर भी, जहाँ संविदा को पूरा करने के लिए कोई भी सामान नियोक्ता की मदद से सरकार के ऑर्डर, परमिट या लाइसेंस के तहत खरीदा जाता है, वहाँ संविदाकर्ता उस सामान को किफ़ायती तरीके से और सिर्फ़ संविदा के मकसद के लिए रखेगा और नियोक्ता की पहले से लिखी हुई इजाज़त के बिना उसे फेंकेगा नहीं और अगर नियोक्ता चाहे तो उसे नियोक्ता को उस कीमत पर लौटा देगा जो नियोक्ता तय करेगा, जिसमें सामान की हालत का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और यह कीमत उसकी खरीद कीमत से ज़्यादा नहीं होगी, जिसमें सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय और संविदाकर्ता द्वारा दिए गए दूसरे ऐसे टैक्स शामिल होंगे। ऊपर बताई गई शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संविदाकर्ता, लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट के लिए कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार होने के अलावा, ऐसे उल्लंघन के कारण नियोक्ता को हुए सभी पैसे, फ़ायदे या मुनाफ़े के लिए भी ज़िम्मेदार होगा, या जो आम तौर पर उसे मिलते।

40. **संविदाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता का संविदा समाप्त करने का अधिकार, यदि व्यक्ति**

इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर कोई असर डाले बिना, अगर संविदाकर्ता, जो एक व्यक्ति है, की मौत हो जाती है, तो नियोक्ता के पास संविदा खत्म करने का ऑप्शन होगा, और ऐसी टर्मिनेशन के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

41 . **दुर्घटना रिपोर्ट**

किसी भी तरह के एक्सीडेंट होने पर, संविदाकर्ता क्लाइंट को सभी एक्सीडेंट रिपोर्ट की कॉपी देगा। रिपोर्ट बिना किसी देरी के और उसी समय भेजी जाएंगी जब उन्हें किसी दूसरी पार्टी को फॉरवर्ड किया जाएगा।

42. **कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम**

a) संविदाकर्ता "वर्कप्लेस पर महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट (रोकथाम, रोक और निवारण) एक्ट, 2013" के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। बैंक के परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई भी शिकायत होने पर, शिकायत संविदाकर्ता/एजेंसी द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी या लोकल कंप्लेंट्स कमिटी के सामने फाइल की जाएगी, जैसा भी मामला हो और संविदाकर्ता एजेंसी शिकायत के संबंध में उस एक्ट के तहत सही कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

b) सर्विस प्रोवाइडर के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ़ से बैंक के किसी भी कर्मचारी या बैंक में कार्य करने वाली किसी दूसरी फर्म के किसी भी कर्मचारी के ख़िलाफ़ सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट्स कमिटी ध्यान देगी।

c) अगर घटना में संविदाकर्ता के कर्मचारी शामिल हैं, तो संविदाकर्ता को किसी भी तरह के पैसे देने होंगे, जैसे कि अगर संविदाकर्ता के कर्मचारी द्वारा लैंगिक हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी या दूसरी फर्म के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत।

d) संविदाकर्ता अपने कर्मचारियों को कार्य की जगह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

e) संविदाकर्ता को बैंक की जगह पर कार्य करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अपडेटेड लिस्ट देनी होगी।

43. <u>अप्रकटन खंड</u>:

a) संविदाकर्ता सीधे या इनडायरेक्टली बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और डिटेल्स किसी थर्ड पार्टी को नहीं बताएगा, जो सर्विस प्रोवाइडर और/या DB डेवलपर को इस करार के संबंध में अपनी संविदा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान मिली हो या उनके पास आई हो, और उसे हर समय पूरी तरह से गुप्त रखेगा। संविदाकर्ता संविदा की डिटेल्स को प्राइवेट और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि यह उसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ज़रूरी हो। संविदाकर्ता सेकंड पार्टी की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और कार्य की कोई भी डिटेल्स पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देगा, या ज़ाहिर नहीं करेगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने पर, जैसा भी मामला हो, संविदाकर्ता की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा, और सेकंड पार्टी को नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का अधिकार होगा।

b) संविदाकर्ता अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी न बताने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो।

c) सर्विस प्रोवाइडर की ज़िम्मेदारियाँ और, संविदा करार पर बिना किसी नुकसान के, नॉन-डिस्क्लोजर और कॉन्फिडेंशियलिटी के संबंध में संविदाकर्ता की ज़िम्मेदारियाँ, किसी भी कारण से इस करार के एक्सपायर होने या खत्म होने के बाद भी लागू रहेंगी।

44. **<u>कार्यक्रम चार्ट / प्रगति रिपोर्ट</u>:**

संविदाकर्ता को कार्य के अलग-अलग स्टेज को पूरा करने के लिए एक सही प्रोग्रेस रिपोर्ट/चार्ट जमा करना होगा, ताकि कार्य तय समय में पूरा हो सके। ऐसा प्रोग्राम कार्य मिलने के 14 दिनों के अंदर जमा करना होगा। बैंक द्वारा किए गए सभी सही बदलाव प्रोग्रेस चार्ट में शामिल किए जाने चाहिए। अगर कहा जाए तो संविदाकर्ता को अलग-अलग यूनिट और यूनिट के ग्रुप के लिए मौजूदा इक्विपमेंट डिलीवरी की तारीखें और अनुमानित पूरा होने की तारीखें दिखाते हुए रिपोर्ट जमा करनी होगी।

45. **<u>वैधानिक अनुमोदन:</u>**

संविदाकर्ता द्वारा संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) / मुख्य विद्युत निरीक्षक (सीईआई) / स्थानीय अग्निशमन प्राधिकरण / स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण आदि / स्थानीय वैधानिक प्राधिकरण से प्राप्त पूर्व एनओसी और स्थानीय निकाय अनुमोदन के अनुसार कार्य निष्पादित किया जाएगा। संविदाकर्ता ऐसी सभी स्वीकृतियों में किए गए सभी प्रावधानों को समझने के लिए जिम्मेदार होगा। किसी

अतिरिक्त कार्य/उसमें संशोधन की किसी आवश्यकता के मामले में, उसे पहले से ही प्रभारी इंजीनियर के ध्यान में लाया जाएगा। स्थानीय निकाय प्राधिकरणों के मानदंडों का पालन करते हुए कार्य निष्पादित किया जाना है। संविदाकर्ता संबंधित प्राधिकरणों से आगे की मंजूरी और अंतिम समापन और अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कार्य के दौरान और पूरा होने के बाद आवश्यकतानुसार दस्तावेज, रिपोर्ट आदि तैयार करने में सहायता करेगा। संविदाकर्ता संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकों में भाग लेने और सभी संपर्क कार्य करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। इस खाते पर कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

46. **<u>निषेध/अयोग्यता:</u>**

वाले को इन वजहों से बोली लगाने से **रोका जा सकता है :**

1) अगर यह तय होता है कि बोली लगाने वाले ने ईमानदारी के नियम का उल्लंघन करते हुए ये कार्य किए हैं या गलतियाँ की हैं:

i) a) प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया में गलत फ़ायदा पाने के लिए या प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया पर किसी और तरह से असर डालने के लिए, सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से रिश्वत, इनाम या गिफ़्ट या कोई भी बड़ा फ़ायदा ऑफ़र करना, मांगना या लेना।

b) कोई भी ऐसी चूक या गलत जानकारी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने की कोशिश कर सकती है ताकि फाइनेंशियल या दूसरा फायदा मिल सके, या किसी ज़िम्मेदारी से बचा जा सके।

c) कोई भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या एंटी-कॉम्पिटिटिव व्यवहार जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को प्रभावित कर सकता है।

d) खरीदने वाली कंपनी द्वारा बोली लगाने वाले को दी गई जानकारी का गलत इस्तेमाल, खरीद प्रक्रिया में गलत फ़ायदा उठाने या निजी फ़ायदे के इरादे से।

e) बोली लगाने वाले और खरीदने वाली कंपनी के किसी भी अधिकारी के बीच निविदा या संविदा पूरा करने की प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी फाइनेंशियल या बिज़नेस लेन-देन: जो खरीदने वाली कंपनी के फैसले पर सीधे या इनडायरेक्टली असर डाल सकता है।

f) खरीद प्रक्रिया पर असर डालने के लिए किसी पार्टी या उसकी प्रॉपर्टी को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई दबाव डालना या धमकी देना।

g) किसी खरीद प्रक्रिया की किसी भी जांच या ऑडिटिंग में बाधा डालना।

h) निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेने या संविदा पाने के लिए गलत घोषणा करना या गलत जानकारी देना।

ii) कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट का खुलासा करने में नाकाम रहे।

iii) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान / इकाई के साथ उप-खंड (i) के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी भी पिछले उल्लंघन या किसी भी सार्वजनिक खरीद संस्थान / इकाई द्वारा निषिद्ध किए जाने का खुलासा करने में विफल रहा हो।

2) बोलीकर्ता द्वारा कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी के उल्लंघन के अलावा किसी भी अन्य कार्य या चूक के लिए, जिसके लिए बैंक की राय में डिबारमेंट उचित है, जैसे कि घटिया मटीरियल की सप्लाई, मटीरियल की सप्लाई न करना, कार्य को छोड़ देना, कार्य की घटिया क्वालिटी, नियमों का पालन न करना।

निविदा की शर्तें वगैरह।

3) अगर बोली लगाने वाले को किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है— (a) प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के तहत; या (b) इंडियन पीनल कोड या उस समय लागू किसी दूसरे कानून के तहत, पब्लिक प्रोक्योरमेंट संविदा को पूरा करते समय जान-माल का नुकसान करने या पब्लिक हेल्थ को खतरा पैदा करने के लिए।

47. **<u>मार्जिनल नोट्स</u>**

बॉक्स में और कैच लाइन में और साथ में दिए गए अनुलग्नक में दिए गए नोट्स सिर्फ़ आसानी से रेफरेंस के लिए हैं और इन प्रेजेंटेशन और साथ में दिए गए अनुलग्नक के मतलब को समझने में किसी भी तरह से ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

----------x----------

खंड (VI) - इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट

1	दोष दायित्व अवधि	बैंक को आखिरी एस्केलेटर सौंपने की तारीख से बारह महीने।
2	अंतिम माप की अवधि	3 महीने
3	प्रारंभण की तिथि	कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 10वां दिन
4	पूरा होने की तारीख	प्रारंभ तिथि से 5 महीने
5	की दर से परिसमाप्त क्षति	निविदा की शर्तें और नियम
6	अंतरिम सर्टिफिकेट/रनिंग अकाउंट बिल के लिए कार्य की मिनिमम मूल्य	संविदा मूल्य का 20%
7	भुगतान सर्टिफिकेट को पूरा करने की अवधि	अंतरिम बिल के लिए एक महीना और अंतिम बिल के लिए 3 महीने।
8	प्रतिधारण धन	डीएलपी तक संविदा मूल्य का 5%
9	एस्केलेटर लगाने और चालू करने के दौरान जमानत राशि / पीबीजी	डीएलपी तक संविदा मूल्य का 5%
10	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज	बैंक दर के अनुसार
11	सीएएमसी अवधि पीबीजी	निविदा के नियम और शर्तों के अनुसार

खंड-VII

कार्य का दायरा (ए और बी)

<u>सब-सेक्शन A. कार्य का दायरा और कार्य करते समय टेक्निकल स्पेसिफिकेशन:</u>

बैंक कोलकाता में बैंक के मेन ऑफिस बिल्डिंग की दूसरी और तीसरी मंज़िल के बीच लगे सभी दो एस्केलेटर को स्टेट ऑफ़ आर्ट करेंट टेक्नोलॉजी वाले एस्केलेटर से बदलना चाहता है। कार्य का दायरा इस तरह है:

I. बीएमओपी की दूसरी और तीसरी मंज़िल के बीच मौजूदा एस्केलेटर को सुरक्षित और सावधानी से हटाना।

II. नए एस्केलेटर लगाने के लिए साइट की ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरी सपोर्ट स्ट्रक्चर देने के साथ साइट तैयार करना।

III. निविदा में बताए गए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार BMOP के दूसरे और तीसरे फ्लोर के बीच रिवर्सिबल एस्केलेटर का डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, साइट पर सप्लाई (भारत में पोर्ट्स पर ट्रांसपोर्टिंग, क्लियरिंग, लोडिंग/अनलोडिंग और कोलकाता में साइट पर अनलोडिंग सहित) , इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग ।

IV. कार्य करते समय किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए कार्य की जगह पर सुरक्षा बैरिकेड / रेलिंग लगाना। संविदाकर्ता को अपने कार्य करने वालों और आम लोगों के लिए भी किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हर समय सभी ज़रूरी सुरक्षा उपाय करने होंगे।

V. संविदाकर्ता को ऊपर बताए गए कार्य को करते समय निकलने वाले मलबे को भी रेगुलर तौर पर हटाना होगा और साइट को साफ़-सुथरा रखना होगा।

VI. एस्केलेटर के सफल हैंडओवर के बाद एक साल का डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि (डीएलपी) देना।

VII. एक साल के डीएलपी के बाद कम से कम 19 साल तक व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी) के तहत सर्विस देना।

VIII. सभी संबंधित नागरिक कार्य करता है एस्केलेटर लगाने का कार्य वेंडर के दायरे में होगा , जिसमें एस्केलेटर के पार्ट्स, आस-पास के नाबदान आदि के लिए मौजूदा गड्ढे में बदलाव करना शामिल है।

पूरा करें।

IX. कार्य पूरा करने के लिए ज़रूरी कोई और कार्य, जो निविदा से जुड़ा हो लेकिन उसमें बताया न गया हो।

X. इस निविदा का कार्य पूरा करने के लिए ज़रूरी स्पेयर पार्ट्स, सभी टूल्स, टेस्टिंग और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट और मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट्स।

XI. दस्तावेज़ीकरण.

XII. लोकल अथॉरिटीज़ के लिए ज़रूरी दस्तावेज जमा करने और सिस्टम्स के डेमोंस्ट्रेशन के लिए सारा कोऑर्डिनेशन, जिसमें ज़रूरी लाइसेंस लेना भी शामिल है, पूरी तरह से संविदाकर्ता की ज़िम्मेदारी होगी।

XIII. सिस्टम को चालू करना, जिसमें हैंडओवर करने से पहले ठीक से कार्य कर रहा है यह दिखाने के लिए टेस्ट रिपोर्ट शामिल हैं।

XIV. हर इक्विपमेंट/मटीरियल के लिए रिकमेंडेड स्पेयर पार्ट्स की लिस्ट, कैटलॉग और सर्विस शेड्यूल वाला बना हुआ ड्रॉइंग और हैंडओवर डॉक्यूमेंट दें।

XV. बैंक के स्टाफ की ट्रेनिंग।

<u>सब-सेक्शन B:</u> डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि और व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा अवधि के दौरान कार्य का दायरा:

i. सुनिश्चित करना वह योग्य टीम तैनात द्वारा उन्हें, के लिए उद्देश्य के लिए प्रतिपादन आवश्यक सेवाएँ द्वारा किनारा अंतर्गत यह समझौता।

ii. सुनिश्चित करना वह उसका कर्मचारी, जबकि में बैंक परिसर या जबकि भार उठाते बाहर उनका दायित्वों अंतर्गत यह समझौता, निरीक्षण मानकों का स्वच्छता, शिष्टाचार, सुरक्षा, अच्छा व्यवहार और सामान्य अनुशासन द्वारा निर्धारित किनारा और किनारा/ नियोक्ता करेगा होना अकेला न्यायाधीश जैसा को चाहे या नहीं निविदाकार और/ या उसके कर्मचारियों पास होना देखा वही।

iii. व्यक्तिगत रूप से, और केवल निगरानी कार्य का उसका कर्मचारी इसलिए जैसा को सुनिश्चित करना वह सेवा प्रतिपादन किया अंतर्गत यह समझौता हैं ले जाया गया बाहर को संतुष्टि का किनारा।

iv. सुनिश्चित करना वह नहीं कर्मचारी का निविदाकार इच्छा प्रवेश करें या रहें पर बैंक का परिसर आगे निर्दिष्ट समय बैंक की पूर्व अनुमति के बिना सीमा जब तक और ज़रूरी के लिए को पूरा करने निविदाकर्ता का दायित्व।

v. होना उत्तरदायी के लिए कोई हानि कारण को बैंक या इसका परिसर या कोई भाग उसके या को कोई उसके उपकरण या कोई संपत्ति का किनारा और उसमें द्वारा कोई कार्य, चूक, चूक या लापरवाही की निविदाकर्ता या उसके कर्मचारियों या एजेंट।

vi. सप्लाई किए गए इक्विपमेंट पर, इक्विपमेंट बैंक को सौंपने की तारीख से डीएलपी और सीएएमसी अवधि के लिए

सभी तरह के डिफेक्ट्स के खिलाफ गारंटी होगी। गारंटी अवधि के अंदर सिस्टम/सब-असेंबली वगैरह में कोई भी खराबी मिलने पर, निविदा देने वाले को उसे **फ्री में ठीक करना होगा/बदलना** होगा। कोई भी असेंबली/पार्ट्स/बैटरी/वायरिंग, वगैरह जिसे बदलने/टूटने/डैमेज केबल और/या कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह की ज़रूरत हो, उसे ज़रूरत पड़ने पर बदला जाएगा, जिसके लिए संविदा के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से बैंक भुगतान नहीं करेगा।

vii. सिस्टम को सीएएमसी के तहत अगले **19 साल तक मेंटेन करना भी ज़रूरी है। व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए वन टाइम करार का फ़ॉर्मेट निविदा में दिया गया है। फ़र्म को इंस्टॉलेशन का फ़ाइनल बिल सेटल करने से पहले एएमसी करार जमा करना होगा।**

viii. इस समय (डीएलपी और सीएएमसी) के दौरान हर साल कम से कम **4** सर्विसिंग (रेल की सफाई, मूविंग पार्ट्स का लुब्रिकेशन, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपोनेंट्स की चेकिंग, सेफ्टी, इंटरलॉकिंग चेकिंग या OEM द्वारा बताई गई कोई भी दूसरी चेकिंग) और किसी भी नंबर पर ब्रेकडाउन कॉल्स को अटेंड करना फ्री में किया जाएगा।

ix. अच्छी सर्विस देने पर सीएएमसी भुगतान **हर छह महीने में किया जाएगा।**

x. वार्षिक रखरखाव सर्विस संविदा रेट में सारा खर्च भी शामिल होगा, जिसमें लेबर, सबसे पास के सर्विस स्टेशन से आने-जाने का खर्च, सभी स्पेयर पार्ट्स, तेल, केबल, और टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन और सिस्टम को दूसरी जगह ले जाना, जिसमें सिस्टम के ठीक से कार्य करने के लिए ज़रूरी कंज्यूमेबल आइटम वगैरह शामिल हैं।

xi. संविदाकर्ता को सारा कार्य बैंक के इंजीनियर की ड्राइंग, डिटेल्स और इंस्ट्रक्शन्स के हिसाब से ही करना होगा।

बी.1 व्यापक एएमसी की दर का नवीनीकरण:

सर्विस संविदा की रकम दो साल (एक साल का डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि और बताए गए रेट पर एक साल का एएमसी) के बाद कम से कम 18 साल के अतिरिक्त समय के लिए रिन्यू की जाएगी। संविदा रिन्यू करते समय रकम इस फ़ॉर्मूले के आधार पर तय की जाएगी।

$$ए_{सी} = ए_{पी}[(50 x(ईपीआई_{सी}/ईपीआई_{पी})+50x(सीपीआई_{सी}/सीपीआई_{पी})] / 100$$

$ए_{सी}$	चालू साल के लिए संविदा की रकम (टैक्स को छोड़कर)
$ए_{पी}$	पिछले साल का संविदा अमाउंट (टैक्स को छोड़कर)
$सीपीआई_{सी}$	इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ऑल इंडिया एवरेज) चालू साल के लिए संविदा शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले
$सीपीआई_{पी}$	इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ऑल इंडिया एवरेज) पिछले साल के लिए संविदा शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले
महाकाव्य	इस साल के लिए संविदा शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले **मटेरियल हैंडलिंग, एस्केलेटर और होइस्टिंग इक्विपमेंट** के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स ।

ईपीआई पी	पिछले साल के संविदा शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले **मटेरियल हैंडलिंग, एस्केलेटर और होइस्टिंग इक्विपमेंट** के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स ।

अगर संविदाकर्ता सिस्टम देने की तारीख से सर्विस नहीं देता है, तो बैंक को फर्म के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार है, जैसा वह सही समझे। इसमें फर्म को बैंक द्वारा बुलाए गए किसी भी दूसरे निविदा में आगे हिस्सा लेने से रोकना भी शामिल है और निविदा देने वाले को बिना कोई नोटिस दिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम भी ज़ब्त कर ली जाएगी।

B.3 : **पेनल्टी:** सिस्टम में कोई भी खराबी नीचे दिए गए सुधार समय के अनुसार ठीक की जाएगी, ऐसा न करने पर पेनल्टी लगाई जाएगी।

	सुधार समय	जुर्माना
किसी भी खराबी की वजह से एस्केलेटर कार्य नहीं कर रहा है	12 घंटे	हर एस्केलेटर के लिए हर दिन ₹1400.

नोट: एस्केलेटर को बड़े पैमाने पर बदलने का मकसद किसी भी सिविल, स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल बदलाव वगैरह से बचना है। सभी की सुरक्षा पक्की करने के लिए हर समय ज़्यादा सावधानी बरतने की उम्मीद है, जिसमें हमेशा बहुत सुरक्षित और साफ़ माहौल बनाए रखना भी शामिल है। इस संविदा के तहत कार्य इस निविदा डॉक्यूमेंट में बताई गई शर्तों और स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से संविदा रेट पर किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे कंपोनेंट/मटीरियल, जो निविदा डॉक्यूमेंट में खास तौर पर नहीं बताए गए हैं, लेकिन जो कार्य के किसी भी हिस्से के ठीक से इंस्टॉलेशन और/या ऑपरेशन के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें भी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के संविदा रेट के अंदर दिया जाएगा। संविदाकर्ता को प्री-बिड मीटिंग के दौरान एस्केलेटर बदलने के प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने वाले किसी भी बदलाव या कमी के लिए सुझाव देने के लिए बुलाया जाता है। संविदाकर्ता बैंक की संतुष्टि के हिसाब से हर तरह से कार्य करेगा और पूरा करेगा।

खंड -VIII

तकनीकी विनिर्देश

विस्तृत विनिर्देश का इच्छित उपकरण उपलब्ध है इस में अनुभाग। बताए गए स्पेसिफिकेशन्स में कोई भी बदलाव प्री-बिड मीटिंग में या उससे पहले बताना होगा। सेक्शन IX में इनमें से कुछ ज़रूरी ज़रूरतें बताई गई हैं और उनसे होने वाले बदलाव **अनुलग्नक** में ही बताए जा सकते हैं।

1.0 **सामान्य**

नीचे दिए गए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन्स और कोड ऑफ़ प्रैक्टिस, जो अभी लागू हैं और आज की तारीख तक अपडेट किए गए हैं, नीचे दी गई तारीखों पर ध्यान दिए बिना, एस्केलेटर और इस संविदा में शामिल कार्य पर लागू होंगे।

मानक / कोड

नीचे दिए गए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन्स और कोड ऑफ़ प्रैक्टिस, जो अभी लागू हैं और आज की तारीख तक अपडेट किए गए हैं, नीचे दी गई तारीखों पर ध्यान दिए बिना, एस्केलेटर और इस संविदा में शामिल कार्य पर लागू होंगे।

भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता	एनबीसी – 2016
हॉट रोल्ड और स्लिट स्टील टी बार के लिए स्पेसिफिकेशन।	IS-1173-1978पुनः पुष्टि 1987
वर्म गियर की लोडिंग रेटिंग का तरीका।	IS-7443-1974पुष्टि 1991
स्टैंडर्ड वर्म और हेलिकल गियर बॉक्स के चुनाव के लिए कोड ऑफ़ प्रैक्टिस।	IS-7403-1974पुष्टि 1991
आइसोमेट्रिक्स स्क्रू थ्रेड्स।	आईएस-4218-(भाग-II)1976 1996 में पुनः पुष्टि की गई
लो वोल्टेज स्विचगियर और कंट्रोल गियर के लिए एनक्लोजर से मिलने वाली सुरक्षा की डिग्री।	आईएस-2147-1962
इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरणों के लिए इंसुलेटिंग मटीरियल का क्लासिफिकेशन, सर्विस के दौरान उनकी थर्मल स्टेबिलिटी के हिसाब से।	IS-1271-1985पुनः पुष्टि 1990
अर्थिंग के लिए कोड ऑफ़ प्रैक्टिस।	आईएस-3043-1987
बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन फायर सेफ्टी।	आईएस-1646-1997
1100 वोल्ट तक के वर्किंग वोल्टेज के लिए PVC इंसुलेटेड इलेक्ट्रिक केबल।	आईएस-694-1990
बिजली की वायरिंग और इंस्टॉलेशन के लिए आचार संहिता	आईएस-732-1989
1100 वोल्ट तक के वर्किंग वोल्टेज के लिए PVC इंसुलेटेड (हेवी ड्यूटी) इलेक्ट्रिक केबल।	आईएस-1554-1988 (भाग-1)
लचीले स्टील नलिकाएं	आईएस-3480-1966
इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए रिजिड स्टील कंड्यूट के लिए एक्सेसरीज़	आईएस-3837-1976

इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ के लिए बॉक्स	आईएस-5133-1969 (भाग 1)
इलेक्ट्रिकल कार्य में सुरक्षा प्रक्रियाओं और तरीकों के लिए गाइड	आईएस-5216-1982 (भाग-1)
इंसुलेटेड इलेक्ट्रिक केबल और फ्लेक्सिबल कॉर्ड के लिए कंडक्टर	आईएस-8130-1984
लघु सर्किट ब्रेकर	आईएस-8828-1996
इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए मज़बूत स्टील के पाइप (दूसरा बदलाव)	आईएस-9537-1981
केबल के टेस्ट के तरीके	आईएस-10810-1998
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर।	आईएस-12640-1988
मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर	आईएस-13947-1993
1000 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज के लिए स्विचगियर और कंट्रोल गियर की सामान्य ज़रूरत।	आईएस-13947-1993
1100 वोल्ट ग्रेड XLPE इंसुलेटेड आर्मर्ड केबल	आईएस 7098
लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग पार्ट्स के डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और ऑपरेशन के नियम।	आईएस 1735-1975
एस्केलेटर की स्थापना और रखरखाव के लिए आचार संहिता	आईएस 4591 – 1968
एस्केलेटर और मूविंग वॉक की सुरक्षा- भाग 1: निर्माण और स्थापना	ईएन 115-1:2008+ए1:2010/2017
एस्केलेटर और मूविंग वॉक की सुरक्षा - भाग 2: मौजूदा एस्केलेटर और मूविंग वॉक की सुरक्षा को बेहतर बनाने के नियम	ईएन 115-2:2010/ 2017
सिस्मिक ज़ोन: सिस्मिक रिस्क ज़ोन-III के लिए कोड की ज़रूरतों का पालन करें	IS: 1893-भाग 1 और 2 -2002
लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए सुरक्षा कोड	एन 81-80
विद्युत चुम्बकीय संगतता	EN 12015 और EN 12016
लिफ्ट और एस्केलेटर के रखरखाव के निर्देश	ईएन 13015
जीवन सुरक्षा कोड	एनएफपीए 101

बोली लगाने वालों को एस्केलेटर के डिज़ाइन और इंस्टॉलेशन के लिए लागू लोकल और राज्य के नियमों को भी ध्यान में रखना होगा।

(a) इसके अलावा, नीचे दिए गए संबंधित क्लॉज़, जैसा कि आज तक बदला गया है, भी लागू होंगे:

- भारतीय विद्युत नियम 1956
- भारतीय विद्युत अधिनियम 1910
- स्थानीय अग्नि सुरक्षा नियम
- भवन उपनियम
- CPWD के एलिवेटर और एस्केलेटर के कार्य के लिए स्पेसिफिकेशन

- लिफ्ट और एस्केलेटर के डिज़ाइन और इंस्टॉलेशन के लिए कोई भी लागू लोकल लिफ्ट और एस्केलेटर एक्ट / नियम

(b) ऊपर दिए गए किसी भी लागू या रेफरेंस स्टैंडर्ड के बीच टकराव होने पर, ज़्यादा सख्त ज़रूरतों को पहले माना जाएगा।

1.1 तकनीकी पैरामीटर

a. पैसेंजर एस्केलेटर के लिए टेक्निकल पैरामीटर (जैसे, साइज़, ट्रैवल लेंथ, स्पीड) सेक्शन IX में डिटेल में दिए गए हैं। बिड लगाने वालों को उस अनुलग्नक में दिए गए कॉलम में आइटम के हिसाब से कन्फर्मेशन या कमेंट्स देने होंगे। निविदा की ज़रूरतों से कोई भी फर्क इस सेक्शन में साफ तौर पर हाईलाइट किया जाना चाहिए; नहीं तो, यह माना जाएगा कि ऑफर पूरी तरह से वैसा ही है। जिन निविदा में सेक्शन IX ठीक से भरा नहीं होगा, उन्हें तुरंत रिजेक्ट किया जा सकता है।

1.2 योजना मानदंड

एस्केलेटर संविदाकर्ता नीचे दिए गए स्पेसिफिकेशन्स और भरोसेमंद इंजीनियरिंग तरीकों के आधार पर डिज़ाइन बनाएगा और सभी एस्केलेटर ड्रॉइंग्स अप्रूवल के लिए बैंक को जमा करेगा। सभी सब-सिस्टम और इक्विपमेंट भरोसेमंद डिज़ाइन के होने चाहिए।
डिज़ाइन का उपकरण की पेशकश की चाहिए मिलो अगले मानदंड:-

- प्रयोग का नवीनतम राज्य का कला तकनीकी।
- डिज़ाइन संवर्द्धन चाहिए नहीं कम करना ज़िंदगी चक्र का उपकरण / अवयव
- डिज़ाइन ज़िंदगी का पर कम से कम 30 साल।
- उच्चतम स्तरों का विश्वसनीयता और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता
- सबसे कम रखरखाव लागत
- मॉड्यूलर डिज़ाइन
- न्यूनतम ज़िंदगी साइकिल की लागत
- उच्चतम स्तरों का सुरक्षा
- पर्यावरण दोस्ताना
- एस्केलेटर की हेल्थ के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम

यह डॉक्यूमेंट पक्का करता है कि एस्केलेटर बनाने वाली कंपनी का डिज़ाइन बताए गए मानदंड को मानता है और इक्विपमेंट सभी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को पूरा करता है, न सिर्फ हैंडओवर के समय बल्कि अपनी पूरी सर्विस लाइफ साइकिल में लगातार।

संविदाकर्ता को डाउनटाइम कम करने और परफॉर्मेंस की ज़रूरतों का पालन दिखाने के लिए बिल्ट-इन डायग्नोस्टिक्स देना होगा।

संविदाकर्ता को सभी डिज़ाइन इनपुट की साफ़ तौर पर पुष्टि करनी होगी—जिसमें शोर, वाइब्रेशन और दूसरे

परफ़ॉर्मेंस स्टैंडर्ड पूरे करने के लिए सावधानियां और कंट्रोल के उपाय शामिल हैं।

इस सेक्शन में इनडोर एस्केलेटर, उनके पार्ट्स, सेफ्टी डिवाइस वगैरह की टेक्निकल ज़रूरतें बताई गई हैं। सभी फीचर्स नीचे दिए गए स्टैंडर्ड/कोड के हिसाब से होने चाहिए। संविदाकर्ता की ज़िम्मेदारी होगी कि वह मैन्युफैक्चरिंग से पहले एस्केलेटर बे के डाइमेंशन को चेक करे और पक्का करे कि कानूनी कानूनों और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के लोकल कोड की ज़रूरतें पूरी होती हैं और दिए गए इक्विपमेंट मौजूद जगह के लिए सही हैं।

संविदाकर्ता को एस्केलेटर की डिज़ाइन लाइफ यानी 30 साल तक सर्विस और सभी स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता के बारे में भरोसा देना होगा।

2.0 सामान्य निर्माण

हर एस्केलेटर स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट टेक्नोलॉजी का होगा, जिसमें स्टेप की चौड़ाई कम होगी और ऊपर और नीचे सही संख्या में हॉरिजॉन्टल स्टेप्स होंगे। यह एक सेल्फ-कंटेन्ड यूनिट होगी जिसमें सभी सेफ्टी फीचर्स होंगे, जैसे ट्रस, स्टेप डिवाइस यूनिट्स, स्टेप चेन्स, कॉम्ब प्लेट्स, हैंडरेल्स, ड्राइविंग मशीन कंट्रोलर, सेफ्टी डिवाइसेस, बालस्ट्रेड्स और यहां बताए गए सभी दूसरे पार्ट्स जो एक पूरा एस्केलेटर बनाने के लिए ज़रूरी हैं। एस्केलेटर का झुकाव का एंगल 35° या साइट की ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए और ऊपरी लैंडिंग और निचली लैंडिंग पर कम से कम ट्रांज़िशन रेडियस, ज़रूरी संख्या में हॉरिजॉन्टल सीढ़ियों के आसानी से आने-जाने के लिए सही होना चाहिए।

एस्केलेटर मशीन गियर वाली कॉम्पैक्ट होनी चाहिए और इसमें मोटर, गियरबॉक्स और मशीन ब्रेक एक ही हाउसिंग में होने चाहिए। मशीन सीधे मेन ड्राइव शाफ्ट से एक कमर्शियल रोलर चेन से जुड़ी होनी चाहिए। मशीन साइट के एनवायरनमेंटल कंडीशन में चलाने के लिए सही होनी चाहिए और आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग में दिखाई गई जगहों पर इंस्टॉल की जानी चाहिए।

एस्केलेटर हर दिन 20 घंटे, हफ़्ते में 07 दिन कार्य करने के लिए सही होंगे, जिनका लोड फैक्टर EN 115-1:2008+A1:2010/2017 में बताया गया है।

3.0 सिस्टम विवरण और योजना (निर्माण)

पूरे एस्केलेटर में वे सभी पार्ट्स और एक्सेसरीज़ होंगी, जो इसके अच्छे से चलने के लिए ज़रूरी हैं, चाहे खास तौर पर बताया गया हो या नहीं। खास पार्ट्स और एक्सेसरीज़ के साथ उनके कार्य और फीचर्स नीचे दिए गए हैं:

3.1 ड्राइव यूनिट

हर एस्केलेटर को एक गियर वाली ड्राइविंग मशीन (या ट्रैक्शन मशीन) से अलग से चलाया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से ड्राइविंग मोटर, एक कपल्ड गियर बॉक्स यूनिट (स्पीड कम करने के लिए) और एक इलेक्ट्रिकली रिलीज़ और मैकेनिकली लगाया गया ब्रेक (एस्केलेटर को रोकने के लिए) होगा। हर ट्रैक्शन मशीन ट्रस के अंदर ऊपरी लैंडिंग में होगी और रिपेयर या रखरखाव के लिए ट्रस से पूरी तरह अलग निकाली जा सकेगी। एस्केलेटर की ड्राइविंग मोटर 3-फेज, 415Volt ±10%, 50Hz ± 5% AC सप्लाई पर चलने के लिए सही होगी और यह IS: 12615/IEC 60034 का पालन करेगी और इसकी एफिशिएंसी IE3 या उससे ज़्यादा होगी या फुल लोड पर मोटर और गियर बॉक्स की कंबाइंड एफिशिएंसी 82% से ज़्यादा होगी। 3-फेज इंडक्शन मोटर पूरी तरह से बाहरी कूलिंग फिन से बंद होगी। सिस्टम का साउंड लेवल बेलस्ट्रेड से 1 मीटर की दूरी पर

65 dBA से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए, ज़रूरी अकूस्टिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा।

ड्राइविंग मशीन हेवी-ड्यूटी वर्म; हेलिकल या प्लेनेटरी गियर टाइप की होगी जो खास तौर पर एस्केलेटर के लिए डिज़ाइन की गई हो और गियर बॉक्स में लो ऑयल लेवल अलार्म लगा होगा।

मोटर इंसुलेशन क्लास F होगा और इनग्रेस प्रोटेक्शन क्लास IP55 होगा।

3.2 नियंत्रक

एस्केलेटर का मूवमेंट, ट्रैवल-डायरेक्शन, स्पीड और रुकना वगैरह एक कॉम्पैक्ट और भरोसेमंद माइक्रोप्रक्रियार-बेस्ड कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाएगा, जिसे खास तौर पर एस्केलेटर ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंट्रोलर एक प्रूवन डिज़ाइन का होगा और यह पक्का करेगा कि एस्केलेटर अपनी सर्विस-लाइफ के दौरान लगातार चलता रहे। कंट्रोलर में माइक्रोप्रक्रियार बेस्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम होगा जिसमें सेल्फ-चेकिंग फीचर होगा और यह आम फॉल्ट (जो एस्केलेटर ऑपरेशन के दौरान हो सकते हैं) को इंडिकेट/डिस्प्ले करने के लिए होगा। मशीन स्विच मेटल कैबिनेट हाउसिंग में दिए जाने हैं। कैबिनेट एस्केलेटर के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा और इसे इनग्रेस प्रोटेक्शन क्लास IP54 से प्रोटेक्ट किया जाएगा।

3.3 ट्रस

सपोर्ट एंगल, जो दोनों लैंडिंग के सिरों पर ट्रस से वेल्ड किए जाते हैं, एस्केलेटर का वज़न उठाते हैं। एस्केलेटर में स्ट्रक्चरल स्टील ट्रस या गर्डर दिया जाएगा, जिसे एस्केलेटर के डेड वेट और इसके अलावा, एस्केलेटर की पूरी क्षमता से चलने पर पीक पैसेंजर-लोड को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेटेड या मापा गया डिफ्लेक्शन, EN-115: 2017 कोड के अनुसार, 5 KN/sqm (लोड एरिया = एस्केलेटर स्टेप की चौड़ाई x सपोर्ट के बीच की दूरी) के लगातार एक जैसे डिस्ट्रिब्यूटेड पैसेंजर लोडिंग के तहत सपोर्ट के बीच की दूरी के अनुसार होगा। ट्रस डिज़ाइन को स्टेप्स और रनिंग गियर को चालू रखने के लिए ज़रूरी सेफ्टी भी पक्का करनी चाहिए। ट्रैक सिस्टम के फेल होने पर, यह रनिंग गियर को अपने गाइड में रखेगा। ट्रस का कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि इससे एस्केलेटर के अंदरूनी हिस्सों को आसानी से देखा जा सके। ट्रस के अंदर के दूसरे हिस्से जैसे रिटर्न स्टेशन, शाफ्ट वगैरह हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड होंगे / कोरोसिव रेजिस्टेंस के लिए प्रोटेक्टिव कोटिंग के साथ। वेल्डेड ट्रस को वार्म रोल्ड स्टैंडर्ड स्टील प्रोफाइल से बनाया जाना है। ट्रस को प्राइम कोटिंग से कोरोजन से बचाया जाएगा। ट्रस के नीचे की पूरी लंबाई और चौड़ाई पर कम से कम 5mm मोटाई की ऑयल टाइट वेल्डेड शीट स्टील बॉटम प्लेट को वेल्ड किया जाना है। ट्रस के किनारे फ्रेम वर्क डिज़ाइन के हैं। सभी कॉर्ड, ट्रस पोस्ट और डायगोनल खोखले प्रोफाइल/एंगल/चैनल हैं।

ट्रस सपोर्ट स्ट्रक्चर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि स्ट्रक्चर से फैलने वाले वाइब्रेशन और आवाज़ को अलग रखा जा सके। सभी एस्केलेटर को मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड के अनुसार रबर पैड / नियोप्रीन टाइप बेयरिंग पैड / नियोप्रीन इंप्रेग्नेट डक्ट पैड / 3mm स्टैटिक डिफ्लेक्शन वाले कम्प्रेस्ड फाइबर-ग्लास पैड से सपोर्टिंग स्ट्रक्चर से अलग किया जाएगा, जिसका साइज़ अलग-अलग सपोर्ट पॉइंट पर लोड को एडजस्ट करने के लिए हो। अगर कोई रोक या एंकरिंग बोल्ट दिए गए हैं, तो उन्हें 10 mm मोटाई वाले नियोप्रीन पैड से माउंटिंग स्ट्रक्चर से अलग किया जाएगा। पूरा माउंटिंग सिस्टम पूरी तरह से कैप्टिव होगा और इक्विपमेंट/बेस को पैड की मोटाई से ज़्यादा हिलने देगा। हालांकि, आइसोलेशन पैड (बेयरिंग पैड, डक्ट पैड,

सपोर्ट पैड) वगैरह का मटीरियल और मोटाई मैन्युफैक्चरर के हिसाब से होगी और फंक्शनल ज़रूरतें पूरी होंगी।

ट्रस को आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग और साइट के डाइमेंशन में दिखाए गए सपोर्ट के बीच की दूरी के हिसाब से डिज़ाइन और बनाया जाएगा।

जहां ट्रस एक्सटेंशन को आर्किटेक्ट की ड्राइंग में बताए गए माउंटिंग पॉइंट्स से मिलने के लिए ज़रूरी है, वे ऊपर और नीचे के सिरों पर बराबर लंबाई के होने चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि न्यूल सिरे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सभी लेवल पर एक सीध में हों।

3.4 ट्रैक प्रणाली

एस्केलेटर में क्लोज्ड ट्रैक सिस्टम होगा और ट्रैक होल्डर्स को ट्रस के फ्रेमवर्क से बांधा जाएगा। ट्रैक होल्डर्स को बहुत सटीक अलाइनमेंट के बाद ट्रस में वेल्ड किया जाएगा।

3.5 मुख्य ड्राइव

मेन ड्राइव ऊपरी लैंडिंग में होगा और इसमें एक मज़बूत ठोस शाफ्ट होगा, जो टॉर्शन को खत्म करेगा और बेलस्ट्रेड को हटाए बिना मेन शाफ्ट बेयरिंग को आसानी से बदलने देगा।

3.6 टेंशन कैरिज

स्टेप चेन को टेंशन देने के लिए टेंशन कैरिज एस्केलेटर की निचली लैंडिंग पर होगा। इसे स्लाइडिंग ब्लॉक से साइड में गाइड किया जाएगा, जो दो कम्प्रेशन स्प्रिंग से गाइड और लगातार टेंशन देगा।
टेंशन कैरिज के हर तरफ सेफ्टी स्विच से सही चेन टेंशन को मॉनिटर किया जाएगा।

3.7 रेलिंग

एस्केलेटर के हर तरफ कम से कम 10mm मोटाई का क्लियर टैम्पर्ड ग्लास रेलस्ट्रेड लगा होगा, जिसमें सही मैकेनिकल ताकत और मजबूती हो और सेफ्टी ग्लास के क्रिस्टलाइन एलिमेंट का डिज़ाइन IS-2553 के हिसाब से होगा। अंदर और बाहर के पैनल इस तरह से लगाए जाएंगे कि वे एस्केलेटर के पूरी क्षमता पर चलने और इस्तेमाल के दौरान होने वाले स्ट्रेस और इम्पैक्ट को झेल सकें। रेलस्ट्रेड की ऊंचाई कम से कम 1000 mm या बताई गई ऊंचाई के हिसाब से होगी। स्कर्टिंग का मटीरियल स्टेनलेस स्टील हेयरलाइन फिनिश ग्रेड 304 होगा जिसकी मोटाई कम से कम 2 mm होगी। स्कर्ट पैनल का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.45 से कम नहीं होगा।
कांच के रेलिंग के जोड़ अंदरूनी और बाहरी डेकिंग के सभी जोड़ों के साथ एक सीध में होने चाहिए।
आस-पास के एस्केलेटर के न्यूल्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक लाइन में होंगे।

3.8 हैंडरेल

एस्केलेटर के रेलिंग के ऊपर, लंबे समय तक चलने वाले खास, हाई-क्वालिटी और वॉटर-रेपेलेंट सिंथेटिक रबर मटीरियल / पॉलीयुरेथेन से बने एंडलेस लूप हैंडरेल दिए जाएंगे। सभी हैंडरेल में एक एंडलेस इनर स्टील कॉर्ड मेंबर होता है। हैंडरेल उसी दिशा में और लगभग उसी स्पीड से चलेंगे, जिस स्पीड से सीढ़ियां चलती हैं। हैंडरेल ड्राइव सिस्टम में ड्राइव व्हील के ठीक पहले और बाद में गाइड दिए जाएंगे। गाइड रोलर्स हैंडरेल के लौटने वाले हिस्से को 2 m से ज़्यादा के गैप पर सपोर्ट नहीं करेंगे। हैंडरेल की पूरी सर्विस लाइफ के दौरान सही टेंशन बनाए रखने और ऑपरेशन के दौरान हैंडरेल के कसने/ढीले होने और ज़्यादा गर्म होने से बचाने के

लिए काफ़ी इंतज़ाम किए जाएंगे। ऑपरेशन के दौरान हैंडरेल का टेम्परेचर स्टेशन के आस-पास के टेम्परेचर से 6ºC से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। हैंडरेल को हैंडरेल डेकिंग (टॉप डेक) के साथ काफ़ी हद तक ओवरलैप करना चाहिए, ताकि रनिंग क्लीयरेंस के कारण उंगलियां या हाथ दबने या फंसने से बचा जा सके। हैंडरेल के होंठ इतने मज़बूत होने चाहिए कि 300 N के फ़ोर्स से भी हैंडरेल को हैंडरेल गाइड से आसानी से हटाया न जा सके।

3.9 चरण

एस्केलेटर के स्टेप्स कोरोजन-प्रूफ कास्टिंग-ग्रेड एल्युमिनियम एलॉय से बने होंगे, जिनमें काफी मैकेनिकल ताकत और अच्छी बनावट होगी ताकि उनके इस्तेमाल का मकसद पूरी तरह से पूरा हो सके; यानी, बिना किसी खराबी के यात्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा लोड उठा सकें। हर स्टेप चार पहियों पर टिका होगा, जिनमें से दो स्टेप चेन होंगे, और सेफ्टी के साथ बेसिक लोड उठा सकेंगे। हर स्टेप पर लोडिंग 6000 N/m² मानी जाएगी। स्टेप पर सभी पहियों को लगाने का डिज़ाइन यह पक्का करेगा कि सभी लोड की स्थिति में पहिये की सेंटर लाइन रनिंग ट्रैक के परपेंडिकुलर रहे। स्टेप के डायमेंशन में ट्रेड की चौड़ाई 1000 mm होगी, जो कम से कम 400 mm गहरी और 210 mm से ज़्यादा ऊँची नहीं होगी। डिज़ाइन में इस्तेमाल किए गए सेफ्टी फैक्टर कम से कम EN 115-1:2008+A1:2010/2017 के हिसाब से होने चाहिए। स्टेप एक पीस, प्रेशर डाई कास्ट, ज़्यादा घिसाव और कोरोजन रेजिस्टेंट एल्युमिनियम एलॉय का होगा। स्टेप कास्टिंग पर एक मार्किंग होनी चाहिए, जो बनाने का महीना और साल साफ़ तौर पर बताए। स्टेप का टाइप टेस्ट EN 115-1:2008+A1:2010/2017 (लेटेस्ट वर्शन) के हिसाब से किया जाएगा। हर स्टेप की ट्रेड सतह को स्टेप्स के चलने की पैरेलल दिशा में स्लॉट किया जाएगा।

क्लीटेड ट्रेड्स और राइज़र्स देने होंगे।

सीढ़ियों का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि रेलिंग में कोई दिक्कत आए या ड्राइव चेन या उसके मैकेनिज्म के किसी हिस्से को खोलने की ज़रूरत न पड़े, सीढ़ियों को आसानी से हटाया जा सके।

3.10 मुख्य और स्टेप चेन

ड्राइव यूनिट को डुप्लेक्स चेन से मेन चेन व्हील (मेन शाफ्ट से जुड़ा हुआ) से जोड़ा जाएगा। मेन शाफ्ट स्टेप चेन बैंड को आगे चलाएगा। स्टेप चेन लिंक से बनी होगी और उसमें व्हील लगे होंगे। स्टेप चेन बैंड एंडलेस रोलर टाइप का होगा जो मूविंग स्टेप्स के दोनों तरफ लगा होगा और स्टेप चेन की स्ट्रेंथ मूल्य EN-115 के अनुसार होगी। स्टेप्स को सॉलिड/हॉलो एक्सल से स्टेप चेन से जोड़ा जाता है ताकि इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके, EN-115 के अनुसार OEM स्टैंडर्ड डिज़ाइन के अनुसार स्टेप चेन के दोनों तरफ लिंक करें।

स्टेप चेन पिन का मैक्सिमम प्रेशर और उसकी डिज़ाइन लाइफ EN-115 के अनुसार होगी।

हर स्टेप चेन में निचले लैंडिंग लेवल पर एक ऑटोमैटिक टेंशन डिवाइस दिया जाएगा ताकि अलग-अलग लोड कंडीशन में सही टेंशन बना रहे।

3.11 स्वचालित स्नेहन उपकरण

एस्केलेटर में एक इन-बिल्ट ऑटोमैटिक लुब्रिकेशन डिवाइस होना चाहिए, जो मेन ड्राइविंग-चेन, सभी मेन बेयरिंग, स्टेप चेन व्हील और स्टेप-चेन बेयरिंग को ऑटोमैटिक रूप से लुब्रिकेट करे, जिससे वे लंबे समय तक आसानी से चल सकें और इस तरह रखरखाव डाउनटाइम कम हो सके। ड्रिप-फीडिंग सिस्टम और सभी लुब्रिकेशन पॉइंट तक आसानी से पहुंचा जा सके और ऊपरी लैंडिंग मशीन रूम से उन पर नज़र रखी जा सके। लुब्रिकेटेड पार्ट्स के नीचे ड्रिप पैन दिए जाने चाहिए।

3.12 कॉम्ब प्लेट

एस्केलेटर के एंट्रेंस/एग्जिट एरिया में कॉम्ब प्लेट्स आसानी से बदले जा सकने वाले कॉम्ब सेगमेंट होने चाहिए, जिनमें ऐसे दांत हों जो सीढ़ियों में गहराई तक इंटरलॉक हों। सभी कॉम्ब सेगमेंट एक जैसे और आसानी से बदले जा सकने वाले होने चाहिए। अगर कॉम्ब सेगमेंट में कोई बाहरी चीज़ घुस जाए, तो सेफ्टी कॉन्टैक्ट्स को एस्केलेटर को रोकना चाहिए। सेफ्टी कॉन्टैक्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए, कॉम्ब प्लेट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्लाइड कर पाना चाहिए।

3.13 कॉम्ब

कंघे मेटल के बने होने चाहिए जिनमें खांचे हों। अगर ज़रूरत हो तो बदलने के लिए उन्हें कंघे की प्लेट पर स्क्रू से कसना चाहिए। कंघे के दांतों में जानबूझकर टूटने वाले पॉइंट होने चाहिए ताकि अगर स्टेप और कंघे के बीच कोई चीज़ फंस जाए तो वे आसानी से टूट जाएं और गंभीर नुकसान से बचा जा सके।

हर लैंडिंग पर, ऊपर और नीचे की लैंडिंग पर एस्केलेटर की सपाट सीढ़ियों के एंट्री पॉइंट को रोशन करने के लिए पीले रंग की कॉम्ब लाइटिंग दी जाएगी।

3.14 लैंडिंग प्लेट

एस्केलेटर की लैंडिंग प्लेट का मतलब है कि कॉम्ब प्लेट की जड़ से कम से कम 0.85 m तक सुरक्षित जगह मिले और उसमें एंटी-स्लिप पैटर्न होना चाहिए। लैंडिंग प्लेट से मशीन रूम और रखरखाव रूम दोनों में जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए।

लैंडिंग प्लेट का हर सेक्शन 5000 N/sqm का रेटेड लोड झेलने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा और लैंडिंग प्लेट सेक्शन के पूरे फैलाव में नीचे की तरफ सही ब्रेसिंग लगाई जाएगी। सेंट्रल ब्रेसिंग की चौड़ाई कम से कम 100 mm होगी और मोटाई रेटेड लोड के आधार पर डिज़ाइन की जाएगी। लैंडिंग प्लेट का हर सेक्शन एक-दूसरे के साथ कम से कम 50 mm के ओवरलैप के साथ इंटरलॉक किया जाएगा ताकि एक फेल-सेफ स्ट्रक्चर मिल सके।

3.15 कुंजी संचालित प्रारंभ फ़ंक्शन

एस्केलेटर का ऑपरेशन एस्केलेटर के साथ दी गई एक खास चाबी से शुरू/बंद किया जाएगा।

एक बार की स्विच का इस्तेमाल शुरू करने के बाद, एस्केलेटर को ऑटोमैटिकली शुरू और बंद करने के लिए इंफ्रारेड डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सेंसर एस्केलेटर की दोनों लैंडिंग पर दिए जाएंगे और अगर एक तय समय तक पैसेंजर की मूवमेंट का पता नहीं चलता है, तो ये एस्केलेटर को रोक सकेंगे। एंट्री पॉइंट पर पैसेंजर की मूवमेंट का पता चलने पर और गलत दिशा से एंट्री होने पर एस्केलेटर ऑटोमैटिकली शुरू हो जाएगा।

3.16 आपातकालीन स्टॉप बटन

इमरजेंसी में इक्विपमेंट को रोकने के लिए एस्केलेटर में ऊपर और नीचे की लैंडिंग के पास और एस्केलेटर के बीच वाले हिस्से में इमरजेंसी स्टॉप बटन होने चाहिए।

3.17 ट्रैफ़िक फ्लो लाइट्स

एस्केलेटर पर दोनों लैंडिंग पर एस्केलेटर के पास साफ़ दिखने वाली जगहों पर अलग रंग की ट्रैफिक डायरेक्शन लाइट होनी चाहिए, ताकि आने वाले यात्रियों को एस्केलेटर की दिशा का पता चल सके और इस तरह, उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोका जा सके।

3.18 विद्युत कार्य / वस्तुएँ

एस्केलेटर लगाने के लिए सभी बिजली के कार्य और स्विच गियर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 (नए बदलावों के साथ) के हिसाब से होने चाहिए। सभी पावर केबल और वायरिंग 1 kV ग्रेड के फायर रेजिस्टेंट लो स्मोक हैलोजन फ्री (FRLSH) कॉपर केबल होने चाहिए जो IS: 694 और IS: 1554 के हिसाब से हों। किसी भी एस्केलेटर में कोई भी बेयर कंडक्टर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे लोगों को करंट लगने का खतरा हो सकता है। कंट्रोल स्विचगियर को सील्ड एनक्लोजर में लगाना होगा। बैंक इस स्विचगियर तक पावर सप्लाई केबल लाएगा। एस्केलेटर सिस्टम सप्लायर/इंस्टॉलर मेन कंट्रोल स्टेशन में MCCB और रिटर्न स्टेशन में कंट्रोल सर्किट ब्रेकर भी देगा।

सभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को इनग्रेस प्रोटेक्शन क्लास IP54 के साथ डिज़ाइन किया जाएगा।

3.19 ग्रीस/ तेल/ गंदगी और पानी

एस्केलेटर के निचले रिटर्न स्टेशन पर ढीले/गिरने/जमा हुए – ग्रीस/तेल/गंदगी और पानी के लिए अलग कलेक्टर और ड्रेनेज सम्प लगाए जाएंगे, ताकि इन चीज़ों के मामले में एस्केलेटर की सफ़ाई बनी रहे और इनसे होने वाले किसी भी खतरे को रोका जा सके। ग्रीस/तेल/गंदगी को इकट्ठा करने के लिए ड्रिप पैन का इस्तेमाल किया जाएगा।

3.20 आपातकालीन हाथ घुमाना

इमरजेंसी में एस्केलेटर को किसी भी दिशा में हैंड वाइंडिंग करने का इंतज़ाम किया जाएगा। सीढ़ियों की मूवमेंट की दिशा के हिसाब से हैंड वाइंडिंग की दिशा साफ़ तौर पर मार्क की जाएगी। अगर हैंड वाइंडिंग व्हील निकाला जा सकता है, तो उसे ड्राइव यूनिट के पास खास तौर पर बने रैक में स्टोर किया जाएगा।

3.21 एंटी-क्लाइम्बिंग गार्ड

हो सकता है कि कोई व्यक्ति बाहरी डेकिंग प्रोफ़ाइल पर चढ़ जाए। एस्केलेटर संविदाकर्ता को डेकिंग सेक्शन से 90 डिग्री पर लैमिनेटेड सेफ़्टी ग्लास एंटी क्लाइंबिंग गार्ड लगाने होंगे, जगह तय की जाएगी।

3.22 चौराहा गार्ड

अगर एस्केलेटर और फ़्लोर इंटरसेक्शन के बीच शरीर का कोई हिस्सा फंसने की संभावना हो या एस्केलेटर आड़े-तिरछे लगे हों, तो इंटरसेक्शन गार्ड लगाने की ज़रूरत है। गार्ड को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि जब इसे छत के इंटरसेक्शन या किसी रुकावट से लटकाया जाए, तो यह हैंडरेल के निचले किनारे से कम से कम 100 mm नीचे तक फैला हो।

4.0 सुरक्षा उपकरण / सुविधाएँ

नीचे दी गई ज़रूरतों के हिसाब से ऑपरेटिंग और सेफ्टी डिवाइस दिए जाएंगे, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: -

4.1 मोटर ओवरलोड और थर्मल प्रोटेक्शन डिवाइस

ड्राइविंग मोटर को ओवरलोडिंग या शॉर्ट-सर्किटिंग की वजह से ज़्यादा करंट से बचाया जाएगा। मोटर वाइंडिंग के हर फेज़ के लिए ऐसे प्रोटेक्टिव डिवाइस दिए जाएंगे। इस सेफ्टी डिवाइस के इस्तेमाल के बाद, मोटर की पावर सप्लाई काट दी जाएगी और सिर्फ़ कोई काबिल आदमी ही इसे वापस उसकी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में ला पाएगा।

अगर ज़्यादा करंट का पता मोटर वाइंडिंग में तापमान बढ़ने पर निर्भर करता है, तो ऐसा डिवाइस फॉल्ट हटाने और वाइंडिंग के काफ़ी ठंडा होने के बाद अपने आप रीसेट हो सकता है, लेकिन एस्केलेटर अपने आप फिर से चालू नहीं होंगे। अगर बिल्ट-इन टाइप थर्मल प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो वह EN 115-1:2008+A1:2010/2017 के हिसाब से होना चाहिए।

4.2 स्टार्टिंग स्विच

एस्केलेटर के दोनों सिरों पर स्प्रिंग रिटर्न की से चलने वाला स्टार्टिंग स्विच दिया जाएगा, जिसके चलने की दिशा फेसप्लेट पर लिखी होगी। ये स्विच इस तरह से लगाए जाएंगे कि जब ऑपरेटर एस्केलेटर स्टार्ट करने के लिए की का इस्तेमाल करेगा, तो उसे पूरा एस्केलेटर दिखाई देगा। की सिर्फ़ न्यूट्रल पोज़िशन में ही निकाली जा सकेगी।

4.3 सर्विस स्टॉप स्विच

एस्केलेटर के दोनों सिरों पर मशीनरी स्पेस में सर्विस स्टॉप स्विच दिए जाने चाहिए। स्विच साफ़ तौर पर और पक्के तौर पर मार्क किए जाने चाहिए और ऐसी जगह पर होने चाहिए कि मशीनरी के किसी भी हिस्से से गुज़रे या उस तक पहुँचे बिना स्विचिंग की जा सके। इन स्विच के ऑपरेशन से कंट्रोलर और ड्राइव मैकेनिज्म की बिजली कट जाएगी और ब्रेक एक्टिवेट हो जाएँगे। स्विच को मोटर के स्टार्टिंग करंट को रोकने के लिए रेट किया जाएगा और फ़्यूज़ को स्विच पर मौजूद फॉल्ट करंट के लिए रेट किया जाएगा। इंस्पेक्शन रन पर भी रोक होगी।

4.4 आपातकालीन स्टॉप स्विच

हर एस्केलेटर पर एक्सीडेंटल ऑपरेशन से बचाने के लिए एक्सटेंडेड स्लीव के साथ रिसेस्ड टाइप, मोमेंट्री प्रेशर, इमरजेंसी पुश बटन स्टॉप स्विच दिए जाने चाहिए। एस्केलेटर के दोनों सिरों पर न्यूल पर कम से कम एक स्विच साफ़ और आसानी से पहुँचने वाली जगहों पर होना चाहिए। इन स्विच के ऑपरेशन से ड्राइव मैकेनिज्म की इलेक्ट्रिकल पावर कट जाएगी और ब्रेक एक्टिवेट हो जाएँगे। इन स्विच के इस्तेमाल से ड्राइव मैकेनिज्म को स्टार्ट करना मुमकिन नहीं होगा। सही साइन बोर्ड लगाए जाने चाहिए ताकि स्विच की जगह आसानी से पहचानी जा सके।

4.5 स्पीड गवर्नर

स्पीड गवर्नर दिया जाएगा जो ड्राइव मैकेनिज्म से इलेक्ट्रिकल पावर काट देगा और ब्रेक चालू कर देगा, अगर सीढ़ियों की स्पीड तय स्पीड से 20% से ज़्यादा हो जाए। स्पीड गवर्नर की ज़रूरत उन मामलों में नहीं होती जहाँ अल्टरनेटिंग करंट इंडक्शन ड्राइविंग मोटर का इस्तेमाल होता है, बशर्ते स्लिप 10% से ज़्यादा न हो और मोटर सीधे ड्राइव मैकेनिज्म से जुड़ी हो।

4.6 टूटी और ढीली स्टेप चेन सुरक्षा डिवाइस

हर टेंशन कैरिज के हिस्से के तौर पर डिवाइस लगाए जाएंगे जो ड्राइव मैकेनिज्म से इलेक्ट्रिकल पावर काट देंगे और अगर स्टेप चेन टूट जाए या किसी भी चेन पर टेंशन पहले से तय मूल्य से कम (या ज़्यादा) हो जाए, या चेन की मूवमेंट में रुकावट आए तो ब्रेक चालू कर देंगे।

4.7 टूटी हुई ड्राइव चेन डिवाइस

जहां ड्राइव मैकेनिज्म मेन ड्राइव शाफ्ट से चेन से जुड़ा होता है, वहां एक डिवाइस दिया जाएगा जो ड्राइव मैकेनिज्म की इलेक्ट्रिकल पावर काट देगा और अगर ड्राइविंग चेन फेल हो जाती है या बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है, तो ऑपरेशनल ब्रेक और एडिशनल ब्रेक दोनों को एक्टिवेट कर देगा।

4.8 गैर-प्रतिवर्ती उपकरण

पहले से तय दिशा से गाड़ी के पलटने का पता लगाने और एस्केलेटर को रोकने के लिए ऑपरेशनल और ऑक्सिलरी ब्रेक को एक्टिवेट करने के लिए एक डिवाइस लगाया जाएगा।

4.9 हैंडरेल फिंगर गार्ड सुरक्षा उपकरण

उन जगहों पर डिटेक्शन डिवाइस लगानी होगी जहाँ हैंडरेल एस्केलेटर के न्यूल में घुसते हैं। ये डिवाइस ड्राइव मैकेनिज्म की इलेक्ट्रिकल पावर काट देंगे और हैंडरेल और न्यूल के बीच के गैप में कोई चीज़ घुसने पर ब्रेक चालू कर देंगे।

4.10 स्टेप और स्कर्ट सुरक्षा उपकरण

एस्केलेटर के स्कर्टिंग पैनल में ऊपरी और निचले कॉम्ब प्लेट टिप्स के पास, ट्रैक सिस्टम पर ऊपरी और निचले मोड़ पर और हर एस्केलेटर के ढलान पर 7.5 m के गैप पर डिटेक्शन डिवाइस दिए जाएंगे। अगर स्कर्ट पैनल के सीढ़ियों से दूर जाने की वजह से इनमें से कोई भी डिवाइस एक्टिवेट हो जाए, तो ड्राइव मैकेनिज्म की इलेक्ट्रिकल पावर काट दी जाएगी और ब्रेक लगा दिए जाएंगे।

4.11 कॉम्ब प्लेट सुरक्षा उपकरण

हर लैंडिंग पर कॉम्ब प्लेट्स के दोनों तरफ सेफ्टी डिवाइस लगाए जाएंगे, जो ड्राइव मैकेनिज्म की इलेक्ट्रिकल पावर काट देंगे और अगर कोई चीज़ कॉम्ब और स्टेप के बीच फंस जाए तो ब्रेक एक्टिवेट कर देंगे। डिवाइस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दिशाओं में कार्य कर सकेगा।

4.12 स्टेप लोअरिंग डिवाइस

ऐसे डिवाइस दिए जाएंगे जो ड्राइव मैकेनिज्म से इलेक्ट्रिकल पावर काट देंगे और अगर कोई सीढ़ी ज़्यादा लोड या टूटने की वजह से नीचे हो जाए, तो ब्रेक चालू कर देंगे। यह डिटेक्शन सीढ़ी के बाईं, बीच और दाईं ओर असरदार होगा। डिवाइस एस्केलेटर के ऊपर और नीचे के मोड़ के पास होगा। इन्हें इस तरह लगाया जाएगा कि नीचे की गई सीढ़ियां कॉम्ब के सामने रुक जाएं ताकि और नुकसान न हो।

4.13 निरीक्षण नियंत्रण

दोनों लैंडिंग पर BS EN115:2008+A1:2010/2017 के अनुसार इंस्पेक्शन कंट्रोल दिया जाएगा।

4.14 गुम स्टेप डिटेक्शन डिवाइस

एस्केलेटर के पैसेंजर साइड पर गायब सीढ़ी दिखने से पहले एस्केलेटर को रोकने के लिए डिटेक्शन डिवाइस दिए जाएंगे।

4.15 हैंडरेल स्पीड डिटेक्शन डिवाइस

हर हैंडरेल में एक डिवाइस लगा होगा, जो हैंडरेल की स्पीड तय स्पीड के ±5% से ज़्यादा होने पर एस्केलेटर को रोक देगा।

4.16 टूटी हुई रेलिंग डिवाइस

हर हैंडरेल में अप्रूव्ड डिज़ाइन के मैकेनिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस लगे होंगे ताकि ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा खिंचाव और हैंडरेल के खराब होने का पता लगाया जा सके।

4.17 फ़्लोर प्लेट सुरक्षा उपकरण

हर हिंज वाली फ्लोर प्लेट के नीचे / ऊपर और नीचे दोनों लैंडिंग पर फ्लोर प्लेट के कई सेक्शन के नीचे अप्रूव्ड डिज़ाइन के सेफ्टी स्विच दिए जाएंगे। जब तक रखरखाव / इंस्पेक्शन मोड में न हों, फ्लोर प्लेट खुलने पर एस्केलेटर रुक जाएंगे।

4.18 स्टेप अप-थ्रस्ट डिवाइस

अगर ट्रैक सिस्टम के पैसेंजर ले जाने वाले साइड में ढलान से हॉरिजॉन्टल में ट्रांज़िशन कर्व पर "अप-थ्रस्ट" ट्रैक के सामने एस्केलेटर का स्टेप झुक जाए या अपनी जगह से हट जाए, तो एस्केलेटर को रोकने के लिए ऊपर और नीचे की लैंडिंग पर मंज़ूर डिज़ाइन का सेफ्टी डिवाइस लगाया जाएगा।

4.19 स्कर्ट ब्रश

पैरों और ढीले कपड़ों को फंसने की जगह से दूर रखने और साड़ी और ढीले कपड़ों वगैरह से बचाने के लिए स्कर्ट पैनल पर स्टेप नोज़ लाइन के साथ ब्रश टाइप डिफ्लेक्टर डिवाइस दिया जाएगा। ब्रश के ब्रिसल्स आग रोकने वाले नायलॉन फिलामेंट से बने होंगे, जिनके सिरे दो हिस्सों में बंटे होंगे ताकि चेहरा मुलायम रहे।

4.20 ब्रेक लाइनिंग सुरक्षा स्विच और ब्रेक लिफ्टिंग सुरक्षा स्विच

सेफ्टी डिवाइस की डिटेल्स खरीदार को बिना किसी ऑब्जेक्शन के डिज़ाइन रिव्यू के लिए देनी होंगी और लाइनिंग की मोटाई को मॉनिटर करने और ब्रेक लाइनिंग में किसी भी एबनॉर्मल या अनइवन वियर का पता लगाने के लिए मशीन ब्रेक के हर शू पर दी जाएंगी।

4.21 चरण सुरक्षा उपकरण

कंट्रोलर में एक फेज़ प्रोटेक्शन डिवाइस दिया जाएगा ताकि फेज़ फेलियर या पावर सप्लाई के फेज़ सीक्वेंस के उलट होने पर एस्केलेटर को चलने से रोका जा सके या रोका जा सके। फेज़ फेलियर या फेज़ सीक्वेंस फॉल्ट के कारण इस डिवाइस के चालू होने का संकेत देने के लिए कंट्रोल क्यूबिकल/कंट्रोलर पर एक रोशन विज़ुअल इंडिकेटर दिया जाएगा। फॉल्ट ठीक होने तक इंडिकेटर रोशन रहेगा।

4.22 पृथ्वी रिसाव सुरक्षात्मक उपकरण

एक अर्थ लीकेज प्रोटेक्टिव डिवाइस या रेसिडुअल करंट डिवाइस दिया जाएगा ताकि एस्केलेटर के मेटलवर्क में कोई भी खतरनाक अर्थ लीकेज होने पर ड्राइविंग मशीन तुरंत रुक जाए और पावर सप्लाई/कंट्रोलर डिस्कनेक्ट हो जाए।

4.23 सीढ़ियों और रेलिंग के लिए एंटी-स्टैटिक डिवाइस

सीढ़ियों और हैंडरेल में जमा हुए किसी भी स्टैटिक चार्ज को निकालने के लिए एक एंटी-स्टैटिक डिवाइस दिया जाएगा।

4.24 निगरानी और दोष निदान प्रणाली

ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए एक माइक्रोप्रक्रियार बेस्ड मॉनिटरिंग और फॉल्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम दिया जाएगा; इमरजेंसी स्टॉप सहित एस्केलेटर के रुकने की वजह बनने वाले सभी फॉल्ट की पहचान और डिस्प्ले की जाएगी। फॉल्ट कोड या फॉल्ट मैसेज बताने वाला एक अल्फा-न्यूमेरिक प्ले यूनिट दोनों लैंडिंग पर हैंडरेल डेकिंग पर आसानी से पहुंचने वाली और सुरक्षित जगह पर लगाया जाएगा। आखिरी फॉल्ट का डिस्प्ले तभी रीसेट किया जा सकता है जब रुकने की वजह बनने वाला फॉल्ट ठीक हो जाए, लेकिन पुराना रिकॉर्ड माइक्रोप्रक्रियार में रहेगा। जिन फॉल्ट के लिए रखरखाव स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें आसानी से पहचाना जाएगा ताकि ऑपरेटर एस्केलेटर को री-सेट और री-स्टार्ट कर सके।

4.25 सहायक ब्रेक

यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी के लिए सेफ्टी सर्किट को रोककर और एस्केलेटर को रोककर सहायक ब्रेक लगाया जाएगा।

- अगर मेन ड्राइव चेन टूट जाए
- अगर ओवर स्पीड गवर्नर ट्रिप हो जाए, या
- अगर सीढ़ियों की मूवमेंट की दिशा अपने आप उलट जाए।

4.26 स्प्रिंकलर प्रणाली

सभी एस्केलेटर में ऊपर की मशीनरी की जगह और नीचे के गड्ढे में स्प्रिंकलर सिस्टम लगा होना चाहिए। एस्केलेटर सिस्टम सप्लायर/इंस्टॉलर एस्केलेटर के लिए ट्रस के अंदर स्प्रिंकलर पाइप और हेड देगा और तय संविदाकर्ता के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और आग से बचाने के सभी ज़रूरी सामान लगाने और लैंडिंग पिट और मशीन रूम में दिए गए स्प्रिंकलर को मेन फायर स्प्रिंकलर/सप्रेशन सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए सही इंतज़ाम करेगा।

बिल्डिंग के फायर स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम का कनेक्शन AAI द्वारा एस्केलेटर पिट के पास दिया जाएगा, आगे का एक्सटेंशन और एस्केलेटर स्प्रिंकलर / फायर सिस्टम के साथ कनेक्शन एस्केलेटर सिस्टम सप्लायर / इंस्टॉलर द्वारा किया जाएगा।

5.0 भूकंपीय संचालन

एस्केलेटर में सिस्मिक ऑपरेशन कंट्रोल सिस्टम लगा होगा। ऐसी लहर का पता चलने पर, डिवाइस एस्केलेटर को बंद करने का निर्देश देगा।

भूकंप आने पर एस्केलेटर बंद हो जाने चाहिए और तब तक बंद रहने चाहिए जब तक कंट्रोलर को मैन्युअल रूप से रीसेट न कर दिया जाए और यूनिट को चाबी से चालू न कर दिया जाए। एस्केलेटर सिस्टम सप्लायर/इंस्टॉलर को एक फिक्स्ड और एक फ्लोटिंग सपोर्ट देना होगा।

6.0 आग आपातकालीन ऑपरेशन

सभी एस्केलेटर के लिए फायर इमरजेंसी ऑपरेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्डिंग फायर सिग्नल को एस्केलेटर कंट्रोल सिस्टम के साथ जोड़ने का तरीका होना चाहिए।

आग का सिग्नल मिलने पर, एस्केलेटर कंट्रोल सिस्टम एस्केलेटर को रोक देगा।

7.0 प्रकाश व्यवस्था और जुड़नार

एस्केलेटर सिस्टम सप्लायर / इंस्टॉलर को ये चीज़ें देनी होंगी:

(a) मशीन कम्पार्टमेंट, पिट और एस्केलेटर ट्रस में रखरखाव को आसान बनाने के लिए, लाइटिंग आउटलेट फिटिंग, स्विच और वायरिंग के साथ-साथ जनरल पर्पस पावर पॉइंट आउटलेट, जैसा ज़रूरी समझा जाए।

(b) कॉम्ब लाइट्स, ऊपर और नीचे दोनों लैंडिंग पर रेलिंग के अंदर की तरफ स्कर्ट पैनल के साथ पूरी होती हैं। कॉम्ब लाइट्स को कंट्रोल पैनल से जोड़ा जाएगा और वायर किया जाएगा ताकि लाइट्स तभी कार्य करें जब एस्केलेटर चल रहे हों। LED लाइट्स पूरी चौड़ाई में रोशनी करेंगी।

(c) लगातार LED स्कर्ट लाइटिंग और अंडर स्टेप लाइटिंग दी जाएगी

(d) हर मशीनरी स्पेस में एक परमानेंट लाइट होगी, जो ठीक से सुरक्षित होगी, जिसे मशीनरी के किसी भी हिस्से के ऊपर से गुज़रे बिना या उस तक पहुँचे बिना स्विच किया जा सके। एक 15 amps का स्विच सॉकेट आउटलेट भी दिया जाएगा और लाइट स्विच के पास लगाया जाएगा। आसानी से इस्तेमाल होने वाले स्विच वाली परमानेंट लाइट और एस्केलेटर पिट में एक 15 Amp का सॉकेट आउटलेट इक्विपमेंट के रखरखाव / सर्विसिंग के लिए दिया जाएगा।

8.0 बीएमएस संगतता

सभी एस्केलेटर को IBMS के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके लिए हर एलिवेटर/एलिवेटर कंट्रोलर में BMS सिस्टम के लिए ज़रूरी इंटरफेसिंग सर्किट/हार्डवेयर दिए जाएंगे, ताकि मॉनिटर किए जा रहे एलिवेटर का इंटीग्रेटेड 'व्यू' मिल सके।

मॉनिटरिंग में ये चीज़ें शामिल होंगी, लेकिन सिर्फ़ यहीं तक सीमित नहीं:

(i) आपातकालीन स्टॉप स्थिति
(ii) रखरखाव मोड स्थिति के अंतर्गत
(iii) रन/स्टॉप स्थिति
(iv) स्टार्टर कुंजी ऑपरेशन स्थिति
(v) फायरमैन / भूकंपीय ऑपरेशन
(vi) सुरक्षा ट्रिप/स्टॉप सिग्नल
(vii) संबंधित IS/EC कोड के अनुसार कोई अन्य पैरामीटर।

कंट्रोलर ज़रूरी जानकारी ईथरनेट /IP के ज़रिए भेजेगा।

9.0 परीक्षण

बैंक के पास एस्केलेटर और उसके पार्ट्स को बनाने, लगाने और लगाने के बाद जांचने का अधिकार है।

9.1 निर्माण के दौरान परीक्षण

अलग-अलग इक्विपमेंट की टेस्टिंग एस्केलेटर सिस्टम सप्लायर/इंस्टॉलर की फैक्ट्री में की जाएगी। अलग-अलग पार्ट्स के लिए टेस्ट सर्टिफिकेट EN-115 के तौर पर दिए जाएंगे, जिनमें ये शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- स्टेप चेन और ड्राइव चेन

- रेलिंग
- स्टेप और चेन रोलर्स
- मुख्य मोटर
- मशीन ब्रेक
- सहायक ब्रेक
- नियंत्रक

(a) **स्वीकृति टेस्ट**

कार्य की जगह/साइट पर बैंक के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ये स्वीकृति टेस्ट किए जाएंगे:

(i) पूरे एस्केलेटर सिस्टम, जिसमें ट्रस, ट्रैक, चेन, रोलर्स, स्टेप्स, कंट्रोलर, हैंडरेल्स, बालस्ट्रेड, मॉनिटरिंग और फॉल्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सेफ्टी डिवाइस, सपोर्टिंग सिस्टम वगैरह शामिल हैं, की अप्रूव्ड टेस्ट स्पेसिफिकेशन के अनुसार पूरी रनिंग और फंक्शनल टेस्टिंग की जाएगी ताकि स्पेसिफिकेशन के साथ कम्प्लायंस को वेरिफाई किया जा सके।

(ii) टेस्ट में कम से कम ये चीज़ें शामिल होंगी:

- ट्रस विक्षेपण पूर्ण लोड स्थितियों के तहत दर्ज किया जाएगा;
- एस्केलेटर असेंबली का पूरा इंस्पेक्शन करें
- मॉनिटरिंग और फॉल्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम, सभी सेफ्टी डिवाइस और दूसरे सभी इलेक्ट्रिकल स्विच के कार्य करने का तरीका वेरिफ़ाई करें।
- यह पक्का करने के लिए इंस्पेक्शन कि रेलिंग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है और देखने में अच्छी है।
- सभी पावर और कंट्रोल सर्किट का इंसुलेशन रेजिस्टेंस और प्रेशर टेस्टिंग।
- दिशा बदलने के अलावा, बिना रुके, हर दिशा में 12 घंटे, 24 घंटे लगातार चलने वाला टेस्ट करें।
- स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है या नहीं, यह वेरिफ़ाई करने के लिए नॉइज़ लेवल रिकॉर्ड करें।
- ब्रेकिंग टेस्ट.

नोट: साइट पर ऊपर बताए गए या किसी दूसरे टेस्ट को करने के लिए ज़रूरी कोई भी इक्विपमेंट, मटीरियल वगैरह इस संविदा के दायरे में पूरी तरह से संविदाकर्ता की ज़िम्मेदारी होगी।

(b) **कारखाना निरीक्षण**

(i) बैंक के अधीकृत रिप्रेज़ेंटेटिव के पास संविदाकर्ता के कार्य पर या किसी दूसरी जगह जहाँ मटीरियल या इक्विपमेंट बनता है, वहाँ मटीरियल और कारीगरी की जाँच करने का पूरा अधिकार होगा। किसी भी मटीरियल या इक्विपमेंट को लेने से संविदाकर्ता किसी भी तरह से ज़रूरी स्पेसिफिकेशन्स को पूरा करने की अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं जाएगा।

(ii) इक्विपमेंट के अलग-अलग आइटम के लिए रूटीन टेस्ट संविदाकर्ता के मैन्युफैक्चरिंग कार्य पर किए जाएंगे और टेस्ट सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। संविदाकर्ता को इक्विपमेंट/कार्य के किसी भी या सभी स्वीकृति टेस्ट के दौरान बैंक के अधीकृत रिप्रेजेंटेटिव को मौजूद रहने की इजाज़त देनी होगी।

(iii) संविदाकर्ता को बैंक के अधीकृत रिप्रेज़ेंटेटिव को भारत या विदेश में ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी की फ़ैक्टरी में इंस्पेक्शन के लिए काफ़ी समय पहले बताना होगा। ऑफ़िशियल्स को भेजने का सारा खर्च बैंक उठाएगा। लेकिन, अगर इंस्पेक्शन के नतीजे ठीक नहीं आते या संविदाकर्ता इंस्पेक्शन के लिए सारा सामान नहीं देता, तो बैंक का दूसरे इंस्पेक्शन का खर्च संविदाकर्ता के बिल से वसूल किया जाएगा।

(iv) इस संविदा के तहत सप्लाई किए जाने वाले एस्केलेटर फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए दिए जाएंगे।

9.2 इंस्टॉलेशन के दौरान टेस्ट

कार्य के हर ज़रूरी फेज़ के लिए एक टेस्ट और इंस्पेक्शन स्पेसिफिकेशन तैयार किया जाएगा। इन फेज़ को पूरा करने से पहले 48 घंटे का नोटिस देना ज़रूरी है ताकि बैंक ज़रूरी समझे जाने पर कोई भी चेक कर सके। कम से कम ज़रूरतें ये हैं:

- डेटम की परिभाषा और बेयरिंग प्लेट का इंस्टॉलेशन
- ट्रस और एंड सपोर्ट का अलाइनमेंट
- ड्राइव और रिवर्स स्टेशन का संरेखण
- ट्रैक ब्रैकेट का संरेखण
- ढलान वाली पटरियों का संरेखण
- ऊपरी और निचले न्यूल पहियों की स्थापना और संरेखण
- स्कर्टिंग ब्रैकेट और पैनल का अलाइनमेंट
- स्टेप चेन और स्टेप्स का इंस्टॉलेशन
- बेलस्ट्रेड स्टीलवर्क्स की स्थापना
- रेलिंग पटरियों का संरेखण
- टॉप डेकिंग पैनल, इनर पैनल, स्कर्टिंग रिटर्न और किक प्लेट का इंस्टॉलेशन।
- ऊपरी और निचली कॉम्ब प्लेट्स और एक्सेस फ़्लोर कवर्स का इंस्टॉलेशन।
- "ओवर स्पीड" / "अंडर स्पीड" डिटेक्शन यूनिट ड्राइव चेन, हैंडरेल और काउंटरशाफ्ट ड्राइव चेन का संरेखण।
- स्विच और वायरिंग लगाना।
- स्नेहन प्रणाली की स्थापना
- वायरिंग और केबलिंग की स्थापना
- अर्थिंग और बॉन्डिंग जांच
- नियंत्रक की स्थापना
- एस्केलेटर क्लैडिंग और डेकिंग एक्सटेंशन का इंस्टॉलेशन।
- सुरक्षा उपकरणों का संचालन।

9.3 साइट पर इंस्टॉलेशन के बाद के टेस्ट

साइट पर इंस्टॉलेशन के बाद टेस्ट एस्केलेटर सिस्टम सप्लायर/इंस्टॉलर को बैंक के प्रतिनिधि की मौजूदगी में EN 115-1: 2008 + A1:2010/2017 के अनुसार करना होगा और नीचे दी गई लिस्ट पूरी नहीं है। साथ ही, एस्केलेटर सिस्टम सप्लायर/इंस्टॉलर को इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के बाद बैंक के प्रतिनिधि की मौजूदगी में परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को कन्फर्म करने के लिए टेस्ट करने होंगे।

ऐसे टेस्ट के लिए ज़रूरी टूल्स और टैकल एस्केलेटर सिस्टम सप्लायर/इंस्टॉलर को लाने होंगे । सभी टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करने से एक साल पहले कैलिब्रेट किया जाना चाहिए। संविदाकर्ता से कम्प्लायंस के प्रूफ के लिए कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट या दूसरे दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जा सकता है।

(a) अंतिम विद्युत परीक्षण

हर एस्केलेटर की कड़ी इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग होगी, जिससे एस्केलेटर कंट्रोल, सेफ्टी और सपोर्ट सिस्टम के कार्य करने का तरीका साबित होगा।

ओवर स्पीड प्रोटेक्शन डिवाइस को एस्केलेटर को रेटेड स्पीड पर चलाकर और ओवर स्पीड डिवाइस को मैन्युअल रूप से ट्रिप करके टेस्ट किया जाएगा। डिवाइस को अलग से टेस्ट किया जाएगा और इस स्पेसिफिकेशन में बताई गई एस्केलेटर स्पीड पर चलाने के लिए फैक्ट्री में सेट किया जाएगा।

हैंडरेल टेंशन खराबी डिवाइस को मैन्युअली टेस्ट किया जाएगा।

टूटी हुई चेन प्रोटेक्शन को एस्केलेटर को रेटेड स्पीड पर चलाकर और टूटी हुई चेन डिवाइस को हाथ से ट्रिप करके टेस्ट किया जाएगा।

स्टेप चेन पर अचानक और असामान्य खिंचाव से बचाने वाले डिवाइस को हाथ से चलाकर टेस्ट किया जाएगा।

कार्य के सिलसिले में ज़रूरी सभी पुश बटन, स्टार्टिंग स्विच, रिले, इंटरलॉकिंग, कंट्रोल और फीचर्स की जांच और टेस्टिंग की जाएगी ताकि यह साबित हो सके कि पूरा एस्केलेटर तय लिमिट के अंदर ऑपरेशन की सभी कंडीशन में ठीक से कार्य करता है।

सभी कंडक्टर को 1000V मेगर टेस्ट झेलना होगा, जिसमें हर कंडक्टर और ग्राउंड के बीच वोल्टेज लगाया जाएगा। हर कंडक्टर को अर्थ के लिए कम से कम 3 Mega ohms का इंसुलेशन रेजिस्टेंस दिखाना होगा।

(b) भार परीक्षण/भार परीक्षण

हर एस्केलेटर का वेट टेस्ट, जिसमें ब्रेकिंग डिस्टेंस का वेरिफिकेशन भी शामिल है, तब किया जाएगा जब एस्केलेटर की साइट टेस्टिंग काफी हद तक पूरी हो जाएगी। ज़रूरतों की डिटेल्स इस तरह होंगी:

एस्केलेटर को कई टेस्ट लोड कंडीशन में चलाया जाएगा।

EN 115 के अनुसार, एस्केलेटर को बिना लोड के स्टार्ट किया जाएगा और उसका स्टार्टिंग करंट मापा जाएगा। इसके बाद, बिना लोड के, 25%, 50%, 75% और फुल टेस्ट लोड पर, और फुल टेस्ट लोड पर एडजस्टमेंट के बाद बिना लोड के ये रीडिंग ली जाएंगी;

- चालू उपबंध
- वोल्टेज आपूर्ति
- मोटर की गति
- ब्रेकिंग डिसेलरेशन को ब्रेक से फिसलने के रूप में मापा जाता है
- एस्केलेटर और रेलिंग की गति
- ब्रेकिंग दूरी का सही माप लेने के लिए एक ट्रिपिंग स्विच दिया जाएगा।

ऑपरेशन ब्रेक स्प्रिंग सेटिंग डायग्राम के मुकाबले रुकने की दूरी, नीचे दिए गए पॉइंट्स तय करके पता की जाएगी:

- बिना लोड के ब्रेक स्प्रिंग को रुकने की दूरी की निचली सीमा पर सेट करना
- ब्रेक स्प्रिंग पर पूरे लोड पर रुकने की दूरी
- फुल लोड पर ब्रेक स्प्रिंग सेटिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस की अपर लिमिट पर
- ब्रेक स्प्रिंग सेटिंग पर बिना लोड के रुकने की दूरी
- यह दिखाया जाएगा कि ब्रेक को लोड की सभी कंडीशन में स्पेसिफिकेशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है और ब्रेक टॉर्क को चेक और रिकॉर्ड किया जाएगा।

टेस्टिंग वेट संविदाकर्ता द्वारा सप्लाई किए जाएंगे, उन्हें सही जगह पर रखा जाएगा और इस्तेमाल के बाद साइट से हटा दिया जाएगा।

(c) अंतिम यांत्रिक परीक्षण

इस टेस्ट का मकसद यह पक्का करना है कि साइट टेस्ट के सभी स्पेसिफिकेशन पूरे हैं, सभी "स्नैगिंग" फॉल्ट ठीक कर लिए गए हैं और मान लिए गए हैं और वेट टेस्ट के बाद स्टेप बैंड के किसी भी हिस्से को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा, यह भी वेरिफ़ाई करना है कि सभी बैरियर, साइन और नोटिस दिए गए हैं।

(d) चौबीस घंटे की दौड़

हर एस्केलेटर का 24 घंटे लगातार चलने वाला टेस्ट होगा, हर दिशा में 12 घंटे, दिशा बदलने के अलावा बिना रुके। यह टेस्ट यह पक्का करने के लिए है कि टेस्टिंग के समय किसी भी हिस्से से कोई बेवजह शोर, वाइब्रेशन या असामान्य तापमान न हो। अगर इनमें से कुछ भी होता है, तो एस्केलेटर को चेकिंग और/या रिपेयर के लिए बंद कर दिया जाएगा और वही टेस्ट दोबारा किए जाएंगे।

(e) एकीकृत प्रणाली परीक्षण

एस्केलेटर सिस्टम सप्लायर/इंस्टॉलर को दूसरे सिस्टम-वाइड संविदार्स के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा और इंटरफेसिंग और इंटीग्रेटेड टेस्टिंग करनी होगी ताकि यह पक्का हो सके कि सभी इंटीग्रेटेड सिस्टम जैसा चाहें वैसा कार्य करें।

10.0 वैधानिक अनुमोदन और लाइसेंसिंग

- संपर्क की ज़िम्मेदारी: सफल बोली लगाने वाला, एस्केलेटर चलाने का "लाइसेंस" लेने के लिए चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर (CEI) या संबंधित स्टेट एस्केलेटर इंस्पेक्टरेट के साथ शुरू से आखिर तक संपर्क के लिए ज़िम्मेदार होगा।
- फीस का भुगतान: सभी ऑफिशियल कानूनी फीस, जिसमें परमिट-टू-इरेक्ट और लाइसेंस-टू-ऑपरेट फीस शामिल हैं, बैंक को देनी होंगी। बोली लगाने वाले को अथॉरिटी से ऑफिशियल चालान/डिमांड नोट देना होगा, जिसका भुगतान बैंक सीधे करेगा या ओरिजिनल रसीद दिखाने पर वापस कर देगा।
- डॉक्यूमेंटेशन: बोलीकर्ता को स्टेट एस्केलेटर एक्ट और नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) के अनुसार सभी ज़रूरी टेक्निकल ड्राइंग, टेस्ट रिपोर्ट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट तैयार करके जमा करने होंगे।
- टेस्टिंग और इंस्पेक्शन: बोलीकर्ता को सरकारी इंस्पेक्टर से एस्केलेटर का फिजिकल इंस्पेक्शन करवाना होगा और सेफ्टी टेस्ट को सफलतापूर्वक करने के लिए सभी ज़रूरी टूल्स, लोड वेट और टेक्निकल मैनपावर देना होगा।
- वैलिडिटी: बोलीकर्ता को यह पक्का करना होगा कि सिस्टम के फाइनल हैंडओवर से पहले सभी एस्केलेटर के लिए लाइसेंस मिल जाए। बोलीकर्ता को एस्केलेटर लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ ज़रूरी बातचीत भी करनी होगी, जबकि डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि के बाद एस्केलेटर लाइसेंस का रिन्यूअल होगा।

----------x----------

उपबंध - IX

संविदाकर्ता/बोली लगाने वाले को भरने होंगे टेक्निकल डिटेल्स

टिप्पणी: - बोली लगाने वालों को हर पैरामीटर के लिए आइटम के हिसाब से कन्फर्मेशन/कमेंट देना होगा। अगर कोई बदलाव होगा तो उसे साफ़ तौर पर बताना होगा। बाहर लाया में यह परफ़ॉर्मा.

क्रम संख्या	सामान	निविदा के अनुसार ज़रूरत	बोली लगाने वाले द्वारा अनुपालन (हाँ/नहीं)
ए)	**सामान्य विनिर्देश**		
1.1	एस्केलेटर की संख्या	2	
1.2	सर्विंग फ़्लोर	मेन ऑफिस बिल्डिंग की दूसरी और तीसरी मंज़िल के बीच	
1.3	बिजली की आपूर्ति	415 वोल्ट ± 10%, 3 फेज, 50 हर्ट्ज ± 5%, अल्टरनेटिंग करंट	
1.4	मशीन	ट्रस-अपर लैंडिंग के अंदर स्थित, इंटीग्रल ऑपरेशनल ब्रेक	
1.5	नियंत्रण	AC VVVF माइक्रोप्रक्रियार कंट्रोल ऑटो स्टार्ट / स्टॉप और स्लो स्पीड (0.2 mps) फंक्शन और की से चलने वाले डायरेक्शन रिवर्सल के साथ। कंट्रोलर ट्रस के अंदर, ऊपरी लैंडिंग पर लगा होगा।	
1.6	रफ़्तार	नॉमिनल स्पीड - 0.5 मीटर प्रति सेकंड (mps) स्टैंड-बाय / रखरखाव स्पीड - 0.2 mps	
1.7	चरण की चौड़ाई	1000 मिमी (नाममात्र)	
1.8	चरण गहराई	400 mm या OEM के डिज़ाइन के अनुसार	
1.9	सीढ़ी की ऊँचाई	210 mm या OEM के डिज़ाइन के अनुसार	
1.10	एस्केलेटर क्षमता	6000 व्यक्ति प्रति घंटा	
1.11	झुकाव कोण	35° (लगभग)	

1.12	क्षैतिज चरणों की संख्या	04 (चार) प्रत्येक लैंडिंग पर	
1.13	व्यवस्था	डिजाइन के अनुसार	
1.14	बालस्ट्रेड प्रोफ़ाइल सामग्री	हेयरलाइन स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड	
1.15	कटघरा की ऊँचाई	1000 मिमी (नाममात्र)	
1.16	बालस्ट्रेड वर्टिकल पैनल	10 mm मोटाई का सेल्फ-सपोर्टिंग सेफ्टी टफन्ड टेम्पर्ड ग्लास	
1.17	बालस्ट्रेड वर्टिकल पैनल कलर	स्पष्ट पारदर्शी कांच	
1.18	बाहरी क्लैडिंग सामग्री और दायरा	बोलीकर्ता द्वारा स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड में दिया जाना है, जिसमें कम से कम पैनल की मोटाई 1.2 mm हो।	
1.19	नियंत्रण प्रकार	दोनों लैंडिंग पर इंफ्रा रेड सेंसर और ट्रैफिक फ्लो लाइट के साथ ऑटो स्टार्ट OFF / ON फीचर	
1.20	इंस्टालेशन	इनडोर	
1.21	आवेदन	कार्यालय	
1.22	मध्यवर्ती समर्थन	सुरक्षा नियमों के साथ डिज़ाइन की ज़रूरत के अनुसार।	
1.23	रेलिंग बेल्ट	गन्धकी रबर	
1.24	हैंडरेल बेल्ट का रंग	काला	
1.25	रेलिंग प्रवेश	एल्युमिनियम / OEM स्टैंडर्ड के अनुसार	
1.26	स्कर्टिंग सामग्री	हेयरलाइन स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड, कम से कम 2 mm पैनल मोटाई के साथ	
1.27	डेकिंग सामग्री की मोटाई	1.5 मिमी	
1.28	आंतरिक और बाहरी अलंकार	हेयरलाइन स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड, कम से कम पैनल मोटाई 1.5 mm	
1.29	कदम	OEM डिज़ाइन के अनुसार एक पीस डाई कास्ट एल्युमिनियम / स्टेनलेस स्टील	
1.30	चरण रंग	सिल्वर / ब्लैक (बैंक द्वारा स्वीकृत)	

1.31	लैंडिंग प्लेट्स	एल्युमिनियम / स्टेनलेस स्टील	
1.32	कॉम्ब	पीला पाउडर लेपित एल्यूमीनियम	
1.33	जगह	आर्किटेक्चरल ड्राइंग / DBR के अनुसार	
बी)	**तकनीकी डाटा**		
1.34	मोटर की दक्षता वर्ग	IE 3 या बेहतर	
1.35	मोटर का इन्सुलेशन वर्ग	एफ वर्ग	
1.36	मोटर आरपीएम	≤ 1500 आरपीएम	
1.37	नियंत्रक प्रकार	एसी वीवीवीएफ माइक्रोप्रक्रियार आधारित नियंत्रक	
1.38	आईपी सुरक्षा वर्ग	मोटर के लिए IP 55 कंट्रोलर और दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए IP54	
1.39	100% लोड पर फिसलन	4% (अधिकतम)	
1.40	ऑपरेशन के दौरान शोर [dB(A)]	≤ 65 dB(A), जब बालस्ट्रेड से 1 मीटर की दूरी पर मापा जाता है।	
1.41	पूर्ण भार पर ट्रस विक्षेपण	स्थापना लंबाई का 1/1000	
1.42	कदमों का बोझ तोड़ना	120 किग्रा/कदम	
1.43	हैंडरेल के लिए ब्रेकिंग लोड	25 केएन	
1.44	ट्रैक त्रिज्या (ऊपरी लैंडिंग)	EN-115 क्लॉज़ 5.7.2.2 के अनुसार	
1.45	ट्रैक त्रिज्या (निचला लैंडिंग)	EN-115 क्लॉज़ 5.7.2.2 के अनुसार	
1.46	संचालन	दोनों दिशाओं में ऑपरेट करने में सक्षम (रिवर्सेबल टाइप)	
सी)	**बुनियादी कार्यों**		
1.47	दोष संचालन पैनल	आवश्यक	
1.48	दोनों लैंडिंग पर फॉल्ट इंडिकेटर के साथ मॉनिटरिंग और फॉल्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम	कंट्रोलर में मॉनिटरिंग और फॉल्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम की ज़रूरत होती है, जबकि दोनों लैंडिंग पर फॉल्ट डिस्प्ले सिस्टम की ज़रूरत होती है।	

1.49	सभी बेयरिंग और रोलर सेल्फ-लुब्रिकेशन टाइप के होने चाहिए	आवश्यक	
1.50	सभी चेन के लिए ऑटो लुब्रिकेशन दिया जाएगा	ऑयल लेवल स्विच और लो ऑयल लेवल अलार्म के साथ ज़रूरी	
डी)	**संरक्षा विशेषताएं**		
1.51	परिचालन ब्रेक (मशीन ब्रेक)	आवश्यक	
1.52	स्टेप को अलग करने के लिए तीनों तरफ पीला रंग	आवश्यक	
1.53	अंडर स्टेप लाइटिंग (हर लैंडिंग पर 2)	आवश्यक	
1.54	सहायक ब्रेक	आवश्यक	
1.55	कॉम्ब प्लेट प्रकाश व्यवस्था	आवश्यक	
1.56	की स्विच ऑन/ऑफ/दिशा उलटना (हर लैंडिंग पर 01)	आवश्यक	
1.57	मोटर ओवरलोड और थर्मल प्रोटेक्शन डिवाइस	आवश्यक	
1.58	इमरजेंसी स्टॉप स्विच (टॉप, बॉटम और इंटरमीडिएट)	आवश्यक	
1.59	स्पीड गवर्नर / मोटर ओवर स्पीड मॉनिटर	आवश्यक	
1.60	टूटी हुई स्टेप चेन सुरक्षा डिवाइस	आवश्यक	
1.61	टूटी हुई ड्राइव चेन सुरक्षा डिवाइस	आवश्यक	
1.62	स्टेप चेन टेंशन सुरक्षा उपकरण	आवश्यक	
1.63	गैर-उलटने वाला उपकरण	आवश्यक	
1.64	हैंडरेल फिंगर गार्ड सुरक्षा उपकरण	आवश्यक	
1.65	स्टेप और स्कर्ट सुरक्षा उपकरण	आवश्यक	
1.66	कॉम्ब प्लेट सेफ्टी डिवाइस (हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल)	आवश्यक	

1.67	स्टेप कम करने वाला उपकरण / स्टेप सैगिंग डिवाइस	आवश्यक	
1.68	दोनों लैंडिंग पर निरीक्षण नियंत्रण	आवश्यक	
1.69	स्टेप डिटेक्शन डिवाइस गायब है	आवश्यक	
1.70	रेलिंग गति पहचान उपकरण	आवश्यक	
1.71	टूटी हुई रेलिंग डिवाइस	आवश्यक	
1.72	फ़्लोर प्लेट सुरक्षा उपकरण	फ्लोर प्लेट के हर सेक्शन के लिए ज़रूरी	
1.73	स्टेप अप थ्रस्ट डिवाइस	आवश्यक	
1.74	सीढ़ियों के लिए एंटी-स्टैटिक ब्रश	आवश्यक	
1.75	हैंडरेल एंटी-स्टैटिक रोलर	आवश्यक	
1.76	रेलिंग फिसलन सुरक्षा उपकरण	आवश्यक	
1.77	साड़ी / ड्रेस गार्ड (स्कर्ट ब्रश)	आवश्यक	
1.78	ब्रेक लाइनिंग और ब्रेक लिफ्टिंग सेफ्टी स्विच	आवश्यक	
1.79	चरण सुरक्षा उपकरण	आवश्यक	
1.80	पृथ्वी रिसाव संरक्षण उपकरण	आवश्यक	
1.81	सॉफिट प्लेट - ट्रस से वेल्डेड - 5mm शीट स्टील	आवश्यक	
1.82	सभी इंटरनल वायरिंग और केबल - फायर रिटार्डेंट लो स्मोक हैलोजन फ्री केबल	आवश्यक	
1.83	भूकंपीय संचालन	आवश्यक	
1.84	अग्नि आपातकालीन संचालन	आवश्यक	
1.85	अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट सुरक्षा उपकरण	आवश्यक	
1.86	एमसीसीबी	आवश्यक	

1.87	निचले लैंडिंग पर सर्किट ब्रेकर को नियंत्रित करें	आवश्यक	
1.88	चढ़ाई रोधी उपकरण	आवश्यक	
1.89	चौराहे के गार्ड	आवश्यक	
1.90	कंट्रोलर उठाने वाला डिवाइस, हटाने लायक कंट्रोलर के मामले में	आवश्यक	
1.91	दोनों सिरों पर पावर और लाइटिंग के लिए डुअल सॉकेट	आवश्यक	
1.92	दोनों लैंडिंग पर निरीक्षण लैंप	आवश्यक	
1.93	दोनों सिरों पर तेल और गंदगी इकट्ठा करने वाली ट्रे	आवश्यक	
1.94	हटाने योग्य हैंड वाइंडिंग डिवाइस के मामले में सुरक्षा स्विच	आवश्यक	
1.95	ट्रस के अंदर मशीनरी स्पेस पर स्प्रिंकलर, स्मोक और टेम्परेचर मॉनिटरिंग सेंसर के साथ	आवश्यक	
1.96	स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार किसी भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में BMS सिस्टम के साथ केबल प्रोविज़न और इंटरफ़ेस	BMS कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी इंटरफ़ेस, इंचार्ज इंजीनियर के बताए अनुसार दिया जाएगा।	
1.97	विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी	पैलेट / सीढ़ियों के साइड, बीच और पीछे पीली डिमार्केशन लाइनें। दोनों तरफ ट्रैफिक फ्लो लाइट। ओवर स्पीड गवर्नर। LED कॉम्ब लाइटिंग। अंडर पैलेट डिमार्केशन लाइटिंग।	

----------x----------

खंड – X

बिना मूल्य वाला मात्रा बिल

(प्राइस बिड/भाग II की इमेज)

Tender Inviting Authority: Reserve Bank of India, Kolkata

Name of Work: Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning (DSITC) of 2 nos of Escalators at Bank's Main Office Building, Kolkata

Contract No:

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :	

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBER #	TEXT #	NUMBER	TEXT	TEXT #	NUMBER #	NUMBER	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Item Description	Quantity	Units	Quoted Currency in INR / Other Currency	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder Rs. P	GST	TOTAL AMOUNT With Taxes	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	4	5	12	13	14	53	55
1	**BoQ**							
1.01	Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of escalators between 2nd and 3rd floor of Bank's main office building as aper scope of work and technical specifications mentioned in Part-I of the tender.	2.00	Nos	**INR**		**0.18**	**0.00**	INR Zero Only
1.02	Buyback of the two existing escalators (after carefully removing them) installed between 2nd and 3rd floor of Bank's main office building, .	1.00	Nos	**INR**		**0.18**	**0.00**	INR Zero Only
1.03	All inclusive Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) charges for both the escalators installed under item no. 1 above. **Note:** the multifying factor (MF-13.04) to arrive present value for the CAMC for 19 years has been mentioned in the column "Quantity".	13.04	Per Annum	**INR**		**0.18**	**0.00**	INR Zero Only
Total in Figures							0.00	INR Zero Only
Quoted Rate in Words		INR Zero Only						

##यहां रेट न भरें

अनुलग्नक – I

<u>प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप</u>

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

इन प्रस्तुतियों से सभी पुरुषों को पता है, हम ……(बोली लगाने वाले का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्री / सुश्री ……(पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) को, जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत हैं और …… का पद धारण कर रहे हैं, हमारे अटॉर्नी के रूप में नियुक्त और अधिकृत करते हैं, कि वे हमारे नाम से और हमारी ओर से **"…… कार्य का नाम …….. " के लिए हमारी बोली के संबंध में या उससे संबंधित सभी ऐसे कार्य, कर्म और चीजें करें** , जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें जमा करना, बोली-पूर्व बैठक में व्यक्तियों को नियुक्त करना और आरबीआई को सूचना / प्रतिक्रियाएं प्रदान करना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना और आम तौर पर उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई के साथ व्यवहार करना शामिल है।

हम इस पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत हमारे अटॉर्नी द्वारा कानूनी तौर पर किए गए सभी कामों, कामों और चीज़ों को मंज़ूरी देने के लिए सहमत हैं और हमारे ऊपर बताए गए अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कामों, कामों और चीज़ों को हमेशा हमारे द्वारा किया गया माना जाएगा।

टिप्पणी:

पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर ठीक से स्टैम्प और नोटराइज़्ड होना चाहिए। दिया गया पावर ऑफ़ अटॉर्नी इर्रिवोकेबल होगा।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर/नाम

बोली लगाने वाले की मुहर/सील

(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, जहाँ इसे बनाया गया है और इस पर उस अधिकारी का साइन होगा जिसके साइन और अथॉरिटी को वेरिफाई किया जाएगा।)

अनुलग्नक II

ई-निविदा के बारे में जरूरी निर्देश

यह आरबीआई का एक ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर/संविदाकर्ता सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपीपी) है।
https://etenders.gov.in/eprocure/app

ई-निविदा की प्रक्रिया: बोलीकर्ता मैनुअल किट होम पेज पर उपलब्ध है।

A) नए बोलीकर्ता के लिए रजिस्ट्रेशन : इस प्रक्रिया में वेंडर का सीपीपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शामिल है जो फ्री है ।
https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page

किसी भी टेक्निकल जानकारी के लिए 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें

0120-4001 002

0120-4001 005

0120- 4493395

इंटरनेशनल बिडर्स से रिक्वेस्ट है कि वे कंट्री कोड के तौर पर +91 लगाएं।

ई - मेल समर्थन:
पब्लिश हुए निविदा से जुड़े किसी भी इश्यू या क्लैरिफिकेशन के लिए, बिडर्स से रिक्वेस्ट है कि वे संबंधित निविदा इनवाइटिंग अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करें।

तकनीकी - support-eproc@nic.in

नीति संबंधी - सीपीपीपी-doe@nic.in

आरबीआई कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल्स:-

नाम: किरण पॉल (असिस्टेंट जनरल मैनेजर)

ईमेल: kiranpaul@rbi.org.in

मोबाइल नंबर: 9674033358

नाम: अंबिका चाकी, मैनेजर

ईमेल: ambikac@rbi.org.in

मोबाइल नंबर: 8763682204

नाम: आर.एन. किस्कू (MGR TE)

ईमेल: rnkisku@rbi.org.in

मोबाइल नंबर: 9831914122

नाम: शशि एस सिन्हा (AM TE)

ईमेल: shashisinha@rbi.org.in

मोबाइल नंबर: 8424058435

अनुबंध - III

भाग लेने वाली फर्म/बोली लगाने वाले/निविदा की डिटेल फर्म के लेटरहेड पर

1.	बोलीदाता का नाम	
2.	फर्म की स्थिति	स्वामित्व फर्म/साझेदारी फर्म/लिमिटेड/अन्य अगर दूसरे बताएं:_____ [पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करें]
3.	फर्म/कंपनी के मालिक/पार्टनर/डायरेक्टर का नाम	
4.	संचालन में वर्षों की संख्या	
5.	रजिस्टर्ड ऑफिस का पता:	
6.	विनिर्माण संयंत्र का पता	
7.	बोली लगाने वाले का पता जहाँ ऑर्डर/संविदा दिया जाना है	
8.	टेलीफोन नंबर ऑर्डर कहाँ दिया जाना है वेबसाइट और ईमेल आईडी	_____ (देश कोड) (क्षेत्र कोड) (टेलीफोन नंबर) _____
9.	पैन नं.	_____ [पैन कार्ड की कॉपी भी साथ में लगाएं]
10.	जीएसटी नंबर (ऊपर क्रम संख्या 8 देखें)	_____ [साथ ही, जीएसटी सर्टिफिकेट की कॉपी भी साथ में भेजें]
11.	ईपीएफ रजिस्ट्रेशन नंबर	_____ [साथ ही, EPF रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी भी साथ में लगाएं]
12.	ईएसआई कोड नं.	_____ [साथ ही, संबंधित दस्तावेज़ की कॉपी भी संलग्न करें]
13.	चाहे सूक्ष्म / लघु / मध्यम उद्यम	(बोली लगाने वाले को ITB में बताए गए डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे)
14.	**बैंकर डिटेल (भुगतान पाने का अकाउंट)** [साथ ही, कैंसल किए गए चेक की कॉपी भी साथ में लगाएं]	
I.	बैंकर का नाम	
II.	शाखा	

III.	बैंक खाता संख्या	
IV.	आईएफएससी	
15.	**सर्विस सेटअप का विवरण**	
I.	पता	
II.	ईमेल	
III.	टेलीफोन/मोबाइल नंबर	
IV.	तैनात व्यक्तियों की संख्या	

स्थान: [बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर]

दिनांक: नाम:

पद का नाम:

मुहर:

अनुलग्नक – IV

पात्रता मानदंड की जानकारी के लिए फ़ॉर्मैट पात्रता मानदंड के अनुसार क्वालिफ़ाइंग कामों और टर्नओवर की जानकारी

1) **एस्केलेटर के SITC** के कार्य की डिटेल्स और उसका कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (किसी भी रकम का) **पांच साल का अनुभव साबित करने के लिए अटैच करना होगा** (वर्क ऑर्डर की तारीख और उसका कम्प्लीशन 30 जून, 2021 या उससे पहले होना चाहिए)

क्रम नं.	कार्य का नाम और स्थान	क्लाइंट का नाम, पता और कॉन्टैक्ट डिटेल्स	वर्क ऑर्डर रेफ़रेंस नंबर और तारीख	लगाए गए एस्केलेटर का मेक	संविदा राशि	पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9

2) **पिछले पांच सालों में** निविदा देने वाले द्वारा किए गए **एस्केलेटर के SITC** के कामों की जानकारी (01 जुलाई 2021 को या उसके बाद और 30 जून 2026 को या उससे पहले पूरा किया गया कार्य) **कार्य के न्यूनतम मूल्य की पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए विचार किया जाएगा** :

क्रम नं.	कार्य का नाम और स्थान	क्लाइंट का नाम, पता और कॉन्टैक्ट डिटेल्स	वर्क ऑर्डर रेफ़रेंस नंबर और तारीख	लगाए गए एस्केलेटर का मेक	संविदा की रकम (29.6 लाख रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए)	पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9

3) कोलकाता में **मौजूदा सर्विस सेंटर** की जानकारी

एस. नं.	सेवा केंद्र का स्थान	पूरा पता	सर्विस सेंटर के इंचार्ज की कॉन्टैक्ट डिटेल्स	स्थापित	सरकारी पंजीकरण संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.

4) **वार्षिक टर्नओवर** (पिछले पांच सालों में से बेस्ट तीन साल का एवरेज टर्नओवर कम से कम Rs. 74 लाख प्रति साल होना चाहिए):

एस. नं.	**वित्तीय वर्ष**	**टर्नओवर (₹)**
1	2022-2023	
2	2023-2024	
3	2024-2025	

5) बोली लगाने वाले को हर साल कम से कम 74 लाख रुपये का **बैंकर सर्टिफिकेट अटैच करना होगा।**

स्थान: [बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर]

दिनांक: नाम:

पद का नाम:

मुहर:

अनुलग्नक - V

कंपनी/फर्म/संगठन के लेटर हेड पर

कृपया अपने पत्र-व्यवहार में हमेशा कोट करें

संदर्भ संख्या _____ दिनांक: _____

क्षेत्रीय निदेशक,

भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग,

15, एनएस रोड

कोलकाता – 700 001

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम: _____

<u>संविदाकर्ता के कार्य के बारे में क्लाइंट का सर्टिफिकेट</u>

हम कन्फर्म करते हैं कि मेसर्स (संविदाकर्ता का नाम) _____ ने हमारे लिए नीचे दिए गए कार्य किए हैं। ऊपर दिए गए कार्य को सौंपने के लिए फर्म को सही माना जा सकता है ।

2. दूसरी जानकारी आपके देखने और रिकॉर्ड के लिए नीचे दी गई है:

क्रमांक	**विवरण**	**ग्राहक की टिप्पणियाँ**
1	योग्य कार्य का नाम और छोटी जानकारी	
2	कार्य आदेश संख्या और दिनांक	
3	परियोजना/कार्य लागत	
4	कार्य शुरू करने की तारीख	
5	पूरा होने की निर्धारित तिथि	
6	पूरा होने की वास्तविक तिथि	
7	देरी के लिए लगाए गए मुआवज़े का ब्यौरा (अगर कोई हो तो रकम बताएं)	
8	पूरे किए गए और चुकाए गए कार्य की कुल रकम	
9	**प्रदर्शन रिपोर्ट :**	बहुत बढ़िया / बहुत अच्छा / अच्छा / ठीक-ठाक / संतोषजनक / खराब
	(i) किए गए कार्य की क्वालिटी (ग्रेडिंग बताएं)	

क्रमांक	विवरण	ग्राहक की टिप्पणियाँ
	(ii) अगर फर्म वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के तहत सिस्टम को मेंटेन कर रही है। एएमसी के परफॉर्मेंस के लिए ग्रेडिंग बताएं।	
10	मेसर्स की क्षमताओं पर क्लाइंट के कमेंट्स _____ (ग्रेडिंग बताएं): बहुत बढ़िया / बहुत अच्छा / अच्छा / ठीक-ठाक / संतोषजनक / खराब	
	(क)तकनीकी दक्षता	
	(ख) वित्तीय सुदृढ़ता	
	(ग) जनशक्ति का जुटाव	
	(घ) सामान्य व्यवहार	
11	कोई भी दूसरी जानकारी जो आप सोचेंगे, वह हमें अपना फ़ैसला लेने में मदद करेगी।	

ग्राहक की कार्यालय मुहर

आपका विश्वासी,

(जवाब देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर*)
एसई(ई) / कार्यकारी अभियंता (ई) के लिए

* परफॉर्मेंस रिपोर्ट/क्लाइंट सर्टिफिकेट के बारे में, सरकारी/पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए किए गए कामों के लिए, सर्टिफिकेट पर संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या उसके बराबर या उससे ऊंचे रैंक के अधिकारी के साइन होने चाहिए। प्राइवेट कंपनियों के लिए किए गए कामों के लिए, क्रेडेंशियल/संविदा की रकम साबित करने के लिए TDS की कॉपी जमा करनी होगी।

(i) सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए

(ii) क्लाइंट सर्टिफिकेट एक सीलबंद लिफाफे में भारतीय रिज़र्व बैंक के पते पर जमा किए जाने चाहिए ……. हर प्रीक्वालिफिकेशन कार्य के लिए

अनुलग्नक VI

बैंक के लेटर हेड पर

कृपया अपने पत्र-व्यवहार में हमेशा कोट करें

संदर्भ संख्या _____ दिनांक: _____

क्षेत्रीय निदेशक,

भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग,

15, एनएस रोड

कोलकाता – 700 001

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम: _____

<u>बैंकर प्रमाणपत्र</u>

हम कन्फर्म करते हैं कि मेसर्स _____ हमारे साथ बैंकिंग कर रहे हैं। उन्हें ₹74 लाख तक का कोई भी संविदा देने के लिए फाइनेंशियली ठीक माना जा सकता है।

2. दूसरी जानकारी आपके देखने और रिकॉर्ड के लिए नीचे दी गई है:

क्रमांक	विवरण	बैंक की टिप्पणियाँ
1	फर्म की बनावट (चाहे पार्टनरशिप / प्रोप्राइटरशिप / पब्लिक लिमिटेड)	.....
2	फर्म के मालिक/पार्टनर/डायरेक्टर के नाम	
3	उन्हें मिलने वाली क्रेडिट सुविधा / ओवरड्राफ्ट सुविधा	
4	लेन-देन	
5	वह समय जब से फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है	
6	कोई अन्य टिप्पणी	

3. यह सर्टिफिकेट बैंक या उसके किसी भी अधिकारी की किसी गारंटी या जिम्मेदारी के बिना जारी किया जाता है।

आपका विश्वासी,

बैंक की मुहर

(हस्ताक्षर)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

बैंक के लिए

अनुलग्नक – VII

बयाना राशि जमा करने के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग,
15, एनएस रोड
कोलकाता – 700 001

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम ……

संदर्भ: एनआईटी/Advt.No. तारीख

जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका सेंट्रल ऑफिस शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है (जिसे आगे 'आरबीआई' कहा जाएगा) ने ऊपर बताए गए कार्य (जिसे आगे "वह निविदा" कहा जाएगा) के लिए निविदा दस्तावेज में बताए गए नियमों और शर्तों पर निविदा मंगाए हैं। निविदा मंगाने की शर्तों में से एक यह है कि निविदा देने वाला अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (ईएमडी) के तौर पर ₹100 (सिर्फ़ ₹100) की बैंक गारंटी देगा। मेसर्स (निविदा/बोलीकर्ता का नाम) _____, (जिसे आगे "निविदा/बोलीकर्ता" कहा जाएगा), जो हमारे क्लाइंट/कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, वे उस कार्य के लिए अपना निविदा/बिड जमा करना चाहते हैं और उन्होंने हमसे ईएमडी के तौर पर ₹100 (सिर्फ़ ₹100) की बैंक गारंटी देने का अनुरोध किया है। अब यह गारंटी गवाह है।

1. हम (बैंक का नाम) इसके द्वारा आरबीआई, उनके उत्तराधिकारी, असाइनी के साथ सहमत हैं और यह वादा करते हैं कि अगर आरबीआई इस नतीजे पर पहुँचता है कि निविदार ने निविदा की बताई गई शर्तों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, तो यह नतीजा हम पर और बताए गए निविदार पर भी लागू होगा; आरबीआई के माँगने पर, हम आरबीआई को बिना किसी आपत्ति के Rs. (सिर्फ़ Rs) या आरबीआई द्वारा माँगी गई कोई भी कम रकम देंगे। हमारी गारंटी को बताई गई शर्तों के तहत निविदार की ज़िम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट के बराबर माना जाएगा, लेकिन, ऐसी रकम के लिए हमारी ज़िम्मेदारी Rs. (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा नहीं होगी।

2. हम यह भी मानते हैं कि हम यह पक्का करेंगे कि ऊपर बताई गई रकम, जो Rs. (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा नहीं होगी, बिना किसी शक या विरोध के, आरबीआई से लिखित में नोटिस मिलने पर, जिसमें यह बताया गया हो कि रकम उन्हें मिलनी है, मांग करने पर हम भुगतान कर देंगे और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए पक्का और ज़रूरी होगा और हम उस पर किसी भी तरह से सवाल नहीं उठाएंगे। हम आरबीआई द्वारा क्लेम की गई रकम को ऊपर बताए गए नोटिस मिलने की तारीख से एक हफ़्ते के अंदर भुगतान करने का वादा करते हैं।

3. हम कन्फर्म करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी आरबीआई और निविदा देने वाले के बीच हुए करार या करार या दूसरी समझ से अलग होगी। आरबीआई की पहले से लिखित मंज़ूरी के बिना हम इस गारंटी को रद्द नहीं करेंगे। हम इसके अलावा इस बात से भी सहमत हैं कि –

a) आरबीआई की तरफ से इस करार की शर्तों को लागू करने में या इस निविदा और/या इसके तहत तय किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में कोई भी नरमी या कमीशन, या आरबीआई द्वारा निविदा देने वाले को कोई समय देना या कोई नरमी दिखाना या इससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में, हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी से छुटकारा नहीं दिलाएगा। यह गारंटी सिर्फ़ निविदा देने वालों द्वारा अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने और ऐसा न करने की स्थिति में, हमारे द्वारा Rs. (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा नहीं की रकम का भुगतान करने पर ही पूरी होगी।

ख) इन उपहारों के अंतर्गत हमारी देनदारी रुपये ……. (रुपये…… केवल) की राशि से अधिक नहीं होगी।

c) इस करार के तहत हमारी ज़िम्मेदारी पर हमारे बताए गए लोगों/क्लाइंट्स की तरफ से बताए गए कार्य के लिए निविदा देने में किसी भी कमी या गड़बड़ी या उसके तहत उनकी ज़िम्मेदारियों या हमारे बताए गए लोगों के संविधान में बदलाव या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

d) यह गारंटी (निविदा मिलने की आखिरी तारीख से छह महीने तक) लागू रहेगी, बशर्ते कि अगर आरबीआई चाहे, तो इस गारंटी को उनके बताए गए समय के लिए, उन्हीं शर्तों और नियमों पर रिन्यू किया जा सकेगा जो इसमें दिए गए हैं।

e) इन तोहफ़ों के तहत हमारी ज़िम्मेदारी तब तक खत्म हो जाएगी जब तक कि इन तोहफ़ों को ऊपर बताए गए तरीके से उस दिन या उस दिन रिन्यू नहीं किया जाता जब हमारे बताए गए लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, जिसके लिए सिर्फ़ आरबीआई का लिखा हुआ सर्टिफ़िकेट ही पक्का सबूत है, चाहे तारीख बाद की हो। जब तक हमारे ख़िलाफ़ किसी बढ़े हुए समय के अंदर कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई नहीं की जाती, इस गारंटी के तहत हमारे ख़िलाफ़ आरबीआई के सभी अधिकार ज़ब्त कर लिए जाएँगे और हमें इसके तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों और देनदारियों से आज़ाद कर दिया जाएगा।

आपका विश्वासी,

बैंक की ओर से।

प्राधिकृत अधिकारी (मुहर सहित)

(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, जहाँ इसे बनाया गया है और इस पर उस अधिकारी का साइन होगा जिसके साइन और अथॉरिटी को वेरिफाई किया जाएगा)।

अनुलग्नक VIII

<u>टेक्नो-कमर्शियल शर्तों में बदलाव (फर्म के लेटर हेड पर)</u>

हम कन्फर्म करते हैं कि नीचे दिए गए विचलन को छोड़कर बैंक की सभी कमर्शियल कंडीशन / टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सही हैं।

क्रम सं.	**खंड सं.**	**खंड सं.**	**प्रस्तावित वाणिज्यिक शर्त में विचलन**
सीनियर नहीं।	**खंड सं.**	**खंड सं.**	**प्रस्तावित तकनीकी विनिर्देश में विचलन**

(अगर कोई विचलन नहीं है तो nil सबमिट करें)

स्थान: [बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर]

दिनांक: नाम:

पद का नाम:

मुहर:

संविदा के अनुच्छेद का प्रारूप
(सफल बोली लगाने वाले के लिए)

(लोकल स्टाम्प एक्ट के अनुसार लागू कीमत के स्टाम्प पेपर पर)

यह संविदा समझौता _____ दिन_____, 20_____ को भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत गठित कॉर्पोरेट निकाय, जिसका पंजीकृत कार्यालय यहां है: केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई - 400 001 (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) के बीच किया गया है, जिसमें एक पक्ष के उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे और _____ _____ (जिसे आगे "संविदाकर्ता" कहा जाएगा)) जिसमें दूसरे पक्ष के उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे।

जबकि बैंक संविदाकर्ता को "**बैंक के मेन ऑफिस बिल्डिंग, कोलकाता में 2 एस्केलेटर के डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)" के लिए हायर करना चाहता है**, और संविदाकर्ता ने आगे दिखाई गई शर्तों और नियमों के तहत इस तरह के हायरिंग के लिए सहमति दे दी है।

अब यह इस प्रकार सहमत है:	
1	**संविदा करार:** नीचे दिए गए दस्तावेज मालिक और संविदाकर्ता के बीच संविदा का हिस्सा होंगे, और हर एक को संविदा का एक ज़रूरी हिस्सा माना जाएगा: a) यह संविदा समझौता और इसके परिशिष्ट b) पुरस्कार पत्र .. संदर्भ संख्या c) बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त d) निविदा प्रक्रिया के दौरान सभी ईमेल और लेटर का लेन-देन e) पार्ट I (टेक्नो कमर्शियल बिड) और भाग II (फाइनेंशियल बिड) संविदाकर्ता द्वारा जमा की गई बिड f) निविदा इनवाइटिंग नोटिस (एनआईटी), साथ में कोई भी सुधार/एडेंडा।
2	संविदा मूल्य: बैंक संविदाकर्ता को संविदा मूल्य देने के लिए सहमत है, यह संविदाकर्ता द्वारा अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के बदले में होगा। संविदा मूल्य का कुल योग होगा ***[स्थानीय मुद्रा में शब्दों में राशि], [आंकड़ों में राशि]*** , या ऐसी अन्य राशि जो संविदा की शर्तों के अनुसार तय की जा सकती है। इसके अलावा, सीएएमसी के लिए रेट निविदा में तय की गई दर के अनुसार लागू होगा।
3	भुगतान **की शर्तें:** भुगतान बैंक द्वारा संविदाकर्ता को निविदा के भाग I के प्रोविज़न के अनुसार किया जाएगा।
4	**पूरा होने का समय :** परियोजना के पूरा होने की अवधि की गणना निम्नलिखित से की जाएगी: लेटर ऑफ़ अवार्ड/वर्क ऑर्डर जारी होने के 10वें दिन से। समय को इस **संविदा** का ज़रूरी हिस्सा माना जाएगा, और **संविदाकर्ता** साइट हैंडओवर होने के तुरंत बाद **कार्य** शुरू करने और बताई गई शर्तों के मुताबिक पूरा **कार्य** पूरा करने के लिए सहमत है, फिर भी समय बढ़ाने के नियमों के अधीन।
5	**अपेंडिक्स** : अटैच्ड अपेंडिक्स की लिस्ट में दिए गए अपेंडिक्स इस संविदा करार का एक ज़रूरी हिस्सा माने जाएंगे। संविदा में किसी भी अपेंडिक्स का मतलब इसके साथ अटैच्ड अपेंडिक्स होगा, और संविदा को उसी हिसाब से पढ़ा और समझा जाएगा।

6	**अधिकार क्षेत्र** : इस करार से जुड़े या उससे जुड़े सभी झगड़े कोलकाता में ही माने जाएंगे और सिर्फ़ कोलकाता की अदालतों को ही उन्हें तय करने का अधिकार होगा।
7	**भाषा** : संविदा की भाषा इंग्लिश होगी। संविदा के तहत बिड को सपोर्ट करने वाले या किसी और तरह से एक्सचेंज किए जाने वाले सभी कम्युनिकेशन, ड्रॉइंग, डिज़ाइन, डेटा, जानकारी, कोड, स्पेसिफिकेशन और दूसरे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होंगे। अगर कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी भाषा में है, तो उसे ट्रांसलेट करके बैंक को इंग्लिश में पेश किया जाएगा, और इंग्लिश वर्शन को ही एकमात्र असली डॉक्यूमेंट माना जाएगा।

बैंक और बोलीकर्ता/संविदाकर्ता ने इस करार को अपने अधिकृत प्रतिनिधियों से ऊपर लिखे पहले दिन और साल में ठीक से पूरा करवाया है।

बैंक की ओर से और उसके लिए हस्ताक्षरित
[हस्ताक्षर]
[नाम और पदनाम]उपस्थिति में:

1. [गवाह 1 के हस्ताक्षर और विवरण]
2. [गवाह 2 के हस्ताक्षर और विवरण]

संविदाकर्ता की ओर से हस्ताक्षरित
[हस्ताक्षर][नाम और पदनाम]की उपस्थिति में:

1. [गवाह 1 के हस्ताक्षर और विवरण]
2. [गवाह 2 के हस्ताक्षर और विवरण]

अनुलग्नक – X

परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट/रिटेंशन मनी के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारी करने वाले बैंक के नाम पर खरीदे गए सही कीमत के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

जगह : _____

तारीख : _____

क्षेत्रीय निदेशक,

भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग,

15, एनएस रोड

कोलकाता – 700 001

_____ _____

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम: _____ - परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट/ रिटेंशन मनी के लिए बैंक गारंटी

जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका सेंट्रल ऑफिस शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, (जिसे आगे "आरबीआई" कहा जाएगा) ने ऊपर बताए गए प्रोजेक्ट (जिसे आगे "संविदा" कहा जाएगा) का संविदा मेसर्स _____ (संविदाकर्ता का नाम) (जिसे आगे "कहा गया संविदाकर्ता" कहा जाएगा, जिसमें उसके उत्तराधिकारी और असाइनी शामिल होंगे) को दिया है। और जबकि संविदाकर्ता, उस संविदा के तहत आरबीआई को कुल ₹._____ (सिर्फ़ _____ रुपये) (राशि अंकों और शब्दों में) की एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के लिए बाध्य है, ताकि संविदाकर्ता संविदा में दिए गए नियमों और शर्तों को ठीक से पूरा कर सके। हम, _____ (बैंक का नाम), (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा), मेसर्स _____, संविदाकर्ता के अनुरोध पर, संविदा के नियमों और शर्तों को ठीक से पूरा करने के लिए परफॉर्मेंस गारंटी के तौर पर आरबीआई को _____ रुपये से ज़्यादा की रकम का भुगतान करने का वादा करते हैं।

अब यह गारंटी गवाह है

1. हम (बैंक का नाम) इसके द्वारा आरबीआई, उनके उत्तराधिकारी, असाइनी के साथ सहमत हैं और यह वादा करते हैं कि अगर आरबीआई इस नतीजे पर पहुँचता है कि संविदाकर्ता ने संविदा की शर्तों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, तो यह नतीजा हम पर और उस संविदाकर्ता पर भी लागू होगा; आरबीआई की मांग पर, हम आरबीआई को बिना किसी आपत्ति के, Rs. (सिर्फ़ Rs) की रकम या आरबीआई द्वारा माँगी गई कोई भी कम रकम देंगे। हमारी गारंटी को उस संविदा के तहत संविदाकर्ता की ज़िम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए परफॉर्मेंस गारंटी रकम के बराबर माना जाएगा, लेकिन, ऐसी रकम के लिए हमारी ज़िम्मेदारी Rs. (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा नहीं होगी।

2. हम यह भी मानते हैं कि ऊपर बताई गई रकम (सिर्फ़ _____रुपये) से ज़्यादा नहीं होगी, और हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, सिर्फ़ आरबीआई से लिखित नोटिस मिलने पर मांग करने पर भुगतान करेंगे, जिसमें

बताया गया हो कि यह रकम उन्हें मिलनी है और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए पक्का और बाइंडिंग होगा और हम उस पर किसी भी तरह से सवाल नहीं उठाएंगे। बैंक, संविदाकर्ता द्वारा किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या मध्यस्थ के सामने पेंडिंग किसी भी मुकदमे या कार्रवाई में उठाए गए किसी भी विवाद/विवादों के बावजूद, आरबीआई को इस तरह मांगी गई कोई भी रकम देगा और इस गारंटी के तहत ज़िम्मेदारी पूरी और साफ़ होगी। हम ऊपर बताए गए नोटिस मिलने की तारीख से एक हफ़्ते के अंदर आरबीआई द्वारा क्लेम की गई रकम का भुगतान करने का वादा करते हैं।

3. हम कन्फर्म करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी आरबीआई और संविदाकर्ता के बीच हुए करार या एग्रीमेंट्स या दूसरी समझ से अलग होगी।

4. आरबीआई की लिखित सहमति के बिना हम यह गारंटी रद्द नहीं करेंगे। हम इसके अलावा इस बात से भी सहमत हैं कि –

a) आरबीआई की तरफ से इस करार की शर्तों को लागू करने में या इस संविदा और/या इसके तहत तय किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में कोई भी नरमी या कमीशन, या आरबीआई द्वारा संविदाकर्ता को कोई समय देना या कोई छूट दिखाना या इससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में, हमें और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी को किसी भी तरह से खत्म नहीं करेगा। यह गारंटी सिर्फ़ संविदाकर्ता द्वारा अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने और ऐसा न करने की स्थिति में, हमारे द्वारा Rs. (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा की रकम का भुगतान करने पर ही खत्म होगी।

b) इन शर्तों के तहत हमारी लायबिलिटी Rs. (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा नहीं होगी।

c) इस करार के तहत हमारी लायबिलिटी पर हमारे बताए गए लोगों/क्लाइंट्स की तरफ से किसी भी कमी या गड़बड़ी या उनके दायित्वों या हमारे बताए गए लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

d) यह गारंटी (डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि के 60 दिन बाद तक) लागू रहेगी, बशर्ते कि अगर आरबीआई चाहे, तो इस गारंटी को उनके बताए गए समय के लिए, उन्हीं नियमों और शर्तों पर रिन्यू किया जा सकेगा जो इसमें दी गई हैं।

ई) इन प्रस्तुतियों के तहत हमारी देनदारी तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन प्रस्तुतियों को ऊपर दिए गए अनुसार उस दिन या उस दिन नवीनीकृत नहीं किया जाता है जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके लिए केवल आरबीआई द्वारा लिखित प्रमाण पत्र ही निर्णायक सबूत है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक हमारे खिलाफ किसी विस्तारित अवधि के भीतर कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई दायर नहीं की जाती है, इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त हो जाएंगे और हमें इसके तहत हमारी सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा। जिसके साक्ष्य के रूप में मैं/हम बैंक के इस गारंटी पर हस्ताक्षर और मुहर लगा चुके हैं, जिसे इसके साथ विधिवत अधिकृत किया गया है। _____ की ओर से (बैंक का नाम) अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर नाम: पदनाम बैंक की मुहर/सील

1 हस्ताक्षर …… नाम …… पता …… (नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टांप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां यह निष्पादित की जाती है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी जिसके हस्ताक्षर और प्राधिकरण को सत्यापित किया जाएगा)

अनुलग्नक XI

(फर्म के लेटरहेड पर)

नीचे दिए गए कार्य के बड़े आइटम के हिसाब से यह टाइम शेड्यूल:

	विवरण	महीनों में समय अवधि	
एक।	लेआउट चित्र प्रस्तुत करना		वर्क ऑर्डर जारी होने की तारीख से 10वें दिन के बाद के हफ़्ते
बी।	बैंक द्वारा लेआउट ड्राइंग का अनुमोदन		ऊपर से सप्ताह
सी।	साइट पर सामग्री की डिलीवरी		
डी।	इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग और ऑपरेटिंग लाइसेंस के साथ हैंडओवर		
	कुल पूरा होने की अवधि (हफ़्तों में)		**कुल (a) से (d)**

टिप्पणी:

1. ऊपर बताई गई (a) से (d) तक की एक्टिविटीज़ को पूरा करने का कुल समय निविदा में बताई गई कार्य पूरा होने की अवधि से कम होगा।
2. मौजूदा एस्केलेटर को हटाने और नए एस्केलेटर लगाने के लिए जगह तैयार करने का कार्य इस तरह से किया जा सकता है कि सामान मिलते ही लगाने का कार्य तुरंत शुरू किया जा सके।

स्थान: [बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर]

दिनांक: नाम:

पद का नाम:

मुहर:

अनुलग्नक XII

भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश के बारे में बोली लगाने वाले की तरफ़ से अंडरटेकिंग / घोषणा / सर्टिफ़िकेट का प्रोफ़ॉर्मा

(बोली लगाने वालों को अपने लेटर हेड पर सील और अधीकृत सिग्नेटरी के साइन के साथ जमा करना होगा)

तारीख:

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,

भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग,

15, एनएस रोड

कोलकाता – 700 001

संदर्भ: आवेदन के लिए _____

महोदया,

मैं/हम ……. (नाम और पता, जिसमें निवास का देश भी शामिल है)

का बोलीदाता) पास होना पढ़ना और समझा अंतर्वस्तु का कार्यालय ज्ञापन (ओम) एफ। संख्या 6/18/2019-पीपीडी दिनांकित जुलाई 23, 2020 और इसका बाद का आदेश / दोहराव जारी किए गए द्वारा सरकारी खरीद विभाजन, विभाग का व्यय, वित्त मंत्रित्व, सरकार भारत के संबंध में प्रतिबंध पर खरीद से ए बोली लगाने वाले का ए देश कौन शेयरों ए भूमि भारत के साथ सीमा।

2 मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि …… (बोली लगाने वाले का नाम)

2.1 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या

2.2 है से ए देश बंटवारे भूमि सीमा साथ भारत और है गया दर्ज कराई साथ सक्षम प्राधिकारी, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या

2.3 है से ए देश बंटवारे भूमि सीमा साथ भारत कहाँ सरकार का भारत है ऋण की विस्तारित लाइनें, या

2.4 यह भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश से है, जहाँ भारत सरकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगी हुई है।

(ऊपर दिए गए में से जो भी लागू न हो उसे काट दें)।

3 मैं/हम यह भी प्रमाणित करता/करते हैं कि ……. (बोलीदाता का नाम) सभी अपेक्षाएँ पूरी करता है

में यह संबंध और है योग्य को होना माना अंतर्गत प्रावधान उपरोक्त में से निर्दिष्ट कार्यालय ज्ञापन और इसका बाद का आदेश / दोहराव। मुझे लगता है हम भी कार्यभार संभालना वह यहां तक की में मामला अनुबंधों का कहाँ हम हैं अनुमत द्वारा बैंक/आरबीआई को उप- संविदा मुझे लगता है हम ……..……(नाम

बोली लगाने वाले का) किसी भी कार्य को ऐसे किसी संविदाकर्ता को सब-संविदा नहीं करेगा जो उसके साथ ज़मीनी सीमा शेयर करता हो। भारत, जब तक ऐसा संविदाकर्ता पूरा सभी आवश्यकताएं निहित में ऊपर निर्दिष्ट कार्यालय ज्ञापन / आदेश।

4. मैं/हम जानते और समझते हैं कि, यदि यह वचन/घोषणा/प्रमाणपत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है

अगर हमारी जानकारी गलत पाई जाती है, तो बैंक हमारे निविदा / वर्क ऑर्डर को रिजेक्ट / टर्मिनेट करने के लिए आज़ाद होगा और वह किनारा करेगा भी होना मुक्त को आरंभ करना कोई कानूनी कार्रवाई में अनुसार साथ कानून ज़ब्त करना सहित का बयाना धन जमा / प्रदर्शन किनारा गारंटी / जमनत राशि और / या हमें प्रतिबंधित करना से बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेना भविष्य में.

बोली लगाने वाले के अधीकृत सिग्नेटरी के सिग्नेचर और नाम, रबर स्टैम्प के साथ

तारीख:
स्थान:

अनुलग्नक XIII

एस्केलेटर लगाने के प्रस्तावित मकसद को पूरा करने के लिए साइट विज़िट और टेक्निकल काबिलियत के बारे में निविदा देने वाले के कन्फर्मेशन का प्रोफ़ॉर्मा।

(बोली लगाने वालों को अपने लेटर हेड पर सील और अधीकृत सिग्नेटरी के साइन के साथ जमा करना होगा)

तारीख:

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग,
15, एनएस रोड
कोलकाता – 700 001

विषय: एस्केलेटर लगाने के प्रस्तावित मकसद को पूरा करने के लिए साइट विज़िट और टेक्निकल काफ़ी होने का कन्फर्मेशन।

महोदय,

हमने एस्केलेटर लगाने की प्रस्तावित जगह का दौरा किया है और निविदा में बताए गए कार्य का दायरा, मकसद, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स और बिल ऑफ़ क्वांटिटी को समझा है। इनकी जांच करने के बाद, हम कन्फर्म करते हैं कि निविदा में बताए गए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स और बिल ऑफ़ क्वांटिटी निविदा के बताए गए मकसद को लागू करने और पूरा करने के लिए काफी हैं। अगर बताए गए मकसद को पाने के लिए किसी सुधार की ज़रूरत होती है, तो वह बैंक को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के दिया जाएगा।

बोली लगाने वाले के अधीकृत सिग्नेटरी के सिग्नेचर और नाम, रबर स्टैम्प के साथ

तारीख:

जगह:

अनुलग्नक XIV

बोलीकर्ता द्वारा कानूनी कार्रवाई / सिविल मुकदमे / मुकदमेबाजी / मध्यस्थता पर वचनपत्र

[आवेदक के लेटर हेड पर]

तारीख:

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,

भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग,

15, एनएस रोड

कोलकाता – 700 001

संदर्भ: _____ के लिए आवेदन

महोदया,

1 मैं/हम …… (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी रहा

/ किसी भी कानूनी अधिकार क्षेत्र में किसी भी कारण से हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

1. मुझे लगता है हम …… (नाम का बोलीदाता) घोषित वह निम्नलिखित हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है/की जा रही है:

…… (कानूनी कार्रवाई का विवरण, विचाराधीन प्रोजेक्ट, शामिल कानूनी प्राधिकरण आदि) …..

…….

तथापि, हम वाणी वह ऊपर कानूनी कार्रवाई करता है नहीं चाहना हमारा क्षमता को बाँटना एम्पैनलमेंट के लिए एप्लीकेशन के अनुसार बैंक की ज़रूरतें।

(नोट: ऊपर दिए गए दो डिक्लेरेशन में से जो लागू न हो उसे काट दें)

2. इसके अलावा, हम यह भी घोषणा करते हैं कि सिविल मुकदमे/मुकदमेबाजी/मध्यस्थता आदि के कोई भी मामले हमारे समक्ष नहीं आएंगे।

हमारे किसी भी पूरे किए गए प्रोजेक्ट में शुरू किया गया हो

2. आगे, हम ……. भी घोषित वह अगले नागरिक मुकदमों / मुकदमेबाजी / हमारे पूरे किए गए प्रोजेक्ट्स में आर्बिट्रेशन केस शुरू किए गए/जा रहे हैं:

……. (प्रोजेक्ट का विवरण और कार्रवाई का प्रकार आदि) .....

……

(नोट: ऊपर दिए गए दो डिक्लेरेशन में से जो लागू न हो उसे काट दें)

बोली लगाने वाले के अधीकृत सिग्नेटरी के सिग्नेचर और नाम
रबर स्टैम्प के साथ

तारीख:

जगह:

Annexure XV

वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए करार
(500 रुपये गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर)

Articles of Agreement for Annual Maintenance Contract
(On Rs 500 non-judicial stamp paper)

यह समझौता अनुबंध भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग कोलकाता है (और_____के मध्य दिनांक_____ को) इसके बाद" नियोक्ता" और" ठेकेदार "कहा जाएगा(निष्पादित किया गया।
जबकि नियोक्ता _____(कार्य का नाम (हेतु _____ की अवधि के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध का इच्छुक है और उसने किए जाने वाले कार्यों की विशिष्टताओं और मात्राओं के अनुरूप अपेक्षित कार्य के लिए हस्ताक्षरित अथवा पार्टियों द्वारा या इसके लिए हस्ताक्षरित किए गए हैं ।
और जबकि ठेकेदार इस विषय के काम पर यहां निर्धारित शर्तों और विशेष शर्तों में उल्लिखित और अनुबंध की मात्राओं और शर्तों की अनुसूची में संशोधित करके अंतत :दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृति के लिए सहमति हुई है)इन सभी सामूहिक रूप से इसके बाद" उक्त शर्तों "के रूप कहा जाएगा ,(उक्त मानचित्रों पर दिखाए गए कार्यों और/या उक्त विनिर्देशों में वर्णित और संबंधित दरों में मात्रा की अनुसूची में शामिल है, उसके बाद निकाली गई राशि या अन्य राशि के रूप में इसके तहत देय) इसके बाद" उक्त अनुबंध राशि "के रूप में संदर्भित (होगा।
ARTICLES OF AGREEMENT made the _____
day of _____ between the **Reserve Bank of India**, Estate Department, Kolkata (hereinafter called "the Employer") of the one part and _____ (hereinafter called "the Contractor") on the other part.

WHEREAS the Employer is desirous of Annual Maintenance Contract for the _____ for_____(*Name of the work)* and has caused specifications and Schedule of Quantities describing the works to be done which have been signed by or on behalf of the parties hereto.

AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute upon the subject work to the conditions set forth herein and to the conditions set forth in the special conditions and in the schedule of quantities and conditions of Contract as modified and finally accepted by both the parties (all of which are collectively hereinafter referred to as "the said Conditions") the works shown upon the said drawings and/or described in the said Specifications and included in the Schedule of quantities at the respective rates therein set forth, amounting to the sum as therein arrived at or such other sum as shall become payable there under (hereinafter referred to as "the said Contract Amount").

यह एतदद्वारा अब सहमति के साथ इस प्रकार है :

NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

1.	यह वार्षिक रखरखाव अनुबंध (प्रणाली के सभी भाग) 19 वर्ष की अवधि के लिए है। अनुबंध की दर को इस समझौते के उपबंध 3B के अनुसार नवीनीकृत किया जाएगा। This Annual maintenance contract (i.e. all parts of the system) for the period of 19 years**.** Rate of the contract shall be renewed as per the clause 3B of this agreement.
2.	बैंक _____ में _____ के रख-रखाव कार्य के निष्पादन हेतु फ़र्म को रू_____ के लिए भुगतान किया जाएगा। **The firm will be paid Rs. _____ for _____by the Bank for _____**
3	**A. Scope of work during warranty/Defect liability period and Comprehensive annual maintenance contract period after:** i. Ensure that qualified team deployed by them, for the purpose for rendering the services required by the Bank under this agreement. ii. Ensure that his employees, while in the Bank premises or while carrying out their obligations under this agreement, observe the standards of cleanliness, decorum, safety, good behavior and general discipline laid down by the Bank and the Bank/ employer shall be the sole judge as to whether or not the tenderer and/ or his employees have observed the same. iii. Personally, and exclusively supervise the work of his employees so as to ensure that the services rendered under this agreement are carried out to the satisfaction of the Bank. iv. Ensure that no employees of the tenderer will enter or remain on the Bank's premises beyond the specified time limits unless and necessary for fulfilling tenderer's obligations. v. Be liable for any damage caused to the Bank or its premises or any part thereof or to any equipment thereof or any property of the Bank and therein by any act, omission, default or negligence of the tenderer or his employees or agents. vi. The equipment supplied shall be guaranteed against all types of defects for DLP and CAMC period from date of handing over of the equipment to the Bank. Any defects in the system/sub-assemblies/battery of ARD/small parts like call button, Car LED lights/Fans/LED panel etc found within the guarantee period shall be rectified/replaced by the tenderer **free of cost**. . Any assembly/parts/battery/wiring which requires replacement/wear and tear/damaged cables and/or any spares parts etc. shall be replaced as and when required, for which Bank shall not make payment as per terms and condition of the contract. vii. The system is also required to be maintained under CAMC for further period of **19 years.** viii. During this period (DLP & CAMC) servicing at not less than **4** servicing (cleaning of rails, lubrication of moving parts, checking of electro mechanical components, safety, interlocking checking or any other checking as recommended by OEM) and attending to ANY NUMBER of breakdown calls shall be carried out free-of-cost. ix. There is no payment during DLP. However, the CAMC payment shall be made on **half yearly** on rendering satisfactory services. x. The annual maintenance service contract rate shall also consider all the cost, including labor, travel cost from the nearest service station, all spares parts, oil, cables, and upgradation of technologies and relocation of system as and when required, consumable items etc. required for smooth functioning of the system.

xi. The Contractor shall carry out all the work strictly in accordance with drawing, details and instructions of the Bank's engineer. If in the opinion of the Bank's engineer, nominal changes have to be made to suit the site condition and with the prior approval in writing of the Bank, they desire the Contractor to carry out the same, the Contractor shall carry out the same without any extra charge.

B. Renewal of Rate of Comprehensive AMC:

The amount of service contract shall be renewed for an additional period of at least 18 years after two years (one-year defect liability period and one-year AMC on quoted rates). While renewing the contract amount will be arrived at based on following formula.

$A_C = A_P [(50 x(EPI_C/EPI_P)+50x(CPI_C/CPI_P)] / 100$

A_C	The contract amount for the current year (excluding taxes)
A_P	The contract amount for the previous year (excluding taxes)
CPI_C	Consumer Price Index for Industrial Workers (All India Average) 6 months prior to the commencement date of contract for the current year.
CPI_P	Consumer Price Index for Industrial Workers (All India Average) 6 months prior to the commencement date of contract for the previous year.
EPI_C	Wholesale Price Index for **Material handling, escalator and hoisting equipment** 6 months prior to the commencement date of contract for the current year.
EPI_P	Wholesale Price Index **for Material handling, escalator and hoisting equipment** 6 months prior to the commencement date of contract for the previous year.

4 **Penalty:** Any fault in the system shall be rectified as per the rectification time given below failing which penalty shall be applied.

Description	Rectification time	Penalty
Any defects resulting escalator is not working	12 hours	₹1400 per day per escalator.

5 **भुगतान शर्त :**सेवा अनुबंध के लिए यह दर संतोषजनक सेवा प्रदान करने पर अर्धवार्षिक आधार पर 1 वर्ष के भुगतान की अवधि के लिए मान्य है।

Payment Condition: This rate for the service contract is valid for a period of 1 year and payment shall be made on half yearly basis on rendering satisfactory service.

6 इस अनुबंध के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल कोलकाता में किए जाएंगे। All payments by the Employer under this Contract will be made only at Kolkata.

7 इस समझौते से जुड़े या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को कोलकाता में उत्पन्न माना जाएगा और केवल मुम्बई की अदालतों को ही यह निर्धारित करने का क्षेत्राधिकार होगा।

All disputes arising out of or in any way connected with this agreement shall be deemed to have arisen at Kolkata and only Courts in Kolkata shall have jurisdiction to determine the same.

8	अप्रकटन खंड :बोलीकर्ता ,बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का किसी तीसरे पक्ष को खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान बोलीकर्ता के कब्जे या ज्ञान के पास आ सकता है, और हर समय इस पर विश्वास रखेगा। बोलीदाता सिवाय इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा के अलावा अनुबंध के विवरण को वैयक्क और गोपनीय मानेगा। बोलीकर्ता नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्य जगहों पर कार्यों के किसी भी विवरण का खुलासा, प्रकाशित होने की अनुमति नहीं देगा। बोलीकर्ता ,किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का पालन करने में विफलता को बोलीदाता की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचारों को आगे बढ़ाने का हकदार होगा। बोलीकर्ता अपने कर्मचारियों के मध्य सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय सूचनाओं का प्रकटीकरण न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हों । अप्रकटन और गोपनीयता के संबंध में बोलीकर्ता के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बच जाएंगे। **Non-Disclosure clause:** The Bidder shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of the Bank's infrastructure/systems/equipment etc., which may come to the possession or knowledge of the Bidder during the course of discharging its contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence. The Bidder shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The Bidder shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Employer. The Bidder shall indemnify the Employer for any loss suffered by the Employer as a result of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the Bidder and the Employer shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies. The Bidder shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The Bidder's obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reason.
9.	यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी उपबंध Prevention of Sexual harassment clause/ ठेकेदार/एजेंसी कार्य स्थल) रोकथाम, निषेध और निवारण (अधिनियम 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रावधान के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी । बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी गंभीर कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे घटना में कर्मचारी शामिल होने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। ठेकेदार अपने कर्मचारी को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दे के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

	ठेकेदार अपने कर्मचारी की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर के भीतर तैनात हैं। The contractor/Agency shall be solely responsible for full compliance with the provision of "the sexual Harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013".In case of any complaint of sexual harassment against its employee within the premises of Bank, complaint will be filed before the Internal complaint committee constituted by the Contractor/Agency and the Contractor/Agency shall ensure appropriate action under the said Act in respect to the complaint. Any complaint of sexual harassment from any aggravated employee of the contractor against any employee of the Bank shall be taken cognizance of by the Regional Complaints Committee constituted by the Bank The Contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employee, if sexual violence by the employee of the contractor is proved. The contractor shall be responsible for educating its employee about prevention of sexual harassment at work place and related issue. The contractor shall provide a complete and updated list of its employee who are deployed within the Bank's premises.

सेवा प्रदाता के हस्ताक्षर
सील सहित
Signature of service provider
With seal)

बैंक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
सील सहित
Signature of Bank Representative
(With Seal)